खण्ड-110, अंक-1
सोमवार, 31 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(22 सितम्बर, 1952 ई0)

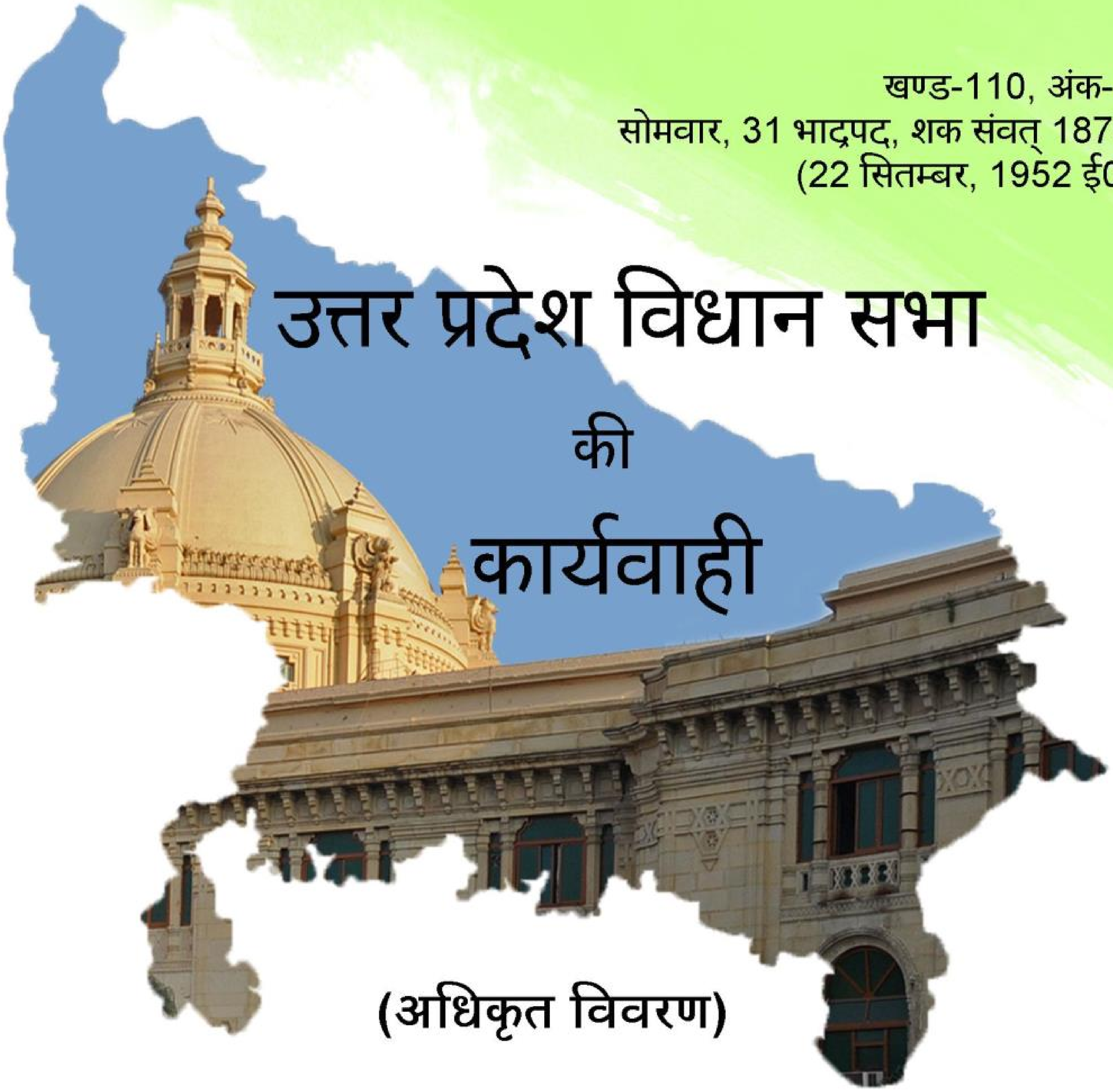

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 110 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

89564

सोमवार, २२ सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

बलदेव सिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बिशम्भर सिंह श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रम्हदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री

सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखचालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ सितम्बर, १९५२

[८ सितम्बर, १९५२ ई० के परिवहन मन्त्री के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

* * * *

गोरखपुर-बड़हल गंज सड़क पर रोडवेज की मोटरों में वृद्धि की आवश्यकता

*४१—श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर-बड़हलगंज लाइन पर रोडवेज द्वारा क़ब्ज़ा किये जाने के पूर्व कितनी मोटरें प्राइवेट मोटर मालिकों द्वारा चलाई जाती थीं और इस समय रोडवेज द्वारा कितनी मोटरें उस लाइन पर चलाई जाती हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—रोडवेज की गाड़ियां चलने के पूर्व गोरखपुर-बड़हलगंज लाइन पर २१ प्राइवेट आपरेटरों को गाड़ियां चलाने के लिये परमिट दिये गये थे। इस समय रोडवेज की १२ गाड़ियां चल रही हैं और २४ अगस्त से २ और गाड़ियां हाटा व बैलीपारा के बीच चलने वाली थीं, जो बाढ़ के कारण नहीं चलाई जा सकीं। जैसे ही बाढ़ घट जायेगी यह गाड़ियां चलने लगेंगी।

श्री राम अवध सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह १२ गाड़ियों की संख्या, जो बताई गई है, इसमें आफरेट और मेन्टिनेंस में रहने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी।

श्री राम अवध सिंह—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि कभी कभी इस लाइन पर तीन या चार गाड़ियां ही चलती हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--मुझे इसकी इत्तिला नहीं है, लेकिन यह मुमकिन है कि कभी बहुत सी गाड़ियां खराब हो जायं।

श्री राम अवध सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब प्राइवेट आपरेटरों द्वारा इस लाइन पर २१ गाड़ियां चलती थीं तो अब १२ गाड़ियों से काम कैसे चल सकता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--प्राइवेट गाड़ियां अक्सर एक दिन में एक ही ट्रिप करती थीं, लेकिन हमारी गाड़ियां एक दिन में तीन-तीन ट्रिप करती हैं।

*४२--श्री रामअवध सिंह--क्या यह सत्य है कि यह लाइन उस बांसगांव तहसील की एकमात्र पक्की लाइन है, जिसमें कोई रेलवे लाइन या दूसरी पक्की सड़क नहीं है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हाँ।

*४३--श्री रामअवध सिंह--क्या यह सत्य है कि उपरोक्त परिस्थिति में जनता के प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों तथा वर्तमान पत्रों ने यह मांग पेश की है कि इस लाइन पर चलने वाली मोटरों की संख्या में वृद्धि की जाय ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां।

* * * *

यू० एस० सी० १४९ पब्लिक कैरियर का परमिट

*६१--श्री आरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि यू० एस० सी० १४९ पब्लिक कैरियर का परमिट किन पांच व्यक्तियों के नाम दिया गया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह परमिट निम्नलिखित पांच व्यक्तियों के नाम दिया गया है --

(१) श्री शंकर लाल जैन।
(२) श्री चुन्नी लाल।
(३) श्री नन्हें लाल।
(४) श्री हरदयाल चौरसिया।
(५) श्री भगवान दास चौरसिया।

* * * *

राजकीय वाहन विभाग की बसों के चलने और पहुंचने में विलम्ब

*६७--श्री गुरुप्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि राजकीय वाहन विभाग की कुछ बसें विलम्ब से चलती और विलम्ब से पहुंचती हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां, लेकिन ऐसी बसों की संख्या बहुत ही कम है। वर्तमान वर्ष में ९५·४३ प्रतिशत रोडवेज की गाड़ियां ठीक समय पर छूटीं और पहुंचीं।

*६८--श्री गुरु प्रसाद सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाड़ियों के देर से चलने और लेट पहुंचने का मुख्य कारण गाड़ियों का बिगड़ जाना है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--बसों के विलम्ब से चलने का एक कारण गाड़ियों का बिगड़ जाना भी है।

श्री गुरु प्रसाद सिंह--क्या सरकार यह बतलायेगी कि गाड़ियां जो लेट हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी रोडवेज के वर्कशाप की है या स्थानीय मैकेनिकों की ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह कहना कठिन है।

लखनऊ-सुल्तान पुर रोड पर चलने वाली राजकीय बसों में सुधार की व्यवस्था

*६९--श्री गुरुप्रसाद सिंह--क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर चलने वाली राजकीय बसों की छतें वर्षा काल में टपका करती हैं ? यदि हां, तो इसके सुधार की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां, केवल दो बसों की छतें टपका करती थीं। उनमें से एक बस की छत तुरन्त मरम्मत करा दी गई और दूसरी बस के स्थान पर एक नई बस लगा दी गई।

श्री गुरु प्रसाद सिंह--जिस बस के छत की मरम्मत की बात कही गई है, उसकी मरम्मत का काम किस समय किया गया था ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा-- बहुत जल्दी ही कर दिया गया था।

* * * *

*७८-७९--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--देखिये आगे पृष्ठ २८ पर।]

*८०-८१--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २८ पर]

[सोमवार, २२ सितम्बर, १९५२ ई० के प्रश्न]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गङ्गा और घाघरा नदियों में बाढ़ के कारण बलिया जिले की क्षति तथा सरकारी सहायता

*१--श्री गङ्गा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया में गंगा और घाघरा की बाढ़ भय उत्पादक स्तर (Danger level) से ३६ इंच ऊपर तक आ गयी है ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--जो सूचना सरकार को मिली है उसके अनुसार अगस्त, १९५२ ई० के अंतिम सप्ताह में गंगा और घाघरा दोनों नदियों में पूरी बाढ़ आ गई, जिससे बलिया जिले की बलिया और बांसडीह तहसीलों का बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो गया। बाढ़ अब काफ़ी घट गई है और पानी बराबर कम होता जा रहा है।

श्री गङ्गा प्रसाद सिंह--मैं प्रश्न यह कर रहा हूं कि रसड़ा तहसील में जो बाढ़ आयी है उसके मुताल्लिक़ कुछ नहीं किया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--टोंस में भी कुछ थोड़ी बहुत बाढ़ आयी जरूर, लेकिन उससे कुछ ऐसी क्षति नहीं हुई।

*२--श्री गङ्गा प्रसाद सिंह--क्या सरकार को विदित है कि बलिया में इस बाढ़ से सम्पूर्ण खरीफ़ की फसल नष्ट हो गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सम्पूर्ण जिले में खरीफ की फसल तो नष्ट नहीं हुई है, परन्तु बलिया और बांसडीह तहसील के गांवों में फसल को बहुत अधिक क्षति पहुंची है। ठीक-ठीक कितनी हानि हुई है यह अभी ज्ञात नहीं है। माल विभाग के स्थानीय अधिकारी इस संबंध में आवश्यक सूचना एकत्र कर रहे हैं।

श्री शिव मंगल (जिला बलिया)—क्या सरकार को मालूम है कि बाढ़ से प्रायः हर साल बलिया जिले को काफ़ी क्षति पहुंचती है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थायी रूप से उस बाढ़ को रोकने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—जहां तक बाढ़ से नुकसान पहुंचने का सवाल है सरकार को यह भी मालूम है कि जहां नुक़सान पहुंचता है, वहां बहुत जगह फायदा भी पहुंचता है। बाढ़ न आये तो बाढ़ आने से फर्टिलाइजिंग मैटीरियल, सिल्ट वगैरह जो छूट जाता है और उससे अगर आगे जो पैदावार अच्छी हो जाती है वह न हो पाये। जहाँ तक बाढ़ को मुस्तकिल तौर पर रोकने का सवाल है वह रोकी नहीं जा सकती, केवल कंट्रोल किया जा सकता है। इस सिलसिले में कई बार जिक्र आ चुका है। उसके लिए कमेटी मुकर्रर की गयी है, उसने एक सब-कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। उसकी रिपोर्ट आनी है।

*३—श्री गङ्गा प्रसाद सिंह—क्या सरकार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को कोई विशेष सहायता प्रदान करने का विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में साधारणतः सरकार जो प्रबंध करती है वह इन स्थानों में भी किया गया था जल मग्न स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिये नौका का प्रबंध, जरूरतमंद लोगों के लिये आवश्यक वस्तुओं, नमक, दियासलाई, तेल, चना, सत्तू आदि का प्रबंध, रोग निवारणार्थ औषधि वितरण, पशुओं की रक्षा तथा उनके लिये औषधि आदि की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त ए० पी० योजना जो जिले में पहले ही से लागू है और अधिक क्षेत्र में लागू कर दी गई है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में यह योजना इस समय लगभग शत प्रतिशत रूप में लागू है। सरकार ने वर्षा काल के प्रारंभ ही में जिलाधीश को ५,००० रु० बाढ़ के रक्षात्मक उपायों पर व्यय के लिये दे दिया था। १०,००० रुपये और अहेतुक सहायता के लिये स्वीकृत किया गया है।

श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या जैसे और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में शत प्रतिशत ए० पी० कार्ड बनाये गये, वैसे ही इस क्षेत्र में बनाये गये ?

श्री चरण सिंह—इस क्षेत्र में बनाये गये या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता है। यह तो जिलाधीश की डिस्क्रीशन पर है कि जहां उन्होंने जरूरी समझा वहां पर उन्होंने किया। जो सूचना वहां से आयी है उससे मालूम होता है कि बहुत काफी काम वहां किया गया है। अगर किसी खास जगह न हुआ हो और माननीय सदस्य बतलायेंगे तो जांच करवाऊंगा।

मिर्जापुर जिले में कैमूर पर्वत के दक्षिणी भाग में जमींदारी विनाश अधिनियम को प्रचलित करना

*४—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर में कैमूर पर्वत के दक्षिण के भागों में जमींदारी विनाश अधिनियम कब तक प्रचलित होगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि विचाराधीन प्रश्न का निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री चरण सिंह—यथाशीघ्र।

*५—श्री रामस्वरूप—क्या सरकार उपर्युक्त क्षेत्र की पैमाइश कराने की बात सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक पैमाइश की जायगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सरकार ने दुद्धी के सरकारी आस्थान में, जो कि इस क्षेत्र का एक भाग है, पैमाइश का काम आगामी जाड़े में आरम्भ करने की आज्ञा दे दी है। बाकी क्षेत्रों में पैमाइश करने का अभी कोई विचार नहीं है।

*६-७--श्री राधा कृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)-- [देखिए आगे पृष्ठ २८ पर]

तारांकित प्रश्न

*१--श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)-- [देखिए आगे पृष्ठ २९ पर]

*२-३--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)-- [देखिए आगे पृष्ठ २९ पर]

*४-श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)--[२७ अक्तूबर, १९५२ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*५--श्री रमेश वर्मा--[६ अक्तूबर, १९५२ई० के लिये स्थगित किया गया।]

जिला बस्ती के सोहांस इलाके के कोर्ट आफ वार्ड्स की सम्पत्ति का अनुचित प्रयोग

*६--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार को यह पता है कि जिला बस्ती तहसील में बांसी में सोहांस इलाके के कोर्ट आफ वार्ड्स के जिलेदार कोर्ट की सैकड़ो बीघा जमीन अपने लड़के व भाई के नाम जमन ८ लिखाकर काश्त कर रहे हैं?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--यह सत्य है कि सोहांस इलाका जिला गोरखपुर के जिलेदार श्री बंसीधर के लड़के व भाई रियासत मथुरा प्रसाद जिला गोरखपुर की ५० बीघा भूमि के मौरूसी काश्तकार हैं। वह इस भूमि पर १० साल से काश्त कर रहे हैं और ४० बीघा भूमि के भूमिधर भी बन चुके हैं।

*७--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि उक्त जिलेदार ने कोर्ट आफ वार्ड के पेड़ों को कटाकर उन्हें अपने निजी मकान सोहांस में उपयोग में लाये हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी नहीं, उक्त जिलेदार का एक मकान इलाका सोहांस में है जो कि उसने कोर्ट आफ वार्ड्स की आज्ञा लेकर ४ वर्ष पहले बनवाया था। पिछले साल जिलेदार ने आम की लकड़ी से अपने मकान का शेड बनवाया, मगर लकड़ी कोर्ट आफ वार्ड की नहीं थी। जिलेदार ने लकड़ी दूसरे आदमियों से खरीदी, जिनके साथ कोर्ट आफ वार्ड्स ने बेची थी।

*८--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--क्या सरकार को यह भी पता है कि अभी हाल ही में सोहांस इलाके के बहुत से पेड़ बिला नीलाम इधर उधर के लोगों ने कटवा लिये हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी नहीं, रियासत मथुरा प्रसाद, जिला गोरखपुर के वार्ड श्रीमती कुंवरी बीबी ने १६३ शीशम के पेड़ कोर्ट आफ वार्ड्स और डी० एफ० ओ० की आज्ञा ले कर कटवाये और श्री मंगल प्रसाद के हाथ बेच डाले। संभवतः उन्होंने अन्य व्यक्तियों को पेड़ बेचे हों।

आगरा जिले की सदर तहसील के रोहता, इटौरा व ककुवा आदि ग्रामों के किसानों को बरसात में परेशानी

*९--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि आगरा जिला की सदर तहसील में स्थित रोहता, इटौरा व ककुवा आदि ग्रामों के आस-पास की जमीन निचली है और बरसात के दिनों में पानी भर जाने की वजह से उस जमीन

पर पैदा होने वाली फसलें गल कर बरबाद हो जाती हैं और लोगों के मकान गिर कर नष्ट हो जाते हैं।

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां।

*१०--श्री पुत्तूलाल--यदि हां, तो सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों की परेशानी को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत--उक्त क्षेत्र के लिये नहर विभाग ने लगभग ९,८०० रुपये के खर्च की "रोहता पटगाई" नाली, नाम की योजना बनायी थी जो अब मुख्य इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई) के विचाराधीन है। चूंकि हाल की भीषण वर्षा ने इस क्षेत्र को पुनः बुरी तरह से क्षत कर दिया है, जिलाधीश आगरा ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से देवरी ग्राम में या उसके आस-पास में अन्त होती हुई एक बड़ी नाली की योजना बनाने को कहा है। इसके बन जाने से भविष्य में इस मुसीबत का सामना न करना पड़ेगा।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि नहर विभाग ने यह "रोहता पटगाई" नाली योजना कब बनाई थी और यह कब से पी० डब्लू० डी० के चीफ इंजीनियर के विचाराधीन है?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह योजना आज से करीब डेढ़ वर्ष पहले बनी थी, लेकिन इस योजना के बनाने में और उसको कार्यान्वित करने में यह कठिनाई हुई कि नाली को जहां तहां से ले जाने की जरूरत पड़ती है वहां पर काश्तकार उसमें काफी एतराज करते हैं और एतराज करने वाले काश्तकारों की संख्या काफी हो जाती है। इसलिये इस बात पर फिर विचार किया जा रहा है कि जहां तक संभव हो सके कम से कम काश्तकारों की खेती का नुकसान हो और हाल में ८-९ रोज हुए तब चीफ इंजीनियर पुनः मेरे साथ वहां गये थे और वहां के आदमियों से मिलकर सारे जिले की नाली योजना पर विचार हुआ है और उस पर कार्यान्वित करने की कोशिश की जा रही है।

*११-१२--श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)--[२७ अक्तूबर, १९५२ को लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले की नदियों में बाढ़

*१३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितनी नदियां हैं जिनमें बाढ़ आती है, और बाढ़ आ जाने पर उनका पानी अनुमानतः कितने वर्गमील में फैल जाता है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आजमगढ़ जिले में मुख्यतया दो नदियां घाघरा और छोटी सरजू ऐसी हैं, जिनमें बाढ़ आती है। बाढ़ आ जाने पर इन नदियों का पानी लगभग ३०० वर्गमील के भूभाग पर फैल जाता है।

टोंस नदी में भी कभी-कभी बाढ़ आ जाती है, यद्यपि ऐसा बहुत कम होता है। अंतिम बाढ़ इस नदी में सन् १९३८ में आई थी। बाढ़ के समय इस नदी से लगभग ६४ वर्गमील के क्षेत्रफल का भूभाग प्रभावित होता है। इनके अलावा १४ और छोटी नदियां हैं, जिन्हें नाला कहना ठीक होगा। पर इनसे कोई खास बाढ़ नहीं आती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सत्य है कि टोंस नदी में इस साल बाढ़ आयी थी?

श्री चरण सिंह--ऐसी बाढ़ नहीं आयी, जिसकी खबर लखनऊ तक आती।

रोडवेज विभाग की नौकरियों के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन

*१४--श्री पुत्तू लाल--क्या यह सच है कि रोडवेज विभाग से ताल्लुक रखने वाली नौकरियों के लिये सरकार की ओर से कोई भी विज्ञापन समाचार-पत्रों में नहीं दिया जाता? यदि हां, तो क्यों नहीं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--नहीं, वाहन विभाग के अन्तर्गत समस्त गजटेड पदों पर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। इन सब नियुक्तियों के लिये हमेशा की तरह आवश्यक विज्ञापन कमीशन समाचार-पत्रों में देता है। वाहन विभाग के नान गजटेड पदों की नियुक्ति के लिये सरकार ने एक चुनाव समिति बनाई है। ऐसे पदों के लिये, जिनका वेतन ६० रु० से कम है, समाचार-पत्रों में विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं, परन्तु जब बहुत से पदों पर नियुक्तियां करनी होती हैं तब यह समिति विज्ञापन द्वारा ही चुनाव करती है।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि ६० रुपये से कम वेतन वाली नौकरियों के लिये विज्ञापन कराना क्यों नहीं उचित समझती?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इसके पहले ही सरकार के पास सैकड़ों से ज्यादा दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं।

जिला रायबरेली में वन महोत्सव

*१५--श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में गत वर्ष वन महोत्सव मनाने में कुल कितनी रकम नगद खर्च हुई थी?

श्री जगन प्रसाद रावत--सन् १९५१ ई० का वन महोत्सव मनाने में कुल १२२ रु० ४ आना खर्च किए गए।

*१६--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि खर्च-शुदा रकम में कितना रुपया सरकार का था और कितना पंचायतों से लिया गया था और कितना जनता से वसूल हुआ है?

श्री जगन प्रसाद रावत--उक्त रकम में पंचायतों से या जनता से कुछ नहीं लिया गया।

*१७--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस वन महोत्सव में ओरीपिल वृक्ष कितने बोये गये?

श्री जगनप्रसाद रावत--रायबरेली जिले में गत वर्ष वनमहोत्सव में कुल ५९,९०२ वृक्ष लगाए गए।

श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५९,९०२ वृक्षों में कितने वृक्ष जिन्दा हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह सूचना नोटिस मिलने पर दे सकेंगे।

*१८-२०--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--[६ अक्तूबर, १९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

*२१--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)-- [देखिये आगे पृष्ठ ३० पर]

देवरिया जिले में बहादुरा और भुड़ली कीड़ों की बीमारी से फसल को हानि

*२२--श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या कृषि मंत्री को यह ज्ञात है कि देवरिया जिले में "बहादुरा" और "भुड़ली" कीड़ों की बीमारी फैली हुई है, जिसके कारण मकई, उरद, मोथी तथा भिरंगा के पौदा को बेहद नुकसान पहुंचा है। यदि हां, तो सरकार इन कीड़ों के विनाश के लिए कोई उपाय सोच रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां, बहादुरा कीड़े से जहां तक सम्बन्ध है यह अब तक विशेषकर चने की फसल ही को हानि पहुंचाता जाना गया है। हो सकता है कि इसी प्रकार का कोई और भी कीड़ा हो, जिसको किसान बहादुरा कहने लगे हों और जिसने फसलों को हानि पहुंचाई हो। बहरहाल इसकी जांच की जा रही है। भुड़ली कीड़े से कदाचित् (Hairy Coherpillar) बालोंदार गिडार से तात्पर्य है जो जून और जूलाई के महीनों में देवरिया जिले के बहुत से गांवों में फैला हुआ था। इसकी सूचना गोरखपुर के कृषि रक्षा केन्द्र में २६ जुलाई, १९५२ ई० को पहुंची थी। तुरन्त ही कृषि रक्षा सेवा के तीन कर्मचारियों को घटनास्थलों की जांच के लिये भेजा गया। उन्होंने २८ जुलाई २,७ और १० अगस्त, १९५२ ई० को देवरिया जिले के २९ गांवों में जिनकी सूची नत्थी है फसलों की जांच की तो मालूम हुआ कि यह कीड़ा मक्का, हल्दी, उर्द मूंग, सनई, मोंथ और तागुन की फसलों को लगभग १५ दिन से लगा हुआ था। और इन कर्मचारियों के उक्त गांवों में पहुंचने तक वह कीड़ा अपना आक्रमण समाप्त कर चुका था। अतः रोक थाम की कोई कार्यवाही इस समय आवश्यक नहीं समझी गई।

सरकार ने राज्य में कृषि रक्षा सेवा नाम का फसलों की सुरक्षा के लिये एक संगठन स्थापित कर रक्खा है, जिसके केन्द्र गोरखपुर एवं अन्य भिन्न-भिन्न स्थानों पर हैं। इन केन्द्रों पर समय से सूचना मिलने पर कर्मचारीगण मशीनों और दवाइयों के साथ अपने या अन्य जिले के गांवों में जाकर फसलों की कीड़ों-मकोड़ों अथवा बीमारियों से रक्षा करने में किसानों की सहायता कर सकते है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७ पर)

श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नत्थी लिस्ट मेरे पास भेजी गयी है उसमें तहसील कसिया में दस गांव दिखलाये गये हैं तो क्या देवरिया जिले के अन्दर कोई कसिया तहसील भी है? अगर नहीं है तो यह दस गांव किस तहसील के हैं ?

श्री चरण सिंह--अगर तहसील का नाम गलत लिख गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे गांव तो जिला देवरिया के ही हैं।

श्री जगन प्रसाद रावत--पडरौना तहसील में ही ये गांव हैं।

गोरखपुर जिले में बांटी गयी तकावी

*२३--**श्री गौरी राम** (जिला गोरखपुर)--क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में गत चार महीनों के भीतर कितनी तकावी बंटी तथा किन तहसीलों को कितना रुपया मिला?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गोरखपुर जिले में गत चार महीनों के भीतर ११,७५,००० रुपया तकावी के रूप में बांटा गया है जिसमें से तहसील तहसील को निम्नलिखित रुपये मिले--

महराजगंज	..	४,७७,६००रु०
फरेन्दा	..	३,६०,०००रु०
बांसगांव	..	१,३५,०००रु०
सदर	..	२,०२,४०० रु०

श्री गौरी राम--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि महराजगंज तहसील को फरेंदा तहसील से अधिक तकावी किस आधार पर दी गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--महराजगंज तहसील में ज्यादा जरूरत थी।

*२४--**श्री गौरी राम**--[स्थगित किया गया।]

*२५-२७--राजा बीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--[१३ अक्तूबर, १९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८-२९--श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)--[२७ अक्तूबर, १९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये ।]

मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील में तथा राबर्ट्सगंज तहसील में कैमूर पर्वत के नीचे स्थित क्षेत्र की भूमि की किस्में तथा उसका बन्दोबस्त

*३०--श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील के अगोरी परगना विजयगढ़ का वह भाग, जो कैमूर पर्वत के नीचे स्थित है तथा सम्पूर्ण दुद्धी तहसील में किस किस किस्म की भूमि है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इन क्षेत्रों में ४ प्रकार की भूमि है (१) मटियार (२) दूधिया, (३) दुमट, (४) लाल मटियार ।

*३१--श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या इस क्षेत्र का बन्दोबस्त कभी हुआ है ? यदि हां, तो कब कब ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--दूधी परगने का बन्दोबस्त सन् १८८७-८८ में हुआ था इसके बाद अस्थायी बन्दोबस्त हुये। अन्तिम अस्थायी बन्दोबस्त सन् १९३९-४० में हुआ था।

अगोरी सिंगरौली तथा विजयगढ़ परगने का वह भाग, जो कैमूर रेंज के दक्षिण में स्थित है, वहां स्थायी बन्दोबस्त (permanent settlement) है। इन भागों का नजरी सर्वे तथा बन्दोबस्त १८४० में हुआ था।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ३९-४० में जो बंदोबस्त हुआ था वह पूरे क्षेत्र का हुआ था या थोड़े का ?

श्री चरण सिंह--दूधी परगने का ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--पूरे परगने का हुआ था या कुछ अंश का

श्री चरणसिंह--यह नहीं कहा जा सकता कि कितने अंश का हुआ था।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह अस्थायी बंदोबस्त कब तक चलेगा और स्थायी कब होगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अगले जाड़ों में मुस्तकिल बंदोबस्त होने जा रहा है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--यह अगौरी सिगौली के लिये कहा गया है कि परमानेंट सेटिलमेंट, जो ४० में हुआ था, उसमें नजरी सर्वे से क्या उद्देश्य है ?

श्री चरण सिंह--जो बिना पैमायश के आँख से देखकर आंकड़े लिखे जाते हैं उसे नजरी सर्वे कहते हैं और जो नाप-जोखकर आंकड़े लिखे जाते हैं, उसे कैडस्ट्रल सर्वे कहते हैं। यह पहाड़ी इलाका है और इसमें लाखों रूपया कैडस्ट्रल सर्वे कराने में खर्च होगा। इसलिये यही नजरी सर्वे कराया जा रहा है अगर्चे यह नाकिस है।

जिला झांसी की तहसील मोठ के सिमथर क्षेत्र में लगान की व्यवस्था

*३२--श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि जिला झांसी की तहसील मोठ के सिमथर क्षेत्र से अन्य देहातों की अपेक्षा लगभग दूना लगान किसानों से वसूल किया जाता है !

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--रियासत सिमथर के उन गांवों के लगान का परता, जो जिला झांसी में आये हैं। वे तहसील मोठ के सरहदी गांवों के लगान के परते से जरूर कुछ ज्यादा है। मगर न तो वह दुगना है और न वह नाकाबिल अदा है। सिमथर रियासत के गांवों के लगान का परता ४ रु० ४ पा० फी एकड़ है और तहसील मोठ के सरहदी गाँवों के लगान का परता ३ रु० ६ आ० फी एकड़ है।

श्री राम सहाय शर्मा--क्या माननीय मंत्री को सूचना मिली है कि सिमथर के ग्राम सेरता, खूजा, लोहागढ़, काडोर, बझेरा, साजापुर, बांगरी, पोखीपुरा, बरखरे, कडरा में ७ रु० १३ आ० प्रति एकड़ लगान है जब कि मोठ तहसील के पास के ग्राम पूंछ में साढ़े तीन रुपये प्रति एकड़ और कुछ हिस्सों में ४ रु० १३ आने प्रति एकड़ लगान लिया जाता है और भूमिधरों से आधा लगान २ रु० १३ आ० लिया जाता है ?

अध्यक्ष--यह आप सूचना दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं। आपका प्रश्न तो सिमथर से संबंधित है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सिमथर से जो गांव झांसी में आये हैं उसके बारे में बतला दिया गया है कि परता लगान ४ रु० ४ आ० है।

अध्यक्ष--उन्होंने कुछ खास गांव बतलाये हैं उनमें इतना है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--हो सकता है कि किन्हीं-किन्हीं गांवों में ऐसा हो।

श्री राम सहाय शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विलीनीकरण के पहले सिमथर स्टेट में जमींदारी प्रथा थी या रैयतवाड़ी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिये सूचना चाहिये ।

राजा वीरेन्द्र शाह--जो लगान सिमथर स्टेट में बढ़ा हुआ है उसको क्या सरकार कम करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री राम सहाय शर्मा--जब सिमथर में जमींदारों को मुआविजा नहीं दिया जायगा तो क्या सरकार किसानों को बगैर उनसे १० गुना लगान वसूल किये भूमिधर बना देगी और उनका लगान भी आधा कर देगी ?

श्री चरण सिंह--जब उनको भूमिधर बनने का अधिकार हो जायगा, तो भूमिधर बना दिया जायगा ।

*३३--श्री रामसहाय शर्मा--क्या सरकार निकट-भविष्य में शीघ्र ही समस्त मोठ तहसील से एक ही रेट से लगान लिये जाने की व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

देवरिया जिले में दसगुना की वसूली की सनदें

*३४--श्री शिव प्रसाद (जिला देवरिया)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में किन-किन तहसीलों में कितना-कितना रुपया दसगुना का जमा हुआ है और क्या रुपयों की सभी सनदें किसानों को प्राप्त हो चुकी हैं ? यदि नहीं, तो शेष सनदें कब तक प्राप्त हो जायेंगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--देवरिया जिले की तहसीलों में दसगुना लगान का जो रुपया जमा हुआ है, उसका ब्योरा इस प्रकार है --

नाम तहसील			रुपया
देवरिया	..	..	२०,८७,७५६ रु० ४ आ० ५ पा०
हाटा	..	..	२३,०६,७७३ रु० २ आ० १ पा०
पडरौना	..	..	२२,१०,६४३ रु० १ आ० १० पा०
सलेमपुर	..	..	१६,१९,४६० रु० १० आ० ९ पा०

केवल ३८३ सनदों को छोड़कर उपरोक्त धनराशि की सभी सनदें दी जा चुकी हैं। शेष सनदों को भी शीघ्र देने का प्रबन्ध हो रहा है ।

श्री शिव प्रसाद---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि इन रुपयों में से कितनी सनदें दी गईं और कितने रुपये की सनदें बाकी हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अब तक २,०७,००७ सनदें दी जा चुकी हैं और केवल ३८ ३ सनदें बाकी हैं।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतलायेगी कि ये सनदें जो अब तक नहीं दी गई वह क्यों रोकी गईं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---वे रोकी नहीं गई हैं। इन सनदों के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही चल रही है और कोई झगड़ा है।

अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को तकावी के रूप में दिये गये धान के बीज पर ब्याज

*३५---श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिन किसानों को अकाल क्षेत्र में धान का बीज तकावी के रूप में दिया गया है उनसे ब्याज नहीं लिया जायगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत---अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में बीज कृषि सहकारी तथा खाद्य विभाग द्वारा पहुंचाया गया था। प्रथम दो तकावी स्वरूप थे तथा उनकी वसूली सवाई पर होगी। खाद्य विभाग का बीज तकावी में नहीं दिया गया था। लोगों को तकावी धनराशि में दी गई थी। वे खाद्य विभाग द्वारा दिये गये अथवा अन्य साधनों से बीज खरीद सकते थे। इस प्रकार जो रुपया तकावी में दिया गया उसमें नियमानुसार सूद लगेगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अकाल क्षेत्रों में इस साल भी धान नहीं लगाया गया क्या उनसे तकावी का रुपया वसूल किया जायगा ?

श्री चरण सिंह---अकाल क्षेत्र तो कोई है नहीं और अगर उनकी हालत ऐसी हो जायगी और फसल अच्छी हो जायगी तो जरूर उनसे तकावी वसूल की जायगी।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वह तकावी का रुपया एक ही बार वसूल किया जायगा या किस्त में ?

श्री चरण सिंह---देने वालों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है।

पटवारी स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विषय तथा अध्यापकों की योग्यतायें

*३६---श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पटवारी स्कूलों में किस योग्यता के अध्यापक रक्खे जाते हैं और वहां क्या-क्या विषय पढाये जाते हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जूनियर सुपरवाइजर कानूनगो, जिन्होंने २ या ३ वर्ष की नौकरी कर ली है और जिनका नायब तहसीलदारी के पद पर काम करने का अवसर नहीं है, पटवारी स्कूल के अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं। योग्य पटवारी, जो हाई स्कूल पास कर चुके हों और जिन्होंने कम से कम ५ साल पटवारिगिरी और १ साल सुपरवाइजर कानूनगो का काम किया हो और जिनकी आयु ५० साल से कम हो पटवारी स्कूलों के नायब अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं।

पटवारी स्कूलों में निम्नलिखित विषय पढ़ाये जाते हैं :---

(१) प्रैक्टिकल सरवेइंग,
(२) नकशा बनाना (mapwork),
(३) प्लेन मैनस्युरेशन,
(४) अंकगणित,
(५) लैंड रिकार्ड्स मैनुअल के प्रथम भाग में दिये हुए पटवारियों के कर्तव्य, तथा

(६) लैंड रिकार्ड्स मैनुअल के पैराग्राफ २५ में दिये हुए कागजात रजिस्टर तथा नक्शों का बनाना।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लैंड रिकार्ड मैनुअल में पटवारी स्कूलों में अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिये क्या-क्या योग्यताएं रक्खी गई हैं और क्या उनका पूर्णतया पालन किया जाता है ?

श्री चरण सिंह--यथासंभव किया जाता है। जो योग्यतायें उसमें लिखी हैं अगर उस योग्यता के अध्यापक नहीं मिलते तो यह मतलब नहीं है कि कोई अध्यापक नियुक्त ही न किया जाय।

*३७--**श्री श्रीचन्द**--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसका लैन्ड रिकार्ड्स मैनुअल में संशोधन करने का विचार है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हाँ। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के कारण लैंड रिकार्ड्स मैनुअल का संशोधन आवश्यक है और संशोधन का काम चल रहा है।

राठ, जिला हमीरपुर में रोडवेज स्टेशन पर यात्रियों के लिये मुसाफिरखाने का निर्माण

*३८--**श्री श्रीपति सहाय** (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि राठ, जिला हमीरपुर में रोडवेज स्टेशन पर यात्रियों के लिए छायादार मुसाफिरखाना नहीं है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हाँ।

*३९--**श्री श्रीपति सहाय**--यदि हाँ, तो क्या सरकार यात्रियों के ठहरने योग्य मुसाफिरखाना बनवाने की बात सोच रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हाँ। वहाँ मुसाफिरखाना व बस स्टेशन बनाने के लिये Land Acquisition Act के अन्तर्गत १.३७ एकड़ भूमि प्राप्त की गई है। उस पर इमारत बनाने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा।

श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राठ में जो भूमि प्राप्त की गई है उसमें स्टेशन बनाने के लिये काम कब से शुरू हो जायगा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--बहुत जल्द।

राठ-महोबा तथा राठ-कुलपहाड़ पर बसों की संख्या में वृद्धि

*४०--**श्री श्रीपति सहाय**--क्या सरकार राठ-महोबा तथा राठ-कुलपहाड़ पर बसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रबन्ध कर रही है ? यदि हाँ, तो वह कब तक प्रबन्ध हो जायगा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--राठ-कुलपहाड़-महोबा मार्ग पर आवश्यकतानुसार पहिली जुलाई से ही एक बस बढ़ा दी गई है।

देवरिया जिले में बड़ी गंडक तथा बांसी नदी के किनारे के गांवों को बाढ़ से क्षति

*४१--**श्री श्रीपति सहाय**--क्या माननीय माल मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में प्रतिवर्ष बड़ी गंडक और बाँसी नदी के किनारे के गाँवों को बरसात में भारी क्षति पहुंचती है ?

श्री चरण सिंह--जी हाँ, बड़ी गंडक तथा बाँसी नदी के किनारे के गाँवों को बरसात में क्षति पहुंचती है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बड़ी गंडक अपनी धारा बदल रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हाँ, जो गाँव कटते जाते हैं उससे तो यही पता चलता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा होगा ।

*४२--**श्री श्रीपति सहाय**--क्या बाँसी नदी और गंडक के किनारे के कुछ गाँव कट गये यह बात सच है ?

श्री चरण सिंह--तहसील पडरौना में बाँसी नदी व बड़ी गंडक की बाढ़ से कोई मौजा नहीं कटा है, परन्तु तहसील हाटा में बड़ी गंडक के किनारे के दो गाँव कटाई भरपुरवा और भैंसहा के कुछ रकबे नदी के बहाव से कट गये हैं ।

*४३--**श्री श्रीपति सहाय**--यदि हाँ,तो ऐसे गाँवों को क्या सहायता दी गई और सरकार आगे इन गांवों को इस प्रकार की क्षति से बचाया जाय, इसके लिये कोई उपाय सोच रही है ?

श्री चरण सिंह--इन गाँव के लोगों को मदनपुर जंगल में बसाने की कार्रवाई चल रही है। बाढ़ से फसलों की जो क्षति पहुंचती है उसके लिए लगान व मालगुजारी में छूट दी जाती है, इसके अतिरिक्त तकावी बीज तथा अहेतुक सहायता भी दी जाती है । इस वर्ष ५,००० रु० अहेतुक सहायता तथा ५,००० रु० और विविध प्रकार की दूसरी सहायता के लिये स्वीकृत किया जा चुका है । बाढ़ के समय नावों द्वारा गल्ला व अन्य आवश्यक वस्तुयें पहुंचाकर सहायता की जाती है । बाढ़ तथा बाढ़ से होने वाली विपत्ति दूर करने के उपाय सरकार द्वारा नियुक्त बाढ़ समिति की टेक्निकल उप-समिति के विचाराधीन है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

*४४--**श्री वंशीदास धनगर** (जिला मैनपुरी)--[२७ अक्तूबर, १९५२ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

*४५-४६--**श्री राजाराम किसान** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ ३०-३१ पर]

सरकारी गोदामों से किसानों को बीज का वितरण

*४७--**श्री श्रीनिवास** (जिला अलीगढ़)--खरीफ में बोये जाने वाले बीजों में से कौन-कौन से बीज सरकारी गोदामों से किसानों को दिये गये ? क्या सरकार को पता है कि अलीगढ़ जिले के कुछ बीज गोदामों में सनई का बीज दो-दो और तीन-तीन साल पुराना है और गत दो वर्ष में दिया गया बिनौला का बीज बहुत सी जगह कतई नहीं जमा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कृषि विभाग के गोदामों से निम्नलिखित खरीफ में बोये जाने वाले बीज किसानों को दिये गये :--

(१) धान, (२) मक्का, (३) अरहर, (४) मूंग, (५) उर्द, (६) तिल, (७) सनई, (८) मूंगफली, (९) कपास, (१०) साँवाँ। सरकारी गोदाम अलीगढ़ में केवल ६ मन ३२ सेर २ छटाँक पुराना सनई का बीज है । यह किसानों को बांटा नहीं जावेगा।

यह शिकायत कि अलीगढ़ जिले में गत २ वर्षों से कृषि विभाग के बीज संग्राहलयों द्वारा वितरित बिनौला अंकुरित नहीं हुआ, निराधार है ।

बिल्हौर तहसील, जिला कानपुर में ओलागर्दी से फ़सल की हानि तथा किसानों की सहायता

*४८--**श्रीमती ब्रजरानी मिश्र** (जिला कानपुर)--क्या सरकार को यह मालूम है कि बिल्हौर तहसील जिला कानपुर में ओलागर्दी से पिछली रबी की फलस को बहुत नुकसान पहुंचा है ? यदि हाँ, तो सरकार ने किसानों की मदद के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हाँ, सरकार ने लगान में २५,८१२ रु० १४ आना की छूट और मालगुजारी में ९,७१० रु० २ आना की छूट दी।

श्रीमती ब्रजरानी मिश्र--इस छूट की इत्तिला किसानों को डुग्गी, एलान या नोटिस के जरिये से की जाती है और यह छूटें कब मिलीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह तो पटवारियों के द्वारा और दूसरे तरीकों से किसानों को सूचना दी जाती है।

जौनपुर जिले की मड़ियाहू और मछलीशहर तहसीलों में सूखा तथा ओलों से हानि

*४९--श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहू और मछलीशहर तहसील में सन् १३५९ फसली में सूखा और ओला आदि से नुकसान होने के कारण कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गयी हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार ने जौनपुर जिले की मड़ियाहू और मछलीशहर तहसीलों में १३५९ फसली में सूखा तथा ओले से हानि पहुंचने के कारण निम्नलिखित सहायतायें प्रदान कीं :--

१--लगान तथा मालगुजारी में छूट :--

(अ) खरीफ, १३५९ फसली सूखा के कारण--

तहसील	मालगुजारी में छूट			लगान में छूट		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
मड़ियाहू	७,१७६	८	०	१८,९६२	११	०
मछलीशहर	१५,८८०	४	०	३६,२४९	१०	०
योग ..	२३,०५६	१२	०	५५,२१२	५	०

(ब) रबी, १३५९ फसली सूखा तथा ओला पड़ने के कारण--

तहसील	मालगुजारी में छूट			लगान में छूट		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
मड़ियाहू	१९,७३०	०	०	३७,९६७	९	०
मछलीशहर	१८,९०९	४	०	४२,२६८	१३	०
योग ..	३८,६३९	४	०	८०,२३६	६	०

२--किसानों को धान के बीज के लिये लगभग ३२,००० रु० की तकावी दी गई। इसके अतिरिक्त एक लाख रुपया जिले के पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिये और मंजूर किया गया है।

३--मितव्ययी अन्न योजना (ए० पी० स्कीम) दोनों तहसीलों में तीन महीने से लागू है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि अब तक दोनों तहसीलों में अलग-अलग कितना रुपया तकावी के रूप में बाँटा गया है ?

श्री चरण सिंह--इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि यह जो एक लाख रुपया पीड़ितों की सहायता के लिये मंजूर हुआ है वह किन लोगों को और किस रूप में दिया जायगा ?

श्री चरण सिंह--पीड़ित लोगों को दिया जायगा ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतावेंगे कि १३५९ फसली की रबी की छूट जो दी गई है उस के कोई पर्चे भी बाँटे गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--पर्चे तो बाँट दिये जाते हैं ।

ट्रैक्टर ट्रेनिंग की व्यवस्था

*५०--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार ने ट्रेक्टर की ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था की है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी नहीं ।

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् देवरिया जिले में बेकार भूमि

*५१--श्री शिवप्रसाद--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कितनी जमीनें परती, बंजर तथा जंगल की बेकार पड़ी हुई हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सूचना नीचे दी हुई है ।

तहसील		परती	बंजर	जंगल
		एकड़	एकड़	एकड़
१--देवरिया	..	९,२७६	९,०२६	९८४
२--हाटा	..	१,५७२	७,४६५	६७
३--पडरौना	..	१,९२८	३,८५७	९५७
४--सलेमपुर	..	७५९	६,५३०	६३०
कुल योग	..	१३,५३५	२६,८७८	२,६३८

श्री शिवप्रसाद--क्या सरकार कृपया बतावेगी कि इन परती और बंजर जमीनों में से भूमिहीन हरिजनों और दूसरे भूमिहीन लोगों को जमीन देने की वह क्या बात सोच रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गाँव सभा के द्वारा जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा १९८ के अन्तर्गत जिस रूप में जमीन देने का विधान है, उसी रूप में दी जायगी। उसमें हरिजन भी शामिल हैं ।

श्री बाबू नन्दन--परती जमीनों में से क्या हमारे उपाध्याय जी को भी सरकार जमीन देने की बात सोच रही है ?

अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता । माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य का नाम इस तरह मजाक में न लिया करें ।

भद्रुक दुग्धशाला के दूध का वितरण तथा घाटा

*५२--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भद्रुक दुग्धशाला में कितने मन दूध प्रतिदिन जमा होता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--भद्रुक दुग्धशाला में आजकल करीब ३६ मन दूध प्रति दिन जमा होता है ।

*५३---श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दूध की पैदावार में से कितने मन सरकारी कर्मचारियों, जनता, अस्पतालों और विश्वविद्यालय के होस्टलों में दिया जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---दूध का वितरण संलग्न सूची में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७८ पर)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)---क्या यह सही है कि सन् १९५०-५१ में भद्रुक डेरी के दूध की जाँच हेल्थ आफसिर ने की, उसको अडल्ट्रेटेड पाया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत---मेरे पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है, अगर माननीय सदस्य इसका नोटिस देंगे तो पता लगा कर बतला दूंगा ।

*५४---श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५१ ई० तक भद्रुक डेयरी पर कितना खर्चा हो चुका है और आजकल कितने घाटे पर चल रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---मार्च सन् १९५२ ई० तक भद्रुक डेयरी पर ३०,६४,७९१ रु० १४ आने खर्च हुआ । अप्रैल, मई, जून, की तिमाही में करीब १४,००० रु० का घाटा रहा ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार कृपया बतलावेगी कि भद्रुक डेयरी कब से चल रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---३ साल से चल रही है ।

श्री नेकराम शर्मा---इस डेयरी को सेल्फ-सपोर्टिंग क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत---कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक नहीं बन पाई है ।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)---इस घाटे को पूरा करने के लिये सरकार क्या योजना बना रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---घाटे की दो वजह मालूम हुई हैं---एक तो चारे की कमी के कारण हमें चारा दूसरी जगह से लेना पड़ता था । दूसरे कुछ ऐसे जानवर जमा हो गये थे, जिनसे घाटा ज्यादा होता था । चारे के लिये काफी जमीन डेयरी के साथ लगा दी गई है और फालतू जानवरों को भी अलहदा कर दिया गया है । अब उम्मीद है कि शायद आगे घाटा न रहे ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार को मालूम है कि सन् १९४९-५० में फाइनेंस कमेटी में यह प्रस्ताव पास हुआ कि इस डेयरी को सेल्फ सपोर्टिंग बनाया जाय और उसे कुछ भी रकम बजट से न दी जाय । इस पर अमल क्यों नहीं हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत---कोशिश तो की जा रही है कि जो हिदायतें हैं उन पर अमल किया जाय ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें जो घाटा बतलाया गया है उसमें रुपये की ब्याज भी शामिल है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---घाटे में डिप्रिसियेशन फंड और ब्याज सभी चीज लगाई जाती है ।

श्री नेकराम शर्मा---हमारे प्रान्त की आर्थिक दशा को देखते हुये क्या यह उचित नहीं समझा जाता कि जब इतना बड़ा घाटा हो रहा है तो डेरी को बंद कर दिया जाय?

श्री जगन प्रसाद रावत---जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उस पर जरूर विचार किया जायगा, अगर यह समझा गया कि उसमें घाटा ही होता रहेगा । लेकिन गवर्नमेन्ट पहिले इस बात की कोशिश करेगी कि उसमें घाटा न हो ।

जून, १९५१ ई० से जून, १९५२ तक जिलाधीश, एटा की अदालत में माल व फ़ौजदारी की अपीलों के फैसले

*५५--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले के जिलाधीश की अदालत में पिछले जून सन् १९५१ से जून १९५२ तक माल व फौजदारी की कितनी अपीलें दायर हुईं और उनके दायर होने की तारीख क्या हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--एटा जिले के जिलाधीश की अदालत में पिछले जून सन् १९५१ से जून सन् १९५२ तक माल की १२७ अपीलें और फौजदारी के ७ रिवीजन दायर हुये। माल की अपीलें किस महीने में कितनी दायर हुईं, इसकी सूचना सम्बद्ध सूची में दी हुई है। फौजदारी के रिवीजन के दायर होने की तारीखें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७९ पर)

*५६--श्री चिरंजीलाल जाटव--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन अपीलों में कितनी अपीलों के फैसले हो गये तथा कितनी अदालत में बाकी हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माल की १२७ अपीलों में से ७१ अपीलों का तथा फौजदारी के सभी रिवीजनों का फैसला हो गया। माल की ५६ अपीलों का फैसला करना बाकी है।

श्री चिरंजीलाल जाटव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इतनी बड़ी संख्या में माल के मुकद्दमों का फैसला न होने का क्या कारण है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिलाधीशों ने अपीलों के अलावा और भी मुतफर्रिक मुकद्दमात फैसल किये। मुखियागिरी के ६, लोकल बाडीज के १२, ट्रान्सफर आफ क्रिमिनल केसेज के १०० मुकद्दमे फैसल किये। इसके अलावा, १९५१ की जून से १९५२ तक जेड० ए० एफ० का काम ज्यादा चला तथा उसके बाद जनरल इलेक्शन के कामों में व्यस्त रहने के कारण अपीलों का फैसला नहीं हो सका।

टेहरी-गढ़वाल में मालगुजारों के चुनाव का आदेश

*५७--श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या यह सच है कि टेहरी-गढ़वाल में वहां के प्रचलित ग्राम प्रधान नियम के विपरीत जिलाधीश ने नये मालगुजारों के चुनाव का आदेश जारी किया ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह सच है कि जिलाधीश ने प्रत्येक गांव में मालगुजारों के चुनाव का आदेश जारी किया है। जिलाधीश ने यह आदेश टेहरी-गढ़वाल के प्रचलित ग्राम प्रधान सम्बन्धी नियम के अन्तर्गत नियम १ (क) के अनुसार दिया है। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि अब तक कितने मालगुजार किस आज्ञा के अनुसार अलग किये गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसकी पूरी संख्या तो मुझे इस समय नहीं मालूम। प्रत्येक ग्राम में एक-एक रखने का कायदा बना दिया गया है।

*५८--श्री रणञ्जय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

कपास की उपज में वृद्धि के प्रयत्न

*५९--श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कपास की कौन-कौन उन्नत जातियों को वह प्रान्त के कृषकों को बोने की सिफारिश करती है ?

श्री चरण सिंह---सरकार उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित सुधरी हुई कपास की जातियों को बोने के लिए सिफारिश करती है---

(१) देशी जाति से चुनी हुई ३५/१ नम्बर की कपास सिंचित तथा असिंचित दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों के लिए।

(२) अमेरिकन जाति की कपासों से चुनी हुई, २१६ एफ कपास पश्चिमी जिलों के सिंचित क्षेत्रों के लिए।

(३) एल० एस० एस० कपास, तराई क्षेत्रों के लिए।

*६०---**श्री शिवकुमार शर्मा**---क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि कलाई फार्म, अलीगढ़, पर आजकल भी कपास अनुसन्धान का कार्य होता है ?

श्री चरण सिंह---कलाई फार्म (अलीगढ़) में अब पूर्णतया कपास अनुसन्धान का ही कार्य नहीं होता है, अन्य फार्मों की भांति यह फार्म इकोनोमिक बोटैनिस्ट (कपास) के प्रयोगों को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

*६१---**श्री शिवकुमार शर्मा**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कपास की उपज में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री चरण सिंह---कपास की उपज में वृद्धि के लिए सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं---

१---सुधरी हुई जाति के कपास के बीजों का संवर्धन तथा वितरण।

२---कपास के सिंचित क्षेत्र की वृद्धि के लिये प्रचार कार्य। इस हेतु सरकार ने गत वर्ष ३० जून तक बोये गये अतिरिक्त क्षेत्रफल में पलेवा के सिंचाई व्यय की छूट दी थी।

३---कपास प्रतियोगिता की एक योजना भी सरकार के विचाराधीन है जिसके अनुसार जिले में ३५० रुपया, २०० रुपया तथा १०० रुपया के तीन पारितोषिक दिये जावेंगे। इसके अतिरिक्त १,००० रुपया का एक प्रान्तीय पारितोषिक भी है, जो उस व्यक्ति को दिया जावेगा, जो अमेरिकन कपासों का किसी भी जाति का २० मन प्रति एकड़ से अधिक उत्पादन करने में सफल होगा। इससे कृषकों का उत्साह बढ़ेगा और फलस्वरूप कपास की प्रति एकड़ उपज की वृद्धि में यह योजना अत्यन्त सहायक सिद्ध होगी।

४---कपास की फसल में खाद डालने के लिए प्रचार कार्य तथा फसल में फूल खिलते समय प्रयोग करने के लिए अमोनियम सलफेट खाद का प्रबंध।

अकाल क्षेत्र के जिलों में मवेशियों के चारे का प्रबन्ध

*६२---**श्री रामसुन्दर राम** (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अकाल क्षेत्र के जिलों में मवेशियों के चारे के लिए भी कोई प्रबन्ध है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरण सिंह---जिन जिलों में जानवरों के चारे की कमी है या होती है वहां पर यदि वन विभाग के सुरक्षित बन हैं तो उनको चराई के लिये खोलकर व निकटवर्ती जिलों से भूसा भेज कर तथा बन विभाग से सूखी घास भेजकर, वहां के जानवरों के चारे का प्रबन्ध किया जाता है।

*६३---**श्री राम सुन्दर राम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अकाल घोषित जिलों में बस्ती भी शामिल है ? यदि है तो वहां के मवेशियों के चारे का क्या उपाय सरकार कर रही है ?

श्री चरण सिंह---अकाल घोषित जिले उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हैं। बस्ती उन जिलों में शामिल है, जहां जानवरों के चारे की कमी की चर्चा थी, वहां के जानवरों के चरने के लिये निकटवर्ती सुरक्षित बन खोल दिये गये हैं। वर्षा के होने के कारण स्थिति सुधर गई है। अब चारे की कमी की शिकायत नहीं है।

गाजीपुर जिले में टेस्ट वर्क

*६४--श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि गाजीपुर जिले में, जहां चार-पांच साल से बराबर सूखा पड़ रहा है और जहां पत्थर से भी फसल को काफी क्षति हुई है, सरकार ने क्या सहायता की है और कौन-कौन टेस्ट वर्क किन किन तहसीलों में कहां-कहां शुरू किये हैं ?

श्री चरण सिंह--मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८० पर)

*६५--श्री भोला सिंह यादव--क्या सरकार कृपया वह यह बतलायेगी कि टेस्ट वर्क जो कराया जा रहा है उसमें १० आने रोज दिया जाता है ? क्या उस काम के लिये कोई समय नियत है ?

श्री चरण सिंह--जी हाँ। काम के लिये यों तो समय निश्चय नहीं, पर साधारणतया हर जगह मजदूरी में दिन आठ आठ घंटे का माना जाता है। और यही समय जिलाधीश, गाजीपुर ने भी रक्खा है। मजदूरी नियमानुसार जितना काम निर्धारित किया गया है, उसी के मुताबिक दी जाती है।

*६६--श्री तारा चन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--[१४ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

बनारस सदर तहसील में जमींदारी उन्मूलन कोष के रुपये का गबन

*६७--श्री राम लखन (जिला बनारस)--क्या सरकार को मालूम है कि बनारस सदर तहसील में जमींदारी उन्मूलन कोष का करीब एक लाख रुपया गबन हुआ है ? यदि हां, तो संबन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं, अभी तक केवल २७,६७१ रुपया ५ आना ८ पाई के गबन का पता चला है। इस सम्बन्ध में अभी तक जाँच हो रही है, जिसके समाप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

विलीन काशी राज्य में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की १५४ से १६७ धाराओं को लागू करना

*६८--श्री राम लखन--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि विलीन काशी राज्य में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारायें १५४ से १६७ तक को कब लागू करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह--समस्त विलीन क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट को लागू करने के प्रश्न पर सरकार स्वयं विचार कर रही है। इस ऐक्ट का आंशिक रूप में लागू करना न तो संभव ही है और न हित कर ही होगा।

गोरखपुर जिले में तहसील कलेक्टरेट तथा जजी कचेहरियों के अर्दली

*६९--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में तहसील कलेक्टरेट, जजी कचहरियों में कुल कितने अर्दली हैं, उनमें कितने मुस्तकिल और कितने उम्मीदवार हैं ?

श्री चरण सिंह--गोरखपुर जिले में कलेक्टरेट, जिनमें तहसील भी शामिल है और जजी कचहरियों में अर्दली की जगहें क्रम से कुल ३४ और २५ हैं। इन जगहों में कलेक्टरेट में ३० जगहों पर और जजी में २३ जगहों पर मुस्तकिल अर्दली काम कर रहे हैं और बाकी जगहों पर काम करने वाले उम्मीदवार हैं।

*७०---श्री केशव पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन चपरासियों का कोई सरकारी रजिस्टर है और उसमें क्रमशः नम्बर होता है, जिसके अनुसार चपरासियों की मुस्तकिल नियुक्ति होती है ?

श्री चरण सिंह---जी हाँ, इन चपरासियों का एक सरकारी रजिस्टर है और उसमें क्रमशः नम्बर होता है, जिसके अनुसार साधारणतः चपरासियों की मुस्तकिल नियुक्ति होती है ?

जिला लखीमपुर-खीरी में मुकदमों के फैसलों में विलम्ब

*७१---श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)---क्या न्याय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर-खीरी में कोई ऐसे भी दफा ५९ के केस हैं, जिनका फैसला चार महीने से मुल्तवी है ?

श्री चरण सिंह---जी हां, जिला खीरी में दफा ५९के ५ ऐसे मुकदमें हैं, जिनके फैसले ४ महीने या उससे अधिक समय से मुल्तवी हैं।

*७२---श्रीमती लक्ष्मी देवी---क्या न्याय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा नियम है जिसके अनुसार किसी नियत अवधि के भीतर मुकदमों का निर्णय किया जाय ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार साल के किसी मुकदमें का किसी नियत अवधि के अन्दर फैसला हो जाना जरूरी है।

टिड्डियों के दलों से खरीफ़ की फ़सल को बचाने के उपाय

*७३---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि टिड्डियों के दल, जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं या करने ही वाले हैं, उनसे खरीफ की खेती को बचाने के लिये सरकार ने कौन सा कदम उठाया है ?

श्री चरण सिंह---संसार के हर एक देश में सरकार की यह चेष्टा रहती है कि यथाशक्ति उड़ने वाले टिड्डी दल को उनके फांकों तथा अन्डों को नष्ट करे ताकि टिड्डियों की संख्या कम होती जाय और उनसे खेती की हानि का भय कम होता जाय। इस कार्य के लिये इस प्रदेश में सन् १९५० ई० से एक टिड्डी विनाशक संगठन स्थापित है और इस संगठन को सुधारने का सदा प्रयत्न किया जाता है। जिले के अन्दर टिड्डियों को नष्ट करने की जिम्मेदारी जिलाधीश की है और इस कार्य में प्रदेश (कृषि रक्षा सेवा) के कर्मचारी दवाइयों, मशीनों तथा अन्य वस्तुओं द्वारा उसकी सहायता करते हैं। जिले के योजना विभाग के कर्मचारी भी इस कार्य में सहायता देते हैं। इस प्रदेश के २२ जिलों में कृषि रक्षा सेवा के कर्मचारी, दवाइयां, मशीनें और टिड्डी मारने के अन्य सामान रक्खे गये हैं, जहाँ से वे अन्य जिलों में भी टिड्डियों को नष्ट करने के वास्ते भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलों में भी फावड़ा, खुरपी, मिट्टी का तेल, लालटेन, बाल्टी इत्यादि आवश्यकीय वस्तुएं रक्खी गई हैं। इस वर्ष सरकार ने अभी तक ३०,००० रुपये टिड्डियों को नष्ट करने के हेतु स्वीकृत किये हैं, जिसमें से अब तक २१,५०० रुपये जिलाधीशों में बाँटे जा चुके हैं। गत मास में सरकार ने प्रदेश के कीट विशेषज्ञ को १,२५,००० रुपया प्रदान किये जिसमें से १,१०,००० रुपया दवाइयाँ व मशीनें खरीदने के हेतु हैं। कीट विशेषज्ञ के पास पहले से भी आवश्यकीय सामान पर्याप्त मात्रा में इस कार्य के लिये हैं। अतः सरकार हर प्रकार से टिड्डियों के आक्रमण से खेती को बचाने के लिये प्रस्तुत रहती है। टिड्डियों के विषय में छपे हुए पर्चे तथा टिड्डी साहित्य संबन्धी नोट प्रत्येक जिले में बाँटे गये हैं और प्रदेश के सूचना विभाग द्वारा इस विषय में सिनेमा के फिल्म भी बहुत से जिलों में दिखाये गये हैं, जिससे लोगों को मालूम हो जाय कि टिड्डियों के आने पर क्या क्या करना चाहिए।

*७४---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्त के किन किन जिलों में टिड्डियों के दलों का प्रवेश हो चुका है ?

श्री चरण सिंह—सन् १९५२ ई० में अब तक जुलाई के महीने में बुलन्दशहर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद तथा मथुरा जिलों में टिड्डी दल का प्रवेश हुआ। जिला बुलन्दशहर की खुर्जा तहसील में टिड्डियों ने अन्डे दिये और ११ गाँव में फांके दिखाई दिये। टिड्डियों के अन्डों व फांकों को शीघ्र ही पूर्णतया नष्ट कर दिया गया और खेती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगस्त के महीने में केवल बनारस जिले में टिड्डी दल उड़ते देखे गए, परन्तु कोई नुकसान नहीं हुआ।

रोड ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण

*७५—**श्री रामजी लाल सहायक** (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसकी नीति प्राइवेट मोटर कम्पनियों की जगह राजकीय बसों को ही स्थान देने की है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हाँ, सरकार की नीति रोड ट्रान्सपोर्ट का रफ्ता रफ्ता राष्ट्रीयकरण करने की है।

सरकारी कृषि फार्म, नीलगांव के स्थापन पर व्यय

*७६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कृषि फार्म नीलगाँव स्थापन में कुल कितना रुपया अभी तक खर्च किया जा चुका है तथा कर्मचारियों और अन्न स्टाक के लिये कितने भवनों का निर्माण किया जा चुका है, उनमें कितना लोहा, ईंटा, सीमेंट और मजदूरी लग चुकी है?

*७७—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ईंटों के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे या किसी अन्य उपाय द्वारा ईंटें प्राप्त की गयीं?

श्री चरण सिंह—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है। आशा की जाती है कि इन प्रश्नों के उत्तर १३ अक्तूबर, १९५२ ई० तक दिये जा सकेंगे।

ज़मीनों की चकबन्दी

*७८—**श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फर्रुखाबाद)—जमीनों की चकबन्दी का काम इस प्रदेश में कब से शुरू होगा?

श्री चरण सिंह—एक कमेटी राजस्व मन्त्री की सदारत में चकबन्दी का काम इस प्रांत में नये ढंग से शुरू करने के मामले पर गौर कर रही है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने पर जल्द से जल्द चकबन्दी के कानून में जरूरी तरमीम की जायेगी। उम्मीद है कि इस फसली साल के आखीर तक यह काम शुरू हो जायगा।

जमींदारों के कर्ज़े का कानून

*७९—**श्री सुल्तान आलम खां**—क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि जमींदारों के क़र्ज़े के क़ानून कब तक पेश किये जायंगे?

श्री चरण सिंह—उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ पर तारीख़ ५ सितम्बर, १९५२ ई० को विधान सभा में विचार होकर प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया।

जिला बदायूं में सिविल तथा कलेक्टरी कचहरियों में हरिजन चपरासियों, अहलमदों तथा प्रतिलिपि लेखकों की संख्या

*८०—**श्री चुन्नी लाल सगर** (जिला बदायूं)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में सिविल तथा कलेक्टरी कचहरियों में चपरासियों, अहलमदों तथा प्रतिलिपि लेखकों की संख्या अलग-अलग क्या है? इनमें से कितने व्यक्ति हरिजन समुदाय के हैं?

श्री चरण सिंह---मांगी हुई सूचना नत्थी की हुई सूची में प्रस्तुत है, इनमें कोई व्यक्ति हरिजन समुदाय का नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३ पर)

जिला बदायूं की दातागंज तहसील में हरिजन चपरासी

*८१---**श्री चुन्नीलाल सगर**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की तहसील दातागंज में १ मार्च, १९५२ ई० से ३० जून, १९५२ ई० तक चपरासियों का काम करने के उम्मीदवारों में से कितने हरिजन वर्ग के थे और उनमें से कितने लिये गये ?

श्री चरण सिंह---जिला बदायूं की तहसील दातागंज में १ मार्च सन् १९५२ ई० से ३० जून सन् १९५२ ई० तक किसी भी चपरासी की भर्ती नहीं हुई, अतः इस बीच में किसी हरिजन के उम्मीदवार होने और लिये जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

रामपुर, नैनीताल व बरेली जिलों में सरकारी अफसरों को दी गई भूमि

*८२---**श्री नवल किशोर** (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रामपुर, नैनीताल व बरेली के जिलों में किन किन सरकारी अफ़सरों अथवा उनके लड़कों या अन्य सम्बन्धियों के नाम कितनी कितनी-भूमि फ़ार्मों के लिए दी गयी है ?

*८३---उक्त सरकारी अफ़सरों में से कौन कौन उस समय जब कि यह ज़मीनें फ़ार्म के लिए ली गयी थीं, इन्हीं जिलों में नियुक्त थे और उनमें से कौन कौन आज भी वहां मौजूद हैं ?

*८४---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन सरकारी अफ़सरों या उनके सम्बन्धियों को सरकार की ओर से खेती के लिए क्या-क्या सुविधाएं व सहायता प्राप्त हैं अथवा हो चुकी हैं ?

श्री चरण सिंह---माननीय सदस्य मेरे कमरे में आकर सूची देख सकते हैं, क्योंकि सूची बहुत लम्बी है और उसकी प्रतियां बनाने में बहुत समय और परिश्रम लगेगा। उस सूची में उन सरकारी अफसरों, उनके लड़कों और अन्य सम्बन्धियों के नाम दिये हुये हैं, जिन्हें रामपुर, बरेली और नैनीताल में फार्म के लिये भूमि दी गई है। उस सूची में यह भी दिया हुआ है कि कौन-कौन अफसर उसी जिले में नियुक्त थे जब भूमि दी गई थी और अब भी मौजूद हैं और उनको खेती के लिये क्या-क्या सुविधायें व सहायतायें प्राप्त हैं अथवा हो चुकी हैं।

तहसीलदार, बांस गांव के आचरण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*८५---**श्री राम अवध सिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसीलदार, बांसगांव, जिला गोरखपुर के आचरण के सम्बन्ध में जनता की ओर से कितनी दरख्वास्तें सरकार के पास आयीं ? क्या उनकी जांच हुई ? यदि हां, तो क्या फल प्राप्त हुआ ?

श्री चरण सिंह---जनता की ओर से तहसीलदार बांसगांव, जिला गोरखपुर के आचरण के सम्बन्ध में सरकार के पास ३ दरख्वास्तें आयीं। इनमें से २ की जांच की जा चुकी है, पर चूंकि किसी दरख्वास्त दिहंदा ने भी अपनी दरख्वास्त की ताईद नहीं की, कोई कार्यवाही तहसीलदार के खिलाफ नहीं की जा सकी। तीसरी दरख्वास्त की अभी तहक़ीक़ात हो रही है। चूंकि तहसीलदार, श्री जोगेन्द्र सिंह, का व्यवहार आमतौर पर जनता तथा अहलकारों के साथ अच्छा नहीं था, इसलिये उनका गोरखपुर से तबादला कर दिया गया। उनके विरुद्ध जब वे अलीगढ़ जिले में थे, कुछ शिकायतें रिश्वत लेने की थीं, उनके कारण उन्हें पदच्युत कर दिया गया है और उनका मामला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीब्युनल के सामने भेज दिया गया है।

*८६---**श्री रामअवध सिंह**---क्या यह सत्य है कि उक्त तहसीलदार के आचरण पर आक्षेप करते हुए बांसगांव तहसील के एक कर्मचारी ने बयान हलफ़ी के साथ कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह--तहसील के किसी कर्मचारी ने कोई प्रार्थना-पत्र तहसीलदार के खिलाफ नहीं दिया। श्री गोरख प्रसाद, नकल नवीस, तहसील बासगांव ने परगनाधीश के सामने हलफिया बयान अवश्य दिया, पर चूंकि उसके बयान में कोई सीधा आरोप तहसीलदार के विरुद्ध नहीं था और जिस बात की शिकायत उसके विरुद्ध की गयी थी वह साबित न हो सकी, तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्यवाही न की जा सकी।

*८७--**श्री तुलसी राम** (जिला बदायूं)--[१३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

* ८८--**श्री तुलसी राम** [२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

मदन टाकीज, सीतापुर का किराया

*८९--**श्री कृष्ण चन्द्र गुप्त** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मदन टाकीज (सिनेमा), सीतापुर का, जोकि कोर्ट आफ़ वार्ड्स में है, सरकार सालाना कितना किराया वसूल करती है ?

श्री चरण सिंह--कोर्ट आफ वार्ड्स, सीतापुर, मदन टाकीज (सिनेमा) का ३,६०० रुपये सालाना किराया वसूल करती है।

*९०--**श्री कृष्ण चन्द्र गुप्त**--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कोर्ट आफ़ वार्ड्स और मदन टाकीज के बीच किराये के मामले में सरकार से क्या शर्तें हैं ?

श्री चरण सिंह--कोर्ट आफ वार्ड्स एक स्वायत्त संस्था है और जो कुछ शर्तें किराये के बारे में मदन टाकीज से हुई हैं वे कोर्ट आफ वार्ड्स ने ही तय की हैं। सरकार का उनसे कोई वास्ता नहीं है। कोर्ट आफ वार्ड्स और मदन टाकीज के बीच यह निश्चित है कि मदन टाकीज ३०० रु० मासिक किराया देता रहेगा।

*९१--**श्री कृष्ण चन्द्र गुप्त**--क्या सरकार यह बतलायेगी कि मदन टाकीज का पट्टा (लीज) खतम होने पर क्या सरकार नये सिरे से प्रार्थना पत्र मांगती है ? यदि हां, तो कितने प्रार्थनापत्र पिछले वर्ष आये थे और किस आधार पर निर्णय किया गया था ? यह पट्टा कितने दिन का होता है ?

श्री चरण सिंह--यह पहले ही बतला दिया गया है कि सरकार का पट्टे के मामले से कोई सरोकार नहीं है। मदन टाकीज के नाम पट्टा १४ नवम्बर, सन् १९४८ ई० को खतम हो गया, पर कोर्ट आफ वार्ड्स सिनेमा हाल मदन टाकीज से धारा ३, यू० पी० टेम्पोरेरी रेंट कंट्रोल ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७, के कारण खाली नहीं करा सकती। अतः नये सिरे से प्रार्थना-पत्र मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बांदा की मऊ, करवी तहसील में सिंचाई का प्रबन्ध

*९२--**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा)--सरकार प्लानिंग कमेटी तथा कलेक्टर साहब, बांदा की रिपोर्ट पर मऊ, करवी तहसील के सिंचाई के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरण सिंह--कलक्टर बांदा ने उक्त क्षेत्र की सिंचाई के लिये कुछ प्रस्ताव अप्रैल, १९५२ में प्लानिंग कमेटी की सहमति से भेजे थे। उक्त सिंचाई की योजनाओं में कुछ ऐसी हैं, जो विशेषज्ञों के मतानुसार इस क्षेत्र में कार्यान्वित नहीं की जा सकतीं और कुछ की लागत इतनी अधिक होगी कि वर्तमान आर्थिक तंगी में उनको कार्यान्वित करना कठिन है। यदि काश्तकार इनमें से कुछ सिंचाई के काम बनाना या दुरुस्त कराना चाहें तो उन्हें विशेषज्ञ राय तथा उत्तर प्रदेश तकावी नियमावली के अन्तर्गत तकावी ऋण दिया जा सकता है। वैसे अभी सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*९३-९४--**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)-- [१३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

[८ सितम्बर, १९५२ के परिवहन मन्त्री के स्थगित तारांकित प्रश्न]

* * * *

कानपुर रीजन में छिबरामऊ-गुरसहायगंज लाइन पर चलने वाली बसें

*७८---श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कानपुर रीजन में छिबरामऊ-गुरसहायगंज लाइन में कितनी बसें चलाना तै किया गया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---तीन। (दो रोडवेज की और एक प्राइवेट आपरेटर की।)

*७९---श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस लाइन पर ५१ ई० में कितनी बसें चलती थीं और सन् ५२ ई० में कितनी बसें उस लाइन पर चलने को रक्खी गयी हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---सन् १९५१ में उस लाइन पर तीन रोडवेज की बसें और एक प्राइवेट बस चलती थी। सन् १९५२ में रोडवेज की दो बसें और एक बस प्राइवेट आपरेटर की उस लाइन पर चलने को रखी गई हैं क्योंकि यात्रियों की संख्या देखते हुए अनुभव हुआ है कि उस रूट पर केवल ३ बसें काफ़ी हैं।

गोरखपुर जिले के रोडवेज के ड्राइवरों तथा कंडक्टरों के निवास स्थान का प्रबन्ध

*८०---श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में सरकारी रोडवेज विभाग में कितने ड्राइवर और कितने कन्डक्टर हैं और सरकार ने उनके रहने के लिए कितने निवासस्थान किस स्टेशन पर बना रखे हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---गोरखपुर जिले में सरकारी रोडवेज विभाग के २६ ड्राइवर और १९ कन्डक्टर हैं। उनके रहने के लिये निवास-स्थान का प्रबन्ध सरकार नहीं करती।

गोरखपुर के रोडवेज स्टेशनों पर मुसाफिरखानों तथा पानी पीने का प्रबन्ध

*८१---श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर के सरकारी रोडवेज के कितने स्टेशनों पर सरकार ने अभी तक मुसाफिर-खाने और यात्रियों के पानी पीने का कोई प्रबन्ध नहीं किया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---गोरखपुर जिले के केवल एक स्टेशन पर मुसाफिर-खाने का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है, परन्तु पानी पीने का प्रबन्ध सभी स्टेशनों पर है।

[सोमवार, २२ सितम्बर, १९५२ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न]

* * * *

जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को बनारस जिले के परगना कसवार राजा में प्रचलित करना

*६---श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)---क्या माल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को वे बनारस जिले के परगना कसवार राजा में कब से प्रचलित करेंगे?

श्री चरण सिंह---बनारस जिले के परगना कसवार राजा में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम आवश्यक परिष्कारों के साथ विज्ञप्ति संख्या १६२९-आर/१-अ---२९३-४९, दिनांक २८ अगस्त, १९५२ ई० के अनुसार २८ अगस्त, सन् १९५२ ई० से प्रसारित कर दिया गया है।

*७---श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)---क्या माल मन्त्री यह बतायेंगे कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत धारा ४ की विज्ञप्ति वे इस क्षेत्र के लिये कब जारी करने का विचार रखते हैं ?

श्री चरण सिंह--उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत धारा ४ की विज्ञप्ति जारी करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। यह विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी की जायगी।

[२२ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न]

"अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अधीन ट्रैक्टर खरीदने के लिये तकावी पर रुपया देना

*१--**श्री वीरेन्द्रपति यादव** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में "अधिक अन्न उपजाओ" के सम्बन्ध में ट्रैक्टर खरीदने के लिए तकावी पर रुपया दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री जगन प्रसाद रावत--"अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अधीन ट्रैक्टर खरीदने के लिये तकावी अभी तक उन जिलों में दी जाती थी, जिनमें निम्नलिखित सुविधायें आसानी से प्राप्त हों :--

(क) जहां खेती योग्य परती भूमि (culturable waste land) के १०० एकड़ के सामूहिक भूखंडों (compost blocks) की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो,

(ख) जहां खेती करने के लिये मजदूरों की कमी हो, और

(ग) जहां ट्रैक्टरों की मरम्मत का साधन हो।

चूंकि मैनपुरी जिले में उपरोक्त सुविधायें नहीं प्राप्त थीं, इसलिये ट्रैक्टर खरीदने के लिये तकावी पर रुपया नहीं दिया गया। परन्तु अब प्रदेश के समस्त जिलों में इस हेतु तकावी पर रुपया देने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

अनाज उत्पादन में वृद्धि

*२--**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि १९४५ ई० के मुक़ाबले में अब अनाज उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई?

श्री जगन प्रसाद रावत--सन् १९४५-४६ ई० में लगभग ३.५३ लाख एकड़ भूमि पर अनाज की फसलें बोई गई थीं और उनसे ७२.८५ लाख टन (धान को छोड़कर) पैदावार प्राप्त हुई थी। जबकि सन् १९५१-५२ में लगभग ३.६६ एकड़ भूमि पर अनाज की फसलें बोई गई थीं और उनसे ७३.५७ लाख टन (धान को छोड़कर) उपज प्राप्त हुई। इस प्रकार १३,००० एकड़ अधिक भूमि पर काश्त हुई और ७२,००० टन की अनाज उत्पादन (धान को छोड़कर) में वृद्धि हुई।

सन् १९५१--५२ में धान की उपज लगभग १५.८० लाख टन थी। १९४५-४६ के धान की उपज के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५१-५२ के जो आंकड़े हैं वह अभी अन्तिम आंकड़े नहीं हैं।

कपास, सब्जियों और बाग़ों की पैदावार में वृद्धि

*३--**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कपास, सब्जियों और बाग़ात की पैदावर में सन् १९४५ ई० के मुक़ाबले में कितनी वृद्धि हुई?

श्री जगन प्रसाद रावत--सन् १९४५-४६ ई० में लगभग १.९५ लाख एकड़ भूमि पर कपास बोई गई थी और उससे ५७,८८६ गांठें कपास की पैदावार प्राप्त हुईं। इसके पश्चात् इसके क्षेत्रफल में शनैः शनैः करके कमी होने लगी। यहां तक कि सन् १९५०-५१ में इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल केवल ४.०६ लाख एकड़ रह गया और पैदावार ४५,००० गांठें। कपास विकास योजना के अन्तर्गत जो अप्रैल, १९५० ई० में आरम्भ हुई, कपास का क्षेत्रफल सन् १९५१-५२ में बढ़कर लगभग १.९३ लाख एकड़ हो गया जिससे ६२,११५ गांठ अर्थात् ४,२२९ गांठ अधिक कपास का उत्पादन हुआ। १९५१-५२ के आंकड़े अभी अन्तिम आंकड़े नहीं हैं।

जहाँ तक कि बागात की पैदावार का संबंध है नये बागों के लगाये जाने और पुराने बागों को पुनर्जीवित करने का विस्तृत रूप से कार्य सन् १९४७–४८ ई० से आरम्भ हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	नये बागों का क्षेत्र-फल एकड़ में	पुनर्जीवित बागों का क्षेत्रफल एकड़ में
१९४७—४८	.. ..	३८६३.५० ४४५७.१०
१९४८—४९	.. ..	९३०७.५६ ८३७९.०६
१९४९—५०	.. ..	१३५८९.०० ११६१०.१६
१९५०—५१	.. ..	१६८८२.७१ ८९०१.०१
१९५१—५२	.. ..	१२०३९.९० ८६५८.१५

जब यह बाग फलना आरम्भ करेंगे तो अनुमान किया जाता है कि इनसे १० लाख मन प्रतिवर्ष अधिक पैदावार प्राप्त होगी।

सब्जियों की काश्त के क्षेत्रफल तथा उत्पादन की प्रगति के कोई आँकड़े नहीं रक्खे जाते।

* * * *

उत्तर राप्ती, तहसील डुमरियागंज, ज़िला बस्ती में पशु चिकित्सालय

*२१—श्री रामनखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर राप्ती, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती, में कोई पशु चिकित्सालय है ? यदि नहीं, तो राजकीय स्तर पर पशुओं की रक्षा का इस भाग में क्या प्रबन्ध है ?

श्री चरण सिंह—डुमरियागंज जिला बस्ती में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक पशु चिकित्सालय है जहाँ पशु पालन विभाग की ओर से एक वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन नियुक्त किया गया है, इसी तहसील के सोहना तथा भानपुर नामक स्थानों पर एक एक स्टाकमैन भी विभाग द्वारा नियुक्त हैं। ये कर्मचारी उक्त तहसील में पशुओं की रक्षा तथा विकास का यथासम्भव प्रबन्ध करते हैं।

* * * *

प्रतापगढ़ जिले में काश्तकारों के खेतों पर ज़मीदारों अथवा उनके दलालों द्वारा कब्जा

*४५—श्री राजाराम किसान (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले की हर एक तहसील में पहिली जुलाई, १९५२ ई० से अब तक कितनी दरख्वास्तें हाकिम परगना के पास आयी हैं, जिनमें कहा गया हो कि काश्तकारों के खेत जबरदस्ती जमींदारों या उन के दलालों द्वारा क़ब्जा किये जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—कुल १९८ ऐसी दरख्वास्तें हाकिम परगना के यहाँ दी गईं जिनका तहसीलवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	तहसील	दरख्वास्तों की संख्या
१	पट्टी	६
२	सदर	१८६
३	कुन्डा	६

*४६--श्री राजाराम किसान (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतावेगी कि प्रश्न १ से सम्बन्धित कितने प्रार्थना-पत्र पुलिस को जाँच के लिए दिये गये और उनकी जाँच में कितने सही निकले ?

श्री चरण सिंह--इन १९८ दरख्वास्तों में से कितनी सही हैं और कितनी नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट सारी दरख्वास्तों पर अभी मुकम्मिल नहीं हुई है ।

अतारांकित प्रश्न

झांसी जिले में राजनीतिक पीड़ितों के नाम से मोटर ठेलों के परमिट

१--श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में राजनीतिक पीड़ितों के नाम से लोगों को कब-कब और कितने मोटर ठेलों के परमिट दिये गये ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--माँगी गई सूचना नत्थी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८४ पर)

२--श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या सरकार उक्त परमिटों से सम्बन्धित लोगों के पते, ठेलों के नम्बर तथा उनके चलने का रोजन बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--माँगी गई सूचना नत्थी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८४ पर)

दिल्ली नार्दर्न रेलवे की स्थानिक परामर्शदात्री समिति के लिये निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

अध्यक्ष--मुझे कुछ सूचना देनी है । दिल्ली नार्दर्न रेलवे की स्थानिक परामर्शदात्री समिति के लिये एक सदस्य का निर्वाचन होना था । उसके लिये श्री देवदत्त शर्मा का नाम आया है और वे निर्वाचित हो गये ।

संस्कृत शिक्षा परिषद् के लिये निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

अध्यक्ष--संस्कृत शिक्षा परिषद् के लिये उत्तर प्रदेश से एक सदस्य का निर्वाचन होना था । उसके लिये एक श्री दीनदयालु शास्त्री का ही नाम आया है और वे निर्वाचित हो गये ।

कानपुर नार्दर्न रेलवे की स्थानिक परामर्शदात्री समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

अध्यक्ष--कानपुर नार्दर्न रेलवे की स्थानिक परामर्शदात्री समिति के लिये एक सदस्य का निर्वाचन होने वाला है, जिसके लिये दो नाम आये हैं । एक श्री परमानन्द सिंह और दूसरा श्री त्रिलोकीनाथ कौल का । नाम वापस लेने के लिये कल २३ तारीख को तीन बजे तक का समय हमने नियत किया है । अगर उस वक्त तक नाम वापस नहीं लिये गये तो चुनाव होगा, जिस तारीख को निश्चय होगा ।

अनुपूरक अनुदानों को उपस्थित करने की तिथि की घोषणा

अध्यक्ष--अनुपूरक अनुदानों के लिये २५ सितम्बर की बैठक में वह उपस्थित होंगे । यह तारीख निश्चित की गयी है ।

प्रश्नों के उत्तर देर में देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

अध्यक्ष—एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय गेंदा सिंह जी उठाना चाहते हैं। मैंने अभी उसको पूरी तरह से जाँचा नहीं है कि उनकी यह शिकायत कहाँ तक और किस आधार पर है। मैं इस सवाल को कल लूंगा, क्योंकि यह इतना आवश्यक भी नहीं है। यह रोजाना के प्रश्नों के संबंध में है कि प्रश्नों के जवाब देर में दिये जाते हैं। तो यह रोज का ही सवाल है। ऐसी अवस्था में मैं उसकी जाँच भी कल तक कर लूंगा।

उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२

गृह-मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९४ पर)

†उत्तर प्रदेश पब्लिक गेम्बलिंग (संशोधन) विधेयक, १९५२ (क्रमागत)

अध्यक्ष—अब† उत्तर प्रदेश पब्लिक गेम्बलिंग (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार जारी रहे।

खंड ५

ऐक्ट ३, १८६७ की धारा १५ का संशोधन

मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"15. Whoever, having been convicted of an offence punishable under section 3 or 4 of this Act, shall again be guilty of any offence punishable under either of the said sections, shall for every such subsequent offence be liable—

(*a*) if it is an offence under section 3, to a fine not exceeding one thousand rupees and to imprisonment of either description for a term not exceeding twelve months ; and

(*b*) if it is an offence under section 4, to a fine not exceeding five hundred rupees and to imprisonment of either description for a term not exceeding six months."

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक में निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं —

156

"खंड ५ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा १५ के स्थान में प्रस्तावित नयी धारा १५ की उपधारा (ए) की पंक्ति ४ में शब्द "twelve months" के स्थान पर शब्द "two years" रख दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेश्तर कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं, आपकी आज्ञा से मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो कि इस सदन में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने, विशेषकर विरोधी बेंचेज ने, यह बात कही थी कि कांग्रेस के एक सदस्य ने इस विधेयक में संशोधन तो उपस्थित कर दिये, लेकिन उनमें गट्स नहीं है कि वे उसे पेश कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में मेरे भी संशोधन थे और मैंने उनके लिये उचित समझा कि माननीय मन्त्री जी से बातचीत करके वापस लूं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों का उद्देश्य यह हो सकता है कि संशोधनों के द्वारा वह यहाँ कुछ भाषण देवें और उसके बाद उनका कार्य समाप्त हो जाता है, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों

†८ सितम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

को यह भी देखना होता है कि वे कार्यरूप में परिणत हो सकें। यह भी देखना होता है कि वह उचित है या नहीं और यदि वह यह समझ लेते हैं कि इससे सदन का समय नष्ट होगा तो मैं समझता हो हूं कि वह समुचित ही है कि अपने संशोधनों को वापिस ले लें। इसलिये मैंने माननीय मन्त्री जी से जब बातचीत की तो मुझे यह विश्वास हुआ कि मैंने जो तीन या चार खंडों में संशोधन उपस्थित किये थे वह व्यावहारिक रूप में शायद उचित नहीं होंगे और इसीलिये मैंने उनको वापिस ले लिया।

अब मैं आपके सामने इस संशोधन के रखने की आवश्यकता बताना चाहता हूं। इस संशोधन का उद्देश्य, जैसा कि बतलाया गया है, यह है कि इसकी सजाओं में सख्ती की जाय तो मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि सख्त सजा करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता उन अपराधों में है, जो कि दफा ३ के अन्तर्गत किये जाते हैं यानी वह लोग जो गैम्बलिंग हाउसेज़ को चलाते हैं अपने फायदे के लिये यानी नाल जहाँ वह प्राप्त करते हैं उसमें अभी तक जो अनुभव हुआ है वह यह है कि उसमें लोगों को गिरफ्तार कर लेना बड़ा कठिन होता है और फिर यह सिद्ध करना और भी कठिन हो जाता है कि वह नाल ले रहे थे या नहीं। अमूमन वह छूट जाते हैं। मेरा जो संशोधन है वह तो इसके साथ है जो बराबर निरन्तर अपराध करे, एक बार गिरफ्तार होने के बाद सजा पाने के बाद भी उसी अपराध को करे तो क़ानून की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिसमें उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो व्यवस्था अब तक बनी हुई है उससे यह काम पूरा नहीं होता है। आपके विधेयक का उद्देश्य भी यही है कि जिनका यह व्यापार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये, जो गैम्बलिंग डेन्स क़ायम करते हैं और उनमें लोगों को बुरी आदतें सिखावें उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य के सामने माइक्रोफोन मौजूद है। वे अपने गले को इतना कष्ट न दें।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं अध्यक्ष महोदय को इसके लिये धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह चलता नहीं है।

अध्यक्ष--वह बहुत जोरों से चल रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव--मेरा यह विश्वास है कि यह सजा सख्त होना जरूरी है। हमारे इस सदन के नव निर्वाचित समाजवादी सदस्य माननीय मलखान सिंह जी ने यह कहा कि यह सरकार निकम्मी है और इसलिये निकम्मी है कि यह जुये को रोक नहीं सकती है। मेरा निवेदन यह है कि संसार के इतिहास में कभी कहीं भी ले लीजिये, जो समाज के रोग हैं, जैसे जुआ आदि कभी भी क़ानून के जरिये से नहीं रोके गये और कोई भी सरकार इस तरह के समाज के रोगों को रोकने में कभी भी समर्थ नहीं हुई। इसलिये जब हमारे ठाकुर साहब यह कहते हैं कि यह सरकार निकम्मी है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसा स्लोगन मालूम होता है जो कि बाहर, सड़क पर अच्छा मालूम हो सकता है। लेकिन यहाँ हाउस में, जहाँ एक-एक मिनट का मूल्य जनता के लिए काफी है, इस तरह के स्लोगन से कभी काम नहीं चल सकता। समाज के ऐसे रोग को यदि दूर किया जा सकता है तो उसका एक ही उपाय है कि जनमत तैयार किया जाय। अगर दुनिया के इतिहास को देखा जाय तो मालूम होगा कि समाज के इस तरह के अभिशाप दूर करने के लिए जनसेवकों ने जनमत तैयार किया था। तो अगर हम जुआ को वास्तव में दूर करना चाहते हैं तो हमको जनमत तैयार करना होगा। मैं ठाकुर साहब को निमंत्रित करता हूं और विरोधी दल के दूसरे सदस्यों को भी आमंत्रित करता हूं कि वह इस कार्य में सहयोग देकर जनमत तैयार करें।

इस संशोधन को रखने का मेरा आशय बावजूद इस बात के यह है कि हमें इस बिल में यह संशोधन अवश्य कर देना चाहिए जिससे जो लोग इसको पेशा बनाये हुए हैं उनको हम कड़ाई के साथ गिरफ्त में ला सकें। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के द्वारा यह कहा गया है कि खंड ५ के अन्तर्गत जहां एक हजार रुपया और एक साल की सजा रखी गयी है वहां एक साल की सजा के बजाय दो साल की सजा कर दी जाय। मूल ऐक्ट के अन्तर्गत पहले दफा ३ के अन्तर्गत जो कोई गेमिंग हाउस रखता था और उस अपराध में पकड़ा जाय उसकी सजा दो सौ रुपये जुरमाने की थी। अब जो संशोधन पेश हुआ है उसमें दो सौ रुपये की सजा को ५ सौ रुपया कर दिया गया है। दफा ४ उन लोगों पर लागू है जो कि ऐसे मकानों पर जुआ खेलते हुए पकड़े जाते हैं। पहले सौ रुपये की सजा थी। उसको बढ़ा कर अब इस संशोधन में ३ सौ रुपये किया गया। लेकिन अगर अभियुक्त फिर से पकड़ा जाय और उसी अपराध में उसको सजा हो तो मूल ऐक्ट के अंतर्गत उसके पहले जितनी सजा दी जाती थी उससे दुगनी सजा दी जा सकती थी अर्थात् दो सौ के बजाय चार सौ का जुरमाना और दफ़ा ३ के अन्दर जो सौ रुपये का जुरमाना था उसका दुगना जुरमाना। तो जो संशोधन अब सरकार ने पेश किया है उसमें दफ़ा ३ और ४ के अन्तर्गत एक हजार रुपया और उसके साथ ही साथ एक साल की सजा भी लगायी है।

मेरे विचार से जो सरकार की ओर से संशोधन पेश किया गया है वह सराहनीय है। जो संशोधन अभी यहां रखा गया है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि एक साल की सजा को दो वर्ष करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अगर दो वर्ष की सजा भी रखी जाय तो अदालतों में ऐसे जुर्म में जितनी पूरी सजा होती है वह आम तौर से नहीं दी जाती। ३ महीने, ६ महीने ही दी जाती है और यह जो जुर्म है, जुआ खेलना या खिलाना, यह विशेष रूप से एक सामाजिक अपराध है। बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जो मनुष्य को नहीं करने चाहिये। व्यभिचार नहीं करना चाहिये, लेकिन कोई सरकार क़ानून द्वारा मनुष्य को संयमी नहीं बना सकती। हमको जहां दंड देने की बात सोचनी है वहां यह देखना पड़ेगा कि कितना उचित दंड होना चाहिये। अगर दंड हमने बढ़ा दिया तो सम्भव है कि दंड जरूरत से ज्यादा हो जाय और उससे कोई विशेष लाभ न हो। ऐसी स्थिति में मेरा अपना विचार है कि जो सजा बढ़ाई गयी है, अर्थात् पहले जितनी सजा थी उसको बढ़ा करके एक हजार रुपया किया गया है और जुर्माने के साथ ही साथ एक साल की सजा भी की गयी है, वह उचित है। यहां जैसा मैंने निवेदन किया कि जुआ एक बुरी चीज है, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि जुआ जीवन में नहीं खेला जा सकता। एक प्रकार से जीवन भी एक जुआ ही है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि जुए के समान ही होती हैं, लेकिन अपराध का रूप विशेष करके तभी उत्पन्न होता है जबकि नियम के अन्तर्गत कोई बात आ जाय और इस प्रकार वह अपराध का रूप धारण कर ले। हमको तो अपराध के दृष्टिकोण से देखना है और अपराध में कितना दंड दिया जाय उस पर विचार करना है। जहां तक सामाजिक क्षेत्र का कार्य है उसके लिये दूसरी संस्थाएं मौजूद हैं और वे अपना कार्य करती हैं और करेंगी। ऐसी स्थिति में जो यह बिल इस वक्त उपस्थित है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री रणञ्जय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय श्री विभव जी ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जुए के संबंध में यहां पर विधेयक को रखकर उसके अधिनियम में संशोधन के लिये माननीय न्याय मंत्री जी ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु इस कुत्सित कार्य के लिये, जिसके कारण हमारे देश का सत्यानाश हो गया, हमारा इतिहास बतलाता है कि महाभारत काल से लेकर अब तक जुए ने इस देश को बहुत बर्बाद किया है, इसमें यदि हम ऐसा कठोर दंड नहीं रखते तो उसका परिणाम ऐसा हो सकता है कि उससे लोग कम भयभीत होंगे। भयभीत करने की आवश्यकता वहां होती है जहां कि लोग अपने मन से ऐसी बातें करते हैं। अगर वह समझेंगे कि अधिक से अधिक दंड मिल सकता है तो उससे यह लाभ होता है कि जैसे चोरी करने वाले, जुआ खेलने वाले या बहुत सी जो सामाजिक

कुरीतियां हैं उनमें जो लिप्त हैं वह समझेंगे कि यह कठोर दंड है, तो संभव है कि कुछ भयभीत भी हों।

एक वर्ष और दो वर्ष के संबंध में अभी जो माननीय श्री काटजू साहब ने कहा है, मुझे खेद है कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। एक वर्ष और दो वर्ष में बड़ा अन्तर हो जाता है। देहातों में, जहां यह कुरीति बहुत फैली हुई है, वहां लोग समझ सकते हैं कि एक वर्ष और दो वर्ष में क्या अन्तर होता है। उसका दुगना अंतर होता है। इस प्रकार जितना कठोर दंड दिया जाता है उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि अधिनियम में जितना दंड रहेगा उतना ही दंड विवश होकर देना होगा। न्यायाधीश जितना उचित समझेगा उतना दंड देगा, लेकिन यदि इतना दंड सामने रहेगा तो इसमें सन्देह नहीं कि इससे लोग अधिक भयभीत होंगे और ऐसा कुत्सित कार्य करने में संकोच करेंगे। इस जुआ के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। इसे सभी लोग मानते हैं कि जुआ बहुत ही बुरी वस्तु है और इससे देश चौपट हुआ, समाज चौपट हुआ, बहुत सा करप्शन फैला हुआ है और बहुत हानि हो रही है, परन्तु सामाजिक कुरीतियों के लिये जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों का विचार है जनमत बहुत आवश्यक है और ऐसे अधिनियम बनें जिनसे सामाजिक कुरीतियों के लिये प्रतिबन्ध लगाया जाय। इसके साथ-साथ मैंने देखा है, मुझे स्मरण है, कि शारदा बिल जब केन्द्रीय असेम्बली में था, मैं भी वहां पर था, बड़े-बड़े मस्तिष्कों ने उसके ऊपर अपना समय लगाया, प्रवर समिति बनी और कई वर्ष तक वाद-विवाद चला, परन्तु अन्त में जब अधिनियम बना तो उसका परिणाम क्या हुआ? अब भी मैं देखता हूं कि बाल विवाह की कुरीति पहले से अधिक ही है, कम नहीं है। इसलिये यदि कोई कुरीति दूर करनी है, उसका निवारण करना है उससे देश की रक्षा करनी है तो मैं समझता हूं कि रियायत की वहां पर आवश्यकता नहीं है। वहां पर हमें कठोर से कठोर दंड रखना चाहिये ताकि कुरीति करने वाले, ऐसे ऐसे जुआड़ी, ऐसे ऐसे लोग जो कि समाज को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं वे सचेत हों, वे डरें और अपनी आदत छोड़ें। मैं देखता हूं कि बुरी आदतों में लोगों को ऐसा आनन्द आ जाता है कि उसमें लिप्त हो जाने पर बहुत समझाने पर भी वे अपनी आदत छोड़ने से हिचकिचाते हैं। इसलिये यदि कठोर दंड नहीं रखा जाता है, उनके साथ कोई भी रियायत की जाती है तो मैं समझता हूं कि जैसे बहुत से ऐक्ट बने और बनकर केवल कागज पर रह गये, केवल ताक पर रक्खे रह गये, उनसे विशेष लाभ नहीं हुआ, उसी प्रकार यह ऐक्ट भी पुराना है, लेकिन आज क्या जुआ बन्द है? इसमें केवल इस विचार से कठोरता लायी जा रही है कि संभव है आगे चल कर लोग ऐसा कार्य करने में संकोच करें। पवित्र विचार से यह दंड बढ़ाया जा रहा है। सभी प्रकार की सजायें बढ़ाई जा रही हैं, केवल इसलिये कि लोग भयभीत हों और यह बुरा कार्य छोड़ें। इसलिये जहां इतना सब हो रहा है उसमें दया की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दया तो हमारा सत्यानाश कर रही है। इसलिये माननीय न्याय मंत्री से मैं, श्रीमान् जी, आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि वे न्याय की दृष्टि से देखें। आज जितना हृदय-उद्गार प्रकट किया जा रहा है, कितने हमारे कांग्रेस के माननीय भाई और अन्य दलों के माननीय भाई इसके लिये कह रहे हैं कि यह दण्ड बढ़ाया जाय जिससे यह कुरीति दूर हो। इसलिये मैं यह समझता हूं कि अगर और भी दण्ड बढ़ाया जा सके जिससे देश की रक्षा हो तो उसमें भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। फिर कोई भी हो, किसी दल का कोई माननीय सदस्य कुछ भी कहे लेकिन--

युक्ति युक्ति मुपादेयं वचनं बालकादपि।
अन्य तृणमिवत्याज्य मप्युक्तं पद्मजन्मना ॥

जो ठीक बात है, चाहे वह बालक की हो, युक्तियुक्त जो है उसे मान लेना चाहिए और जो बात ठीक नहीं है चाहे ब्रह्मा की भी हो उसे नहीं मानना चाहिये। यदि इसी नीति से काम लिया जाय और यह न सोचा जाय कि किस दल के क्या विचार हैं तो मैं समझता हूं कि इससे सदन की शोभा बढ़ेगी और उसके साथ ही साथ देश का गौरव बढ़ेगा और देश का लाभ

[श्री रणञ्जय सिंह]

होगा। ऐसी दशा में माननीय विभव जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करते हुये मैं श्रीमान् जी के द्वारा माननीय न्याय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपा करके इसे स्वीकार करें और जितने भी कुत्सित कार्य हैं सभी के लिये कठोर से कठोर दंड रखे जायं जिससे लोग भयभीत हों और इन दुष्कर्मों से बचें, उनका जीवन सुधरे और साथ ही साथ देश की रक्षा हो और देश और समाज इन बुराइयों से बचे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय विभव जी ने इस सदन के सामने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे दुख है इस बात का कि मैं तो आशा करता था कि विभव जी अपने संशोधन पर कुछ रोशनी डालेंगे और इसके महत्व को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों यह सजा बढ़ायी जाय, पर बजाय इसके महत्व को समझाने के उन्होंने यहां पर एक सरमन हम लोगों को सुना दिया। कल जब माननीय राजा साहब ने कुछ जुर्माना बढ़ाने का एक संशोधन इस सदन के सामने रखा था उस वक्त माननीय विभव जी ने उसका अगर विरोध नहीं किया तो जो संशोधन उन्होंने रखा था उसे उन्होंने वापस ले लिया। मैं माननीय विभव जी से कहूं क्या? जहां तक इस सदन का समय नष्ट करने का सवाल है, विभव जी ने इस काम को शुरू किया। मैं यह भी जानता हूं कि जो संशोधन उन्होंने रखा है वह अभी थोड़ी देर में बिना कहे हुए वापस ले लेंगे और उस पर कोई वोट नहीं लिवायेंगे। मैं तो कहूंगा कि अगर वह इस संशोधन के बारे में माननीय मन्त्री जी से पहले ही बात कर लेते तो वह शायद इसका महत्व समझा देते। अब तो मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इसका महत्व समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल इतना कहना काफी होगा कि वह इसका विरोध करते हैं और विभव जी इसको वापस ले लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो दलील माननीय शिवनाथ काटजू जी ने रखी वह बिल्कुल ठीक है। जहां तक सजा का सवाल है, उसमें अगर जुर्माने की रकम बढ़ायी जाय, जैसे कि बढ़ायी गई है, तो मैं समझता हूं कि वह काफी है और एक जुआरी के लिये ठीक है। अगर जुआरी को जेलखाने में डाल दिया जाय तो उससे बड़ी और परेशानियां भी होती हैं और फिर इसमें तो १२ महीने की सजा है भी। मैंने तो परसों भी यही कहा था कि अगर जुए को रोकने के लिये और तरीके इस्तेमाल किये जाते, माननीय मन्त्री जी अगर कोई इस किस्म का संशोधन लाते जिससे जुआ खेलने वाले लोग आसानी से पकड़े जाते तो उससे जुआ काफी हद तक बन्द हो सकता था। लेकिन जहां तक यह जुर्माना और लम्बी-चौड़ी सजा करने की बातें हैं, इसकी आदत उनको पड़ गयी है, वे इन चीजों से डरते नहीं हैं। हां, जुर्माना बढ़ जाने से शायद उनको कुछ तकलीफ हो और वे लोग जुआ न खेलें। इसलिये मैं समझता हूं कि सजा दो साल की हो जाना बहुत ज्यादा हो जायगा और मैं माननीय विभव जी से, जिन्होंने माननीय मलखान सिंह जी के भाषण के बारे में कहा था कि ऐसा भाषण गलियों में दें उनसे भी यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा सरमन सुनने के लिये हम भी यहां नहीं आये हैं। मैं भी चाहता हूं कि जुआबन्द हो। मगर कहां जनमत इकट्ठा करें? इनके साथ शाम को बैठें और वहां चौपड़ लगायें? क्या एक भी मीटिंग विभव जी ने एड्रेस की है जहां कहा हो कि जुआ खेलना बुरा है? हमने माननीय मन्त्री जी को स्वयं कहा था कि अगर वे इसमें कुछ कठोरता लाते तो अच्छा होता। मैंने कहा था कि नाल का डिब्बा पकड़ना मुश्किल होता है। हम लोग तो वकालत करते हैं। जुए के जितने मुलिजम होते हैं सबको छुड़ा कर लाते हैं। नाल का डिब्बा पुलिस वाले नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिये जितने जुए के मुकदमे होते हैं उनमें साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह का कोई संशोधन आया होता तो मैं समझता हूं कि जुआ अच्छी तरह से रुक जाता। केवल वापस लेने के लिये कोई संशोधन पेश कर देने से इस सदन का समय नष्ट होता है, पब्लिक का रुपया बरबाद होता है और दफ्तर में जो काम करते हैं उनका भी समय बेकार खराब होता है। इसलिये मैं और भी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जिन्हें

अपने संशोधन वापस लेने हैं वे उनको पेश ही न करें तो बहुत अच्छा हो। इसलिये १२ महीने से दो साल की सजा की जो बात कही गयी है मैं उसका विरोध करता हूं और माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो १२ महीने की सजा की बात रखी है वह बहुत ठीक है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक इस दफा के ऊपर बहस हुई है इसकी बहुत सी बातों पर पहले भी रोशनी डाल चुका हूं। बहरहाल, बीच में दो दिन गुजर गये हैं, इसलिये मुमकिन है कि लोग उस बहस को भूल गये होंगे। कुछ थोड़ा सा जिक्र पार्टी डिसिप्लिन का भी आया और ताने के तौर पर कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के लोग तरमीम पेश करते हैं और बाद को वापस ले लेते हैं। मुझे इसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं कहना है, सिर्फ यह कहना है कि जो लोग एतराज करते हैं वह पार्टी सिस्टम की गवर्नमेंट से वाकिफ नहीं हैं। जब किसी पार्टी की हुकूमत होती है तो जो अहम किस्म की तरमीम होती है और जिसको मेम्बर समझते हैं कि जरूरी है वह पार्टी ही में पेश कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बर अपनी तरमीम हाउस में लायें और बाज वक्त अगर जरूरी तरमीम होती हैं तो वह लाई जाती हैं और गवर्नमेंट उसको मन्जूर कर लेती है, लेकिन अहम तरमीमों को तो आपस में तय कर लेते हैं सब जगह ऐसा ही होता है। हिन्दुस्तान ही में कोई खास बात नहीं है कि अमेंडमेंट मूव करते हैं और वापस ले लेते हैं।

हुकूमत अपनी है और सब मिलकर एक साथ एक जमाअत बनाकर काम कर रहे हैं। हममें कोई ऐसी बात नहीं है अगर कोई सही बात होगी तो गवर्नमेंट उसको मान लेगी। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट इसरार करेगी तो मेम्बर्स भी समझते हैं कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरी मुखालिफत की जा रही है या मैं गवर्नमेंट का विरोधी हूं, इसलिये मुखालिफत की जा रही है बल्कि समझते हैं कि इसमें कोई उसूल है, इसलिये मुखालिफत की जा रही है। यह कोई खास बात नहीं है, यह कोई नयी बात नहीं है, जिस पर कोई एतराज करे। मुझे ताज्जुब है कि ऐसे पुराने मेम्बर्स, जो कांग्रेस में भी रह चुके हैं और उन्हें पार्लियामेंट का सिस्टम भी मालूम है, जैसे श्री मलखान सिंह, उन्होंने परसों यह सवाल उठाया था। मुश्किल तो यह है कि अभी सोशलिस्ट पार्टी को हुकूमत चलाने का तजुर्बा नहीं हुआ है, लेकिन अगर वह चलायेंगे तो उनको मालूम होगा। आयन्दा ऐसा दिन आयेगा कि उनके मेम्बर्स भी इसी तरह से संशोधन पेश करेंगे और उनसे अगर उनका कोई आफिसर रिक्वेस्ट करेगा तो वह भी वापस ले लेंगे। इस पर एतराज करने के यह माने नहीं हैं की कोई अपना उसूल छोड़ देता है या गलती करता है।

अब रह गया यह कि जहां तक इस तरमीम का सवाल है इसमें जरा सीबारीकी है जिसको हमारे दोस्त समझे नहीं। वह यह है कि दफा ३ जो पहले थी उसमें यह अल्फाज थे कि —

"Shall be liable to fine not exceeding Rs.200 or imprisonment of either description as defined in the Indian Penal Code for any term not exceeding 3 months."

यानी दोनों सजायें इसमें नहीं हो सकती थीं। या तो जुरमाना होता था उसके एवज में सजा होती तीन महीने की। इस तरह से थी दफा ३ और दफा १५ में यह था कि दुबारा कोई उसी जुर्म को करे तो उसको दुगनी सजा हो सकती थी जिसके मानी यह थे कि:

"Whoever, having been convicted of an offence punishable under section 3 or 4 of this Act, shall again be guilty of any offence punishable under either of the said sections, the punishment for every such subsequent offence shall be double the amount of such punishment for which he would have been liable for the first commission of an offence of the same description."

[श्री सैयद अली ज़हीर]

इसके बाद एक प्रोवाइज़ों था कि--

"Provided that he shall not be liable to fine not exceeding Rs. 600 or to imprisonment to a term not exceeding one year."

इसमें भी 'or' का लफ्ज था। जब हमने इसकी तरमीम की है तो उसमें अब लफ्ज रखे हैं कि--

"15. Whoever having been....."

हमने इसको बढ़ाकर ६०० से १,००० रुपया कर दिया है यानी उसके ऊपर एक हजार रुपया जुर्माना हो सकता है। मेरा खयाल यह है कि अगर मेरे दोस्त यह समझेंगे कि जो हमने तरमीम की है उसमें बहुत काफी सजा बढ़ा दी गयी है यानी ऐसा कर दिया है कि उसको जुरमाना भी हो और इसके साथ साथ उसको क़ैद भी १२ महीने की दी जा सकती है तो मेरा खयाल है कि वह उसको वापस लेने पर गौर करेंगे। गालिबन वह यह खयाल करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो तजवीज पेश की है वह मुनासिब है इससे ज्यादा सजा बढ़ाना गालिबन मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा मैं यह उम्मीद करता हूं कि वह इस तरमीम पर इसरार नहीं करेंगे।

श्री देवकी नन्दन विभव--अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो भी भाषण हुए उनको बड़े ध्यान से सुना। माननीय मन्त्री जी ने जो कुछ फरमाया है उससे मुझे यह ख्याल हुआ कि यह बात सही है कि इसमें सजा सख्त की गयी है, लेकिन मेरा खयाल यह था कि जो लोग गैम्बलिंग हाउसेज रखे हुए हैं और नाल लेते हैं उनका पकड़ा जाना बड़ा मुश्किल है। और जीतने पर वह उसमें से खर्च भी कर देते हैं। अमूमन यह था कि जो ऐसे लोग पकड़े जायं उनको काफी सजा मिलनी चाहिए यह मेरा खयाल था। इस सम्बन्ध में खयाल के रूप में यह भी कहा गया कि विभव जी इसको वापस ले लेंगे। मैं समझता हूं कि यह सोशलिस्ट पार्टी जब गवर्नमेंट में आयेगी तो उनकी गवर्नमेंट जो संशोधन करेगी उसका विरोध उनकी पार्टी के सदस्य करेंगे। ऐसा सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट में हो सकता है कांग्रेस पार्टी की सरकार में ऐसा अनुशासन नहीं हो सकता है।

दूसरी बात जो माननीय सदस्यों ने कहीं वह यह है कि उन्होंने यह बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित कर दिया कि जहां एक सदस्य उसी पार्टी का यह कहता था कि यह सरकार ऐसी निकम्मी है कि कोई सख्त सजा देना नहीं चाहती है और इस कानून के द्वारा जुआ को बन्द करना नहीं चाहती है, लेकिन जब उनके सामने इस तरह का संशोधन सजा को सख्त करने का पेश किया जाता है तो उसी पार्टी के सदस्य उस संशोधन का विरोध करते हैं। मैं इस अनुशासन के लिये उनको बधाई देता हूं। इस प्रकार का अनुशासन कांग्रेस पार्टी में नहीं होने वाला है। इस लिये मैं यह समझता हूं कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिये मैं अपने संशोधन को पेश करूं और इस वजह से मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित नयी धारा १५ की उपधारा 'b' के स्थान पर निम्नलिखित नयी उपधारा "b" रख दी जाय --

"(b) If it is an offence under section 4, to a fine not exceeding one thousand five hundred rupees and to imprisonment of either description for a term not exceeding two years and for failure to pay fine for a further period of 6 months."

मेरा इरादा नहीं था कि इस संशोधन को भी पेश करूं क्योंकि जब सरकार तुरत हुई है कि हमारी तरफ से या किसी भी तरफ से कोई संशोधन आता है तो वह उसे स्वीकार नहीं

होता । लेकिन मैं सोचता हूं कि इस प्राविजो का बदलना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सरकार इसपर सोचेगी कि जो जुवारी एक तरह से पेशेवर हो जाता है उसके लिये अगर सजा कड़ी नहीं रखी जायगी तो उस जुर्म के बन्द होने का सवाल नहीं आता है। इसलिये मेरा संशोधन है कि जब दो बार किसी को सजा हो जाती है और कोई हैबिचुअल आफेन्डर हो जाता है, जिनके लिये एक बिल भी आने वाला है, तो ऐसे शख्स के लिये सजा बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। माननीय मन्त्री जी जरा विचार करें कि अगर कोई दो बार सजा पा चुका है और उसे तीसरी बार भी सजा कम मिले तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मन्त्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुझे इसका भी विरोध करना पड़ता है। दफा ३ में जो जुर्म है वह इससे ज्यादा सख्त है जो ४ में है और दफा ३ के जुर्म के लिये सजा मुकर्रर की जा चुकी है और इस सिलसिले में हमारे दोस्त श्री वीरेन्द्र शाह की कोई तरमीम नहीं थी। तो यहां पर उससे कम जुर्म के लिये और बड़ी सजा रख दी जाय यह मुनासिब न होगा। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि वह खुद समझेंगे और ऐसा करने से ऐक्ट बेतुका हो जायगा। मैं इस वास्ते उनसे कहूंगा कि वह इसके लिये इसरार न करें और अगर वह नहीं मानते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह--जहां तक मन्त्री जी ने यह कहा कि मेरा संशोधन ३ धारा पर नहीं था, उस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि जब मैंने देखा कि उस पर मेरे दूसरे भाइयों की तरफ से संशोधन थे तो मैंने समझा कि वही मन्जूर हो जायेंगे और इसीलिये मैंने अपनी ओर से कोई पेश नहीं किया। मैं समझता था कि माननीय विभव जी का संशोधन जो था वह मान लिया जायगा, लेकिन अगर फिर भी मन्त्री जी कहते हैं तो मैं वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (संशोधन) विधेयक, १९५२

उत्तर प्रदेश में पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ की प्रवृत्ति के संबन्ध में कुछ प्रयोजनों के निमित्त उक्त अधिनियम में और अधिक संशोधन के लिये — ऐक्ट, ३, १८६७

विधेयक

उत्तर प्रदेश में पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो आगे चल कर प्रतीत होंगे उक्त अधिनियम में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है। — ऐक्ट ३, १८६७

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (संशोधन) विधेयक, १९५२ पारित किया जाय।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (संशोधन) विधेयक, १९५२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*चैरिटेबिल एंडाउमेन्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---श्रीमान् जी, यदि आज्ञा हो तो क्रम-संख्या ७ पर जो विधेयक है उसे ले लें क्योंकि वित्त मन्त्री कौंसिल में फंसे हैं और उनसे मैंने पूछ लिया है।

अध्यक्ष---इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमान् जी, मुझे आपत्ति है। हमको इसके कागजात अभी तक नहीं मिले हैं।

अध्यक्ष---यह तो कोई आपत्ति नहीं है यह कहिये कि आपको कागजात चाहिएं।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि चैरिटेबिल उत्तर प्रदेश संशोधन एन्डाउमेंट्स विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मुझे विधान का प्रश्न उठाना है। यह सेंटर का ऐक्ट है। हमारे प्रदेश की सरकार या यह हाउस इस पर संशोधन नहीं कर सकता। इसमें हमारे प्रदेश के बाहर के लोग भी आ सकते हैं। जैसे इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला है। उसके ट्रस्टी सारे हिन्दुस्तान में हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भी हैं। इस प्रकार इसका असर जो 'चैरिटेबिल इन्स्टीट्यूशन' एक प्रदेश का ही न होकर सारे हिन्दुस्तान में वास्ता रखता हो, होने पर इस प्रदेश के बाहर के लोगों पर भी पड़ेगा। इसलिये इस सदन को यह अधिकार नहीं है कि ऐसे विधेयक पर विचार कर सके। विधान के शेड्यूल में यह 'कान्करेंट सबजेक्ट' जरूर है लेकिन ऐसे बिल पर जिसमें ऐसे 'इन्स्टीट्यूशन' भी आ सकते हों जो इस प्रान्त के बाहर हैं यह सदन विचार नहीं कर सकता। उस पर केवल पार्लियामेंट ही विचार कर सकती है। अगर कोई ऐसा बिल होता जिसमें यह लिखा होता कि केवल इसी प्रदेश के ट्रस्टी होंगे तो वह आ सकता था। लेकिन इस विधेयक का 'स्कोप' तो 'जनरल' है। यह मेरी वैधानिक आपत्ति है।

श्री हरगोविन्द सिंह---यह आपत्ति मेरी समझ में अधिक नहीं आई। सेंटर का ऐक्ट यह जरूर है लेकिन इस प्रान्त में यहाँ संशोधनों के साथ लागू किया जा सकता है। इसी आधार पर सन् ५० में इस ऐक्ट का संशोधन विधेयक पास हुआ। आपत्ति कांस्टीट्यूशन की एक धारा पर की गई है। प्रान्तीय विधान सभा उस बारे में कोई क़ानून नहीं बना सकती जिसमें कोई दूसरे प्रान्त की टैरीटरी इनवाल्व्ड हो। यदि हम इस प्रान्त के बाहर क्षेत्रफल के लिये कोई अधिनियम नहीं बना रहे हैं तो फिर विधान की किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं होता। इस कारण भी इस आपत्ति में कोई सार नहीं है। यह बिल यहाँ बराबर आ सकता है। इसके पहले भी आया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने अभी एक बिल का उल्लेख किया और कहा कि वह बिल सन् ५० में संशोधन बिल के रूप में पास हो चुका है। मेरे पास यह बिल मौजूद है और मैं माननीय मंत्री जी की सूचना के लिये यह बता देना चाहता हूं कि यह अमेंडिंग ऐक्ट न होकर एक्स्ट्रा पावर्स के लेने का ऐक्ट है। अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहें तो मैं यह उनके पास भेज सकता हूं। इसके साथ ही साथ मेरा जो निवेदन है वह यह है कि चैरिटेबिल इंडाउमेंट्स जिनका संबंध इसी प्रदेश की जनता से होता यदि यह बिल केवल उनके लिये होता, तब तो मैं इसका विरोध न करता लेकिन जैसा कि मैंने मिसाल के लिये कहा कि एक कायस्थ पाठशाला को ले लीजिये उसका उद्देश्य केवल इसी प्रान्त की 'कम्युनिटी' को लाभ पहुंचाने का नहीं है, उसकी शाखायें तो पटना, बिहार आदि अनेक स्थानों पर हैं और उसके 'ट्रस्टीज' बिहार आदि स्थानों तक में रहते हैं। हमारे माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद जी भी इसके एक 'ट्रस्टी' हैं।

---

*१७ सितम्बर, १९५२ को कार्यवाही में छपा है।

अध्यक्ष--आप तर्क से बातें कर रहे हैं या आप विधान या संविधान की कोई ऐसी धारा बता सकते हैं जिसके अनुसार आप यह कह सकते हों कि यह विधेयक इस विधान सभा में पेश नहीं हो सकता है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--विधान में यह 'कांकरेंट लिस्ट' में जरूर है, लेकिन जहाँ तक केन्द्र के 'जनरल' हक़ों का संबंध है पार्लियामेंट ने जो अधिकार अपने लिये रखे हैं उनमें 'चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स' को अपने अधिकार में भी रखा है, केवल प्रदेश की सरकार के अधिकार में ही नहीं रखा ।

अध्यक्ष--माननीय नारायण दत्त जी ने जो आपत्ति उठाई है कि यह इस विधान सभा के लिये अवैध होगा कि वह इस विधेयक पर विचार करे, क्योंकि इस पर विचार करने का अधिकार केन्द्र की पार्लियामेंट को है उस अधिकार का इस्तेमाल यह विधान सभा कर रही है। चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स जिनका जिक्र इस विधेयक में किया गया है उनके ट्रस्टी वगैरह बाहर के हैं, यही एक महत्वपूर्ण आक्षेप माननीय सदस्य का है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--प्रापर्टी भी स्टेट के बाहर है ।

अध्यक्ष--प्रापर्टी का भी सवाल है और ट्रस्टीज़ का भी इन दोनों के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि यह जो अधिनियम बनेगा वह इस प्रान्त से संबंधित ट्रस्ट्स पर ही लागू होगा और उससे बाहर जो ट्रस्ट्स हैं उनसे उसका कोई संबंध न होगा। ऐसी अवस्था में इस प्रान्त में लागू होने के लिये जब कोई अधिनियम बनाया जाता है तो केवल इस बात से कोई आपत्ति नहीं उठा सकता कि उसके ट्रस्टीज़ में से मदद के लिये कोई बाहर का भी ट्रस्टी भी ले लिया गया है । इस प्रान्त में जितने भी ट्रस्ट हैं उनके बारे में प्रान्तीय सरकार ने जो भी नियम बनाये हैं उन सबको पालन करना ट्रस्टीज़ में से प्रत्येक का कर्त्तव्य है और उस फर्ज़ को अदा करना हर एक के लिये लाज़िमी होगा । यह चूंकि कांस्टीटयूशन की कांकरेंट लिस्ट में है इसलिये इस पर क़ानून बनाने का अधिकार इस विधान सभा और केन्द्र की पार्लियामेंट दोनों को है । फिर इस अधिनियम का जो असर पड़ने वाला है वह केवल इस प्रान्त में ही होगा और दूसरे प्रान्तों में उसका कोई असर न होगा । इसलिये मैं इसे अवैध करार नहीं देता हूं । अब माननीय शिक्षा मंत्री अपना भाषण जारी रखें ।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् जी, और हमारे काग़ज़ात के मुताल्लिक़ क्या रहा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--काग़ज़ात के संबंध में मेरे पास श्री राज नारायण जी का पत्र आया था, वे काग़ज़ात देखना चाहते थे । मैंने उनके पास काग़ज़ात भेज दिये । वे काग़ज़ात इतने अधिक हैं कि उनकी प्रतिलिपि बनाकर तक़सीम करना बहुत मुश्किल है । वे काग़ज़ात मेरे पास हैं यदि आप भी देखना चाहें तो देख सकते हैं ।

श्रीमान् जी, मैं कह रहा था कि यह विधेयक एक बड़ा छोटा सा विधेयक है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक है । इस संबंध में मैं भवन के समक्ष केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत सी शिक्षा संस्थायें ऐसी हैं जिनके पास अर्पित सम्पत्ति है लेकिन प्रति दिन शिकायतें आ रही हैं कि उस सम्पत्ति को नष्ट किया जा रहा है और उसका कोई माकूल इन्तज़ाम नहीं है । सन् १८९० ई० का जो चैरिटेबिल एन्डाउमेंट्स एक्ट है उसमें इस बात के लिये कोई उपचार नहीं है कि ऐसी स्थिति में क्या हो। हाँ, उसमें यह तो जरूर है कि जिन लोगों के हाथ में प्रबन्ध है, जो लोग ऐसी सम्पत्ति का प्रबन्ध आदि करते हैं यदि वे चाहें और सरकार से कहें तो सरकार उस योजना में संशोधन कर सकती है, परिवर्त्तन कर सकती है या उसके बजाय दूसरी योजना वहाँ लागू कर सकती है । लेकिन उसके लिये आवश्यक है कि वे ही लोग इस बात के लिये सरकार से प्रार्थना करें, और अगर दूसरे लोग प्रार्थना करें या सरकार स्वयं इस बात को आवश्यक समझे कि इस प्रकार से अर्पित सम्पत्तियों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करना चाहिये तो यह आवश्यक है कि उनकी सम्मति ले ली जाय और जब वे इस पर राजी हों या जितने लोग हैं उनमें आधे से अधिक लोग इस पर राजी हों तभी सरकार उस योजना में संशोधन कर

[श्री हरगोविन्द सिंह]

सकती है और उसके स्थान पर कोई दूसरी योजना लागू कर सकती है। इन कारणों से यह नामुमकिन हो गया है कि कोई भी इस बात पर राजी हो कि सम्पत्ति उसके हाथ से निकल जाय, उसका प्रबन्ध निकल जाय या उसके स्थान पर कोई दूसरी योजना लागू कर दी जाय। इस कारण यह विधेयक अत्यावश्यक केवल इसलिये हो गया है कि क़ानून की आड़ में कुप्रबन्ध का कोई उपचार सम्भव नहीं है। जिस वक्त १८९० में क़ानून बना था उस वक्त यह नहीं सोचा गया था कि शिक्षा संस्थाओं में इस प्रकार की पार्टीबन्दियाँ होंगी और इस तरह से जायदादें नष्ट की जायेंगी क्योंकि उसी आमदनी पर, उसी जायदाद पर हमारी बड़ी अच्छी-अच्छी शिक्षा संस्थायें अवलम्बित हैं। वे पूर्णतया उसी पर निर्भर हैं। उसमें जो इस समय गड़बड़ी मची हुई है उसको रोका जा सकता है, योजना में कोई परिवर्त्तन हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है। हम इस बात के लिये मुहताज न रहें कि जब तक उनकी अनुमति न मिल जाय तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही इस विधेयक का सार है। केवल इसी कारण से यह छोटा सा विधेयक भवन के सामने प्रस्तुत है। मैं समझता हूं कि भवन इस पर विचार करेगा और इस पर अपनी सम्मति प्रदान करेगा।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो चैरिटेबिल एन्डाउमेंट्स विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य और कारणों में बहुत से स्कूल और कालेजों के कुप्रबन्ध और कुप्रशासन की चर्चा है। मैंने उन कागजात को देखा जो शिक्षा मंत्री जी ने कृपा करके हमारे पास भेजवा दिये थे। उसमें हमें केवल बनारस के उदय प्रताप कालेज संबंधी घटना का ही वर्णन मिला और किसी कालेज और स्कूल के कुप्रबन्ध और कुप्रशासन की शिकायत मुझे नहीं मिल पायी। जहाँ तक किसी स्कूल और कालेज के कुप्रबन्ध और कुप्रशासन का प्रश्न है, उस कुप्रबन्ध को रोकना चाहिये और उसको रोकने के लिये हम हर तरह से तैयार भी हैं। उसको बढ़ने नहीं देना चाहिये। अगर कुप्रबन्ध और कुप्रशासन की मनोवृत्ति जरा भी पैदा होती है और पैदा होकर बढ़ती जाती है तो उस पर कोई न कोई पाबन्दी लगनी चाहिये, मगर ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि पाबन्दी के नाम पर सरकार ऐसे अधिकारों को अपने हाथ में ले ले जोकि सरकार की इच्छा पर ही निर्भर हो और जब भी चाहे सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और अपने ढंग पर इस प्रकार वहाँ पर परिस्थितियाँ पैदा करे। जहाँ तक मैं इस विधेयक को पढ़ पाया हूं और उसे समझ पाया हूं, शिक्षा मन्त्री जी की इच्छा का स्वागत करते हुये मैं यह चाहता हूं कि ऐसा एक जनतंत्रात्मक अंकुश लगे जिससे कुप्रबन्ध और कुप्रशासन पर प्रतिबंध लगे और उन्नति दिशा की ओर हमारी शिक्षा संस्थायें चलें। मगर जहाँ तक मैं देख पाया हूं इस विधेयक में ऐसा कोई जनतांत्रिक अंकुश नहीं है। सरकार सारे पावर्स (शक्ति) अपने हाथ में लेना चाहती है इसलिये आपके द्वारा माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अगर वे इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में ले जायं और एक-दो दिन के अन्दर और सोच लें और देख लें कि जनतांत्रिक अंकुश किसी तरह से लग सकता है या नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में लायी जा सकती है या नहीं उसके द्वारा कुप्रबन्ध और कुप्रशासन को रोका जा सकता है या नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि जिन तरीक़ों को अख्तियार करके सरकार कुप्रबन्ध और कुप्रशासन को रोकना चाहती है और वह तरीक़ा जो इस विधेयक में वर्णित है वह नाकाफी है। मैंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी शिक्षा संस्था में कुप्रबन्ध रहे, हम नहीं चाहते कि किसी शिक्षा संस्था में पार्टी पालिटिक्स चले या घुसे। मगर आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से कभी-कभी ऐसे कार्य हुआ करते हैं और हुये हैं जिनसे पार्टी पालिटिक्स को प्रोत्साहन मिला है, वह पीछे नहीं गया है और उसको कम करने की कोशिश नहीं है। तो यह शंका हमारी है और इस शंका का निवारण अगर माननीय मन्त्री जी कर दें और विधेयक में लोगों से सम्मति लेकर संशोधन कर दें तो मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी की जो सद्भावना है सदिच्छा है कि स्कूलों में कुप्रबन्ध को और न बढ़ने दें उसकी पूर्ति हो जाय; वरना अगर सारी शक्ति

अपने हाथ लेकर शिक्षा मंत्री शिक्षा संस्थाओं के कुप्रबन्ध को रोकना चाहेंगे तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायेगी बल्कि जिस उद्देश्य को लेकर ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वह उद्देश्य गर्त में चला जायगा। इससे कुप्रबन्ध बढ़ता है, यह अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न करता है। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी सम्मति वे लेकर इस विधेयक को परिवर्तित, परिमार्जित और परिवर्धित करें जिससे उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी भवन के सामने मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका इसलिए विरोध कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि कुप्रबन्ध जहाँ, जिन चैरिटेबिल इंडाउमेंट्स में हो, उसको दूर किया जाय, लेकिन इस बिल के द्वारा जो इतने अधिक अधिकार सरकार लेना चाहती है कि जिसने एंडाउमेंट पैदा किया उसकी स्कीम को ही बदल दे, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। जिस वक्त यह चैरिटेबिल एंडाउमेंट बने उस वक्त उन महापुरुषों ने कुछ उद्देश्य समझ कर एंडाउमेंट किया था। मैं मानता हूं कि अगर कहीं भी कुप्रबन्ध हो तो उसको दुरुस्त किया जाय। लेकिन सरकार इस बिल के जरिये से यह चाहे कि जो दानदाता की यह इच्छा थी कि इस प्रकार इस पर खर्च किया जाय, जो उसका खास उद्देश्य था उसको बदलने का सरकार अधिकार लेना चाहती है, जैसा कि हमारे मित्र राज-नारायण जी ने पेश किया, इसको प्रवर समिति में जाना चाहिए, वहाँ पर इस पर विचार होना चाहिए गम्भीरतापूर्वक कि जिन उद्देश्यों के लिए उसने लाखों रुपया दान किया उसको बदल कर सरकार किसी दूसरी स्कीम में खर्च करे यह अधिकार लेना कहाँ तक उचित है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इसको मानते हुए कि जो मंत्री जी चाहते हैं कि जहाँ तक कुप्रबन्ध का सवाल है, वह अवश्य ठीक किया जाय। लेकिन साथ ही साथ यह भी चाहते हैं कि अगर उसकी स्कीम भी ठीक न हो तो उसको भी बदल दें। इतना बड़ा अधिकार सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है, जिसका मैं विरोध करता हूं।

मुझे जो अभी सरकार से कागजात मिले हैं, मुझे इतना तो अवसर नहीं मिला कि मैं उनको पढ़ सकूं, लेकिन जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि उदयप्रताप कालेज को छोड़ कर कोई कुप्रबन्ध की शिकायत नहीं है। मैं उदय प्रताप कालेज के संबंध में भी बता देना चाहता हूं कि वह भी ट्रस्ट आज का नहीं है चालीस-पचास वर्ष हो गये हैं। मैं मानता हूं कि कुछ गड़बड़ी हो, कुछ मैनेजमेंट कमेटी में झगड़े हों। लेकिन जहाँ तक उद्देश्य का सवाल है, जहाँ दानदाता के सिद्धांतों का प्रश्न है वहाँ कोई भी मेंम्बर उस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। इसलिए अगर सरकार कुप्रबन्ध ठीक करने के साथ-साथ उद्देश्य को बदलने का भी अधिकार अपने हाथ में ले ले तो यह सरकार अधिक अधिकार लेना चाहती है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। जहाँ तक कुप्रबन्ध का सवाल है उसमें मैं सरकार का स्वागत करता हूं लेकिन यह नहीं चाहिए कि उसके इन्तजाम में, जो आज पश्चिमी सभ्यता के स्कूलों में है, उसकी तरफ सरकार का झुकाव हो और पुरानी चीजें जिनके सिद्धांतों पर दानदाता का रुपया लगा है, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाय। मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जैसा कि हमारे माननीय मित्र ने सेलेक्ट कमेटी में जाने का प्रस्ताव किया मैं आपके द्वारा सरकार से सिफारिश करूंगा कि प्रवर समिति को यह बिल जाने दे।

अध्यक्ष--प्रवर समिति में भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय।

अध्यक्ष--इसके नाम आप बाद में पेश कर देंगे ?

श्री जगन्नाथ मल्ल--जी हाँ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके द्वारा इस सदन में अपोजीशन बेंचेज के दो भाषण सुने। हमारे माननीय सोशलिस्ट पार्टी के लीडर महोदय ने सिर्फ एक उदय प्रताप कालेज का नाम लिया। शायद माननीय सदस्य बनारस के हैं भी

[श्री शिवनारायण]

और वह उसके विषय में जानते हैं। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आज सारे प्रान्त में प्राइवेट इंस्टीटयूशंस चल रहे हैं, जिस क़दर बदनामी है, पार्टीबन्दी है, उसको मद्देनजर रखकर सरकार ने जो बिल पेश किया है वह एक बहुत सुन्दर बिल है। आज कितनी इन-डिसिप्लिन फैली हुई है। हर स्कूल में पार्टीबन्दी चल रही है। यह बिल्कुल सत्य है कि जहाँ देखिये पार्टीबन्दी, किसी प्रिंसिपल की गाड़ी नहीं चलने पाती। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि आज हमारी स्टेट के अन्दर डिसिप्लिन है नहीं। मिसाल के तौर पर अभी आपने देखा कि मेडिकल कालिज में जो प्रदर्शन किया गया है वह किसी से छिपा नहीं है। सदस्यों ने और मिनिस्टर साहब ने देखा और माननीय गवर्नर महोदय और मंत्री महोदयों के आदेश के होते हुए भी डिसिप्लिन नहीं मेन्टेन किया गया। अगर इस चीज को मद्देनजर रखकर हमने इसको इग्नोर किया तो यही होगा कि इंडिसिप्लिन बढ़ता ही रहेगा। इसलिये हम इस सुन्दर विधेयक को वेलकम करते हैं। राजा साहब ने कहा था कि बुजुर्गों ने इनको क़ायम किया। ठीक है, उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत थी इस देश के अन्दर। आज भारत स्वतंत्र है। प्रत्येक भारत का नागरिक स्वतंत्र है। भारत की सरकार विदेशी सरकार नहीं है, अपनी सरकार है। हमारी सरकार हर चीज की जिम्मेदार है। देखना-भालना उसकी ड्यूटी है। मैं कहता हूं कि आप जिम्मेदारी लें कि कोई कुप्रबन्ध न हो। अभी बनारस में हड़ताल हुई, मारपीट हुई। कोतवाल की कार फूंक दी गयी। क्या यह गलत है? शासन के दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे इंस्टीटयूशंस को जो एड दी जाती है वह बन्द कर दी जाय। अगर आप चाहते हैं कि देश में सुन्दर संस्कृति बने, बड़े-बड़े विद्वान बनें, अच्छे पढ़े-लिखे लोग निकलें तो संस्थाओं पर शासन की रोकथाम हमको करनी है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया गया तो कंट्री के अन्दर ला ऐंड आर्डर नहीं रह सकता। नेपोलियन ने कहा था कि "Those who can obey they can give order" (जो आज्ञा-पालन कर सकते हैं, वे आदेश दे सकते हैं।)

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय सदस्य विधेयक पर बोल रहे हैं या और कुछ कह रहे हैं?

श्री शिवनारायण--मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं। मैं कहीं अन्यत्र नहीं बोल रहा हूं। शासन अनिवार्य है। शिक्षा संस्थाओं में शासन जरूरी है। अगर शासन नहीं रहेगा तो आपके बेटे आपकी बात मानने को तैयार नहीं रहेंगे। मैं जानता हूं कि एक-एक स्कूल में विभिन्न पार्टियाँ बन जाती हैं। कोई जनसंघ में है, कोई सोशलिस्ट पार्टी में है। रात-दिन पार्टीबन्दी की बातें होती हैं। गुरु मारे जा रहे हैं, छुरे मारे जा रहे हैं। क्या माननीय सदस्य भूल गये कि अलीगढ़ में क्या केस हुआ? बाँसी में भगतनारायण सिंह का कत्ल भूल गये? अगर गवर्नमेंट इस चीज को अपने हाथ में नहीं लेगी तो ऐसे केसेज रोज आपको सुनने पड़ेंगे। मैं तो देखता हूं कि हर पार्टी का हर आदमी विद्यार्थियों को मिसयूज करता है। मैं इस बात को दावे के साथ इस सदन के समक्ष कह रहा हूं। मैं निहायत अदब के साथ आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, सदन के प्रत्येक सदस्य से कहना चाहता हूं, किसी जोश व खरोश से नहीं, डिसिप्लिन देश में मेन्टेन करने के लिये यह जरूरी है कि चैरिटेबिल इंस्टिटयूशंस पर कंट्रोल रखा जाय। मैं स्वयं शिक्षा संस्थाओं में काम कर चुका हूं, इन्फेंट क्लास से लेकर हाई स्कूल तक पढ़ाया है। मैं जानता हूं कि कितनी दिक्कतें होती हैं।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य इस बात का खयाल रखें कि चैरिटेबिल इंस्टीटयूशंस का सवाल है, खाली विद्यार्थियों का सवाल नहीं है।

श्री शिवनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि शासन की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी जो आने वाली संतान है, हमारे मरने के बाद इस सदन में जो आने वाले सदस्य हैं, वह किस लायक बन रहे हैं, उनकी निगरानी के लिये संस्थाओं को सुन्दर ढंग से चलाने के लिये हमको प्रयत्न करना है। जैसे बनारस में

मदन मोहन मालवीय हुए या अलीगढ़ में मौलाना साहब ने जो काम किया और जो संस्थाएं आज उनके नाम पर चल रही हैं उनको सुन्दर रूप दिया जाय, इसलिये इस विधेयक की आवश्यकता है । आज कोशिश यह होनी चाहिये कि जो वृक्ष पैदा हो वह अच्छे फल देने वाला वृक्ष उत्पन्न हो ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस बिल के बारे में यह बतला देना चाहता हूं कि यह आवश्यक है और निहायत सुन्दर चीज सदन के सामने लाई गयी है । मैं इसका तहेदिल से समर्थन करता हूं ।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भवन के सामने जो चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स संशोधन विधेयक प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस संशोधन विधेयक के ऊपर बोलते हुए विरोधी दल के नेता माननीय राज नारायण जी का भाषण मैंने सुना । उनके बोलने से पूर्व मैं यह समझता था कि माननीय राज नारायण जी इस संशोधन का समर्थन करेंगे, क्योंकि वह एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं और सदैव प्रगति की बातें कहा करते हैं । लेकिन जब आज उन्होंने इस संशोधन विधेयक का विरोध किया जबकि हमारे माननीय मन्त्री प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं तो चाहिए तो यह था कि वह भी प्रगति के लिये एक सहायक सिद्ध हो जाते परन्तु उन्होंने उसका विरोध किया और उसका मुझे बहुत ही दुःख हुआ । मैंने उनके और भी बहुत से पहले भाषणों को सुना । सदैव वह यह कहा करते हैं और हमारी सरकार के ऊपर एक तरह का प्रहार किया करते हैं कि यह कांग्रेसी सरकार जनता के पैसे का बहुत ही दुरुपयोग करती है, किसी भी तरीक़े से उसको यह उचित ढंग से खर्च में नहीं लाती । लेकिन जब आज हमारी सरकार जनता के इस पैसे को जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में है और जिसको संस्थाओं के कुछ चुने हुए व्यक्ति, जो कि ट्रस्टी के रूप में हैं उचित ढंग से खर्च नहीं कर रहे हैं, यह चाहती है कि उचित ढंग से खर्च हो और उसके लिये ऐसा संशोधन लाया जाय जिससे कि वह उचित ढंग से खर्च हो तो ऐसी हालत में माननीय विरोधी दल के नेता उसका विरोध करते हैं, यह एक बहुत ही आश्चर्य की बात है । उनको तो चाहिए था कि वह इस संशोधन का तहेदिल से समर्थन करते और हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री को इस संशोधन विधेयक के प्रस्तुत करने पर बधाई देते । लेकिन ऐसा नहीं हुआ ।

मैंने माननीय वीरेन्द्र शाह जी की भी स्पीच को सुना । उन्होंने कहा कि माननीय मन्त्री जी इस संशोधन विधेयक को इसलिये लाये हैं कि वे इस रकम को किसी दूसरे उद्देश्य में खर्च करने जा रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वीरेन्द्र शाह को बतला देना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है । उद्देश्य वही है परन्तु हमारे माननीय मन्त्री जी इतना चाहते हैं कि यह रकम जो कि बहुत लम्बी-चौड़ी है, उचित ढंग से खर्च हो । इस पर कोई विरोध की गुंजाइश नहीं रहती । हमारी सरकार का लक्ष्य इस पैसे को खर्च करने में बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि वहां के ट्रस्टी चाहते हैं, केवल उनकी कार्य--प्रणाली में जो कि एक पार्टी फीलिंग के कारण कुछ ऐसी बातें पैदा हो गयी हैं जिससे इस संचित निधि का खर्च उचित ढंग से नहीं हो रहा है, इस संशोधन विधेयक के द्वारा कुछ फेर बदल किया जायगा जिससे कि वह रकम उचित ढंग से खर्च की जा सके और उससे अधिक से अधिक जनता का लाभ हो । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी को इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के सब सदस्यों से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को जो कि बहुत ही उपयोगी और जरूरी है शीघ्र से शीघ्र पास करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहता तो मैं भी यह था कि माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत कर सकता लेकिन जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा, यह विधेयक बहुत ही जल्दी में और केवल एक कालेज की स्थित को देखते हुए लाया गया है। जब हम "चैरिटेबिल इंडाउमेंट ऐक्ट" को पढ़ते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि यह सेन्ट्रल ऐक्ट केवल इसी प्रदेश के लिये नहीं बल्कि भारत के अन्य प्रदेशों के लिये भी है तो हमें इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि हम यह देखें कि क्या किसी और प्रान्त ने भी इस "चैरिटेबिल इन्डाउमेन्ट्स ऐक्ट" को अमेन्ड किया है। और भी प्रदेशों में स्कूल्स हैं। वहां भी चैरिटेबिल संस्थायें कायम की गई हैं, धर्मादाय के काम हुए हैं जिसके जरिये से दान देने वालों की मन्शा रहती है कि किसी स्कूल का निर्माण हो या रिसर्च का काम हो। लेकिन मैंने तो सारी लायब्रेरी छान डाली लेकिन ऐसा कहीं कोई ऐक्ट नहीं है। मैं जानना चाहूंगा हूं कि भारत में कितने प्रदेशों में ऐसी आवश्यकता प्रतीत हुई कि चैरिटेबिल एन्डाउमेंट ऐक्ट को इस तरह से संशोधित किया जाय जिस प्रकार कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने सदन में प्रस्ताव रखा है। दूसरी जगहों पर ट्रस्ट हैं, मैनेजिंग कमेटीज हैं और प्रापर्टी के मिसयूज के काम हो सकते हैं और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की समस्या वहां पर भी उठी होगी तो क्या बात है कि और प्रदेशों की सरकारों को ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि वह इस प्रकार के संशोधित विधेयक को प्रस्तुत करें जैसा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है ?

इसका उत्तर हमें इसी ऐक्ट के द्वारा मिलता है। पुराने ऐक्ट में ऐसे प्राविजन हैं कि जिनको अगर देखा जाय तो वह इस बात के लिये बाध्य कर रहे हैं। इसके सेक्शन ६ को ले लीजिए। इसके अनुसार किसी भी दानखाते ट्रस्ट को मजबूर होकर अर्जी देनी पड़ेगी कि वह जो ट्रेजरार हैं उस प्रापर्टी पर वेस्ट करें यह लाजिमी है। इसके साथ-साथ जहां तक इस प्रदेश का सवाल है खुद मन्त्री महोदय ने बतलाया था कि सन् १९५० ई० में एक्सटेन्शन आफ पावर्स ऐक्ट पास किया था उसमें तो इतनी ताकत दी गई है कि अगर उसी को मन्त्री महोदय लागू करते तो जहां कहीं भी कोई कमी रह गई थी वह सन् ५० के इस ऐक्ट के अनुसार दूर हो सकती थी और इस ऐक्ट की एक धारा ४ है इसमें तो पुराने ऐक्ट की तीन धाराओं को संशोधित करने के लिये भी कहा गया है। एक तो धारा ४ की उपधारा पहली है जिसमें लिखा हुआ है कि "As may be agreed on between the appropriate Government and the person or persons making the application," इसको संशोधित करने के लिए कहा गया है। दूसरे में कहा गया है कि "On application made as hereinafter mentioned and with the concurrence of the person or persons making the application, ।" इतनी ज्यादा ताकत दी गई है कि बिना अर्जी दिये हुए, बिना राय लिये हुए, बिना मन्शा जाने हुए सरकार किसी भी ट्रस्ट की प्रापर्टी की स्कीम को सेटिल कर सकती है। अब मन्त्री जी यह कहेंगे कि नई स्कीमों के लिये कहा गया है। इसमें माडीफाई और सब्स्टीट्यूट करने की जरूरत है। इसलिये आवश्यकता है। अगर आवश्यकता थी तो पुराने चैरिटेबिल एन्डाउमेंट्स ऐक्ट में संशोधन नहीं लाना चाहिए, बल्कि एक्सटेंशन आफ पावर्स ऐक्ट, १९५० में लाना चाहिए था। जिसको आप इस ऐक्ट में स्थान दे रहे हैं उसका स्थान पुराने ऐक्ट में नहीं है बल्कि सन् १९५० वाले ऐक्ट में है जिसे हमारे प्रदेश की सरकार ने नया बनाया है।

इसके साथ ही साथ माननीय शिक्षा मन्त्री जी, एक खतरा महसूस होता है। अगर सरकार इस तरह से जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन हैं उन पर अगर ज्यादा कन्ट्रोल करती रही तो ठीक नहीं होगा। जितना इस ऐक्ट में दिया है वह तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप लगातार इस ऐक्ट को लाते रहे तो भविष्य में किसी संस्था को या सामूहिक संस्था को हमदर्दी नहीं होगी इस प्रकार के ट्रस्ट कायम करने की और वह इस डर के मारे कि सरकार हर प्रकार से लेना चाहती है और दखल देना चाहती है। ऐसा भी देखा गया है कि इससे प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स और चैरिटेबिल इस्टीट्यूशन्स के संबन्ध में लोगों की प्रवृत्ति रुक जायेगी और उस ओर ध्यान एक हमारे "एजूकेशनिस्ट" हैं उन्होंने दिलाया है। एक पुस्तक है "हिस्ट्री आफ

एजूकेशन इन इंडिया" सैयद नूरुल्ला और डाक्टर जाकिर हुसैन की लिखी हुई। उसमें लिखा गया है —

"Thirdly, Government tried to control the private schools more and more, either in the interests of teachers or on grounds of discipline. The Education Departments now began to entertain appeals or make enquiries into a number of matters dealing with students or teachers and it can be said without exaggeration that, at no previous period in educational history, was such minute control over secondary schools, exercised by Government as in this. The management of secondary schools, therefore, had to face a chill or indifferent public, a discontented staff which was often in revolt, a disturbed student population, and an extremely exacting Department. A feeling, therefore, began to gain ground that private enterprise should withdraw from the field and hand over all secondary schools to Government rather than struggle against this host of adverse circumstances."

[तीसरे सरकार ने असरकारी स्कूलों को या तो अध्यापकों के हित में या अनुशासन के आधार पर अधिकाधिक नियन्त्रित करने की चेष्टा की। अब शिक्षा विभाग ने छात्रों या अध्यापकों से संबद्ध मामलों में अपील ग्राह्य करना या परिप्रश्न करना प्रारम्भ कर दिया है और अतिशयोक्ति के भय के बिना यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के इतिहास में पहले कभी माध्यमिक स्कूलों पर इतना कठोर नियन्त्रण नहीं किया गया था जितना कि अब किया जा रहा है। अतः माध्यमिक स्कूलों के प्रबन्धकवर्ग को निरुत्साह अथवा उदासीन जनता, असंतुष्ट कर्मचारीवर्ग जो प्रायः विद्रोही था, अशांत छात्र समुदाय और एक अत्यधिक कठोर विभाग का सामना करना पड़ा। अतः विषम परिस्थितियों का सामना करने के स्थान में यह भावना प्रबल होती गई कि निजी साहस को इस क्षेत्र से हट कर माध्यमिक स्कूलों को सरकार को दे देना चाहिए।]

तो यह प्रवृत्ति जो है अगर इस प्रकार की प्रवृत्तियां बढ़ती रहीं तो जो खतरा हमने बताया है वह बढ़ जायगा। इस सिलसिले में नेशनल प्लानिंग कमेटी ने जो श्री राधाकृष्णनन् के सभापतित्व में एक रिपोर्ट दी है, उसे हम सब मानते हैं। उस रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में पेज ४५ में जो कहा है उसे मैं माननीय मन्त्री जी की सेवा में पेश कर देना चाहता हूं।

"Not all private enterprise in the educational field, it must be recognised, is inspired by greed for monetary gain for the founder or proprietor of an institution. And where such enterprise is inspired by missionary zeal, or influenced by a desire for new experiments in educational technique or content, scope should be available for such endeavours, even though outside the main plan. As these would be exceptional rather than normal; and as, exhypothesi, there is no taint of profit seeking for the promoters of such experiments, the State would lose nothing by suffering them to have room for self-expression."

[यह मानना पड़ेगा कि शिक्षा क्षेत्र में समस्त असरकारी उद्योग किसी संस्था के स्थापक या स्वामी के धन संबन्धी लाभ के लोभ से ही प्रेरित नहीं होता है और जहां ऐसा उद्योग सेवा-भावना से प्रेरित हो अथवा शिक्षा की प्रविधि या विषय पर नये प्रयोगों की इच्छा से प्रभावित हो वहां इस प्रकार के प्रयत्नों को स्थान देना चाहिए, चाहे वे मुख्य योजना के बाहर ही क्यों न हों। क्योंकि यह साधारण होने के स्थान में आपवादिक ही होंगे और कल्पना के परिणामस्वरूप ऐसे प्रयोगों को करने वालों में लाभ उठाने की भावना विद्यमान नहीं होगी राज्य को उन्हें आत्माभिव्यक्ति का अवसर देने में कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी।]

यह नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट में है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में इसको इसलिये भेजें ताकि इस पर इस दृष्टिकोण से विचार हो सके कि आया इस बात की वास्तव में आवश्यकता है कि चैरिटेबिल एंडाउमेंट को इतना अमेंड किया जाय जितना माननीय मन्त्री जी कहते हैं। क्या चैरिटेबिल एंडाउमेंट ऐक्ट की पुरानी धाराओं में गुंजाइश नहीं है कि ठीक तौर से उन्हें इम्पलीमेंट किया जाय ताकि जो हम सब की ख्वाहिश है कि करप्शन दूर हो, वह पूरी हो सके। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि सन् ५० के ऐक्ट में, उस वक्त जबकि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने इसे पेश किया था, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, उसमें उन्होंने बहुत अधिकार लिये थे। उसमें उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जितनी खामियां चैरिटेबिल एंडाउमेंट में हैं वे सब दूर हो सकेंगी। अगर कोई संशोधन आना था तो मैं समझता हूं कि वह इस ऐक्ट में न आना चाहिए था बल्कि उसी सन् ५० वाले ऐक्ट में आना चाहिए था। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में ले जायं। साथ ही यह भी बतलाया गया कि कहीं भी चैरिटेबिल एंडाउमेंट को अमेन्ड नहीं किया गया। केवल बंगाल में १९१० के 'चेरिटेबिल रेगुलेशन' द्वारा एक काम किया गया कि उन्होंने यह सब गड़बड़ी मिटाने के लिये सब अधिकार बोर्ड आफ रेवेन्यू को दे दिये कि उनका सुपरिन्टेन्डेन्ट ये ट्रस्ट प्रापर्टी को इंस्टीटयूशन को देवे। उसकी धारा १ में यह लिखा हुआ है:—

"The general superintendence of all lands granted for the support of colleges and for other beneficial purposes, and of all public buildings such as bridges, sarais, kattras and other edifices, is hereby vested in the Board of Revenue."

तो उन्होंने बोर्ड आफ रेवेन्यू के चार्ज में सुपरिन्टेन्डेन्ट को इन खराबियों को दूर करने के लिये सब अधिकार दे दिये और इस ऐक्ट में संशोधन नहीं किया। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह वस्तुस्थिति को देखते हुए, पुराने ऐक्ट की धाराओं को देखते हुये सन् ५० की ऐक्ट की धाराओं को देखते हुए, इस बात को देखते हुए कि अन्य प्रदेशों ने इस प्रकार का कोई संशोधन ऐक्ट में नहीं किया वह इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में ले जायेंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे कि आया इस बिल को अमेंड करने की आवश्यकता है या नहीं या सन् ५० वाले ऐक्ट में ही अमेन्डमेंट लाकर काम चलाया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं श्री जगन्नाथ मल्ल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय शिक्षा मन्त्री ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक एक बहुत आवश्यक है और इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। मगर इस पर भी विरोधी दल ने इसका विरोध किया है। यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है। इसमें तो सिर्फ यह कहा गया है कि जहां पर कोई चैरिटेबिल ट्रस्ट है और उसका प्रबन्ध खराब हो रहा है जिसकी वजह से उस जायदाद को नुकसान हो रहा है या वह खराब हो रही है, उसकी आमदनी ठीक नहीं हो रही है तो उसका दोबारा प्रबन्ध किया जाय। पहले ऐक्ट में यह था कि उसके प्रबन्ध के लिये उसके प्रबन्धकर्ता या जिसने ट्रस्ट किया है उसकी सम्मति से वह तरमीम की जा सकती थी अब इस विधेयक में यह है कि अगर वह नहीं चाहता है और विरोध करता है तो सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उसमें परिवर्तन कर सके। मैं तो यह समझता हूं कि यह विधेयक बिल्कुल ही आवश्यक है और जरूरी है। इसके विरोध में कहा जाता है कि सरकार ज्यादा पावर ले रही है जितनी कि आवश्यकता है उससे यह ज्यादा ताकत ले रही है लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि अगर इस तरह से जो चैरिटेबिल ट्रस्ट हैं उनके प्रबन्ध को खराब होने दिया जाय और उस खराब इन्तजाम से उस जायदाद को खराब होने दिया जाय तो सरकार को कहा जा सकता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। इसलिये उस कर्तव्य पालन के लिये यह आवश्यक है कि वह इसमें परिवर्तन करे। वीरेन्द्र शाह जी ने यह कहा

कि सरकार यह चाहती है कि जो उस दान देने का मन्शा था और उद्देश्य था उसी को बदल दें। मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं। जो ऐक्ट है उसमें साफ दिया हुआ है। उसके सेक्शन ५ में जो उपधारा है उसमें यह दिया हुआ है कि जब कोई स्कीम बनेगी तो उसमें दाता के विचार व भावना को ध्यान में रखते हुये उतना परिवर्तन किया जाय जितना कि आवश्यक है। इसलिये उनका जो यह ऐतराज है वह निर्मूल है और उसकी इसमें कोई गुंजायश नहीं है। ऐसा विधेयक जो बिलकुल निर्दोष और जिसमें कोई कमी नहीं है उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह सेलेक्ट कमेटी में जाय और उसमें देर लगाई जाय। यह बिल तो बिलकुल निर्दोष है इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और शिक्षा मंत्री जी को इस बिल के पेश करने पर बधाई देता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो चैरिटेबिल एंडाउमेंट संशोधन विधेयक माननीय शिक्षा मंत्री ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस किस्म के विधेयक की आज से नहीं, काफी समय से आवश्यकता थी और आज उन्होंने उस आवश्कता की पूर्ति की है और उसके लिये वह सच्चे माने में हम सब के बधाई के पात्र हैं। इस विधेयक के विरोध में जो भाषण विरोधी दल की तरफ से हुये उनको भी मैंने बहुत ध्यान से सुना। सब से पहले विरोधी दल के माननीय नेता राजनारायण जी ने इसका विरोध किया और विरोध में भाषण किया। उसमें उन्होंने यह बताया कि जहां तक स्कूल और कालेजों का कुप्रबंध है उसको रोकना वह भी चाहते हैं और उसके लिये वह सहयोग देने के लिये तैयार हैं लेकिन उनको यह शक है कि इस विधेयक के द्वारा सरकार जो अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है उसका काफी दुरुपयोग होने की आशंका है और शायद उन्होंने यह भी समझा कि सरकार स्कूल और कालेजों के मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करना चाहती है बजाय इसके कि वह डिसेंट्रलाइज किया जाय। मैं समझता हूं कि उनकी जहां तक आशंका का संबन्ध है वह निर्मूल है और जहां तक इस विधेयक का भाव है उससे वह सहमत हैं क्यों कि वह स्वयं कहते हैं कि जहाँ पर मिसमैनेजमेंट है उसको जरूर रोकना चाहिये और जहाँ तक विरोधी दल के नेता की आशंका का प्रश्न है उन्हें आशंका होना स्वाभाविक है। प्रश्न यह है कि वह इस वर्तमान सरकार को कभी कोई अधिकार देने को तैयार हो सकते हैं? यदि उनका बस चले तो वह शायद किसी भी क्षेत्र में कोई भी अधिकार सरकार को खुशी से देने को न तैयार होंगे और उनकी आशंका इस सरकार के साथ जब तक वह विरोधी दल के नेता हैं या उस ओर हैं, हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक बजाय इसके कि इस सदन में इस समय पास किया जाय इसको एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। मैं नहीं समझता कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने से क्या लाभ होगा। कभी कभी उन्हीं के मुख से यह बात सुनी जाती है कि यह सरकार कभी कोई प्रगतिशील कदम नहीं उठाती लेकिन जब कभी यहाँ कोई प्रगतिशील कदम उठाने का प्रयत्न किया जाता है तो उनकी ओर से कोई न कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश की जाती है।

इसके बाद श्री बीरेन्द्र शाह जी ने भी इसका विरोध किया हालाँकि वह भी इसको स्प्रिट के साथ सहमत हैं। उनको शक है कि इस बिल के पास हो जाने से संस्थाओं के जो मूल उद्देश्य होंगे उनमें भी परिवर्तन हो जायगा। यदि उन्होंने इस विधेयक को जरा ध्यान से पढ़ा होता तो उन्हें यह शक न होता। मैं आपकी आज्ञा से खंड २ के पहले भाग की अंतिम दो लाइन पढ़ना चाहता हूं---

"It may by notice require the person or persons to show cause why the scheme settled for administration be not modified or substituted by another scheme."

तो इसमें शब्द यह है कि "स्कीम सैटिल्ड फार ऐडमिनिस्ट्रेशन" जहाँ तक प्रबंध की योजना का सवाल है उसमें तरमीम हो सकती है लेकिन जहाँ तक

[श्री नवल किशोर]

डोनर या दान देने वाले के मूल उद्देश्यों का संबंध है उनमें सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है।

इसके उपरान्त माननीय तिवारी जी ने भी इस बिल के विरोध में कुछ बातें कहीं। जहाँ तक उनकी दलीलों का संबंध था वह सब निहायत खोखली मालूम पड़ीं। उनकी यह दलील कि चूंकि इस विषय में अभी देश के किसी सूबे ने तरमीम नहीं की है तो क्या वजह है कि यू० पी० में ही सबसे पहले इसको तरमीम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस बिल के सिलसिले में उनकी यह दलील काबिले गौर भी नहीं है इसलिये कि कोई भी सूबा जब कभी भी पहली बार किसी विषय में कदम उठायेगा चाहे वह यू० पी० हो, बिहार हो, आसाम हो या काश्मीर हो अग्रणी रहेगा ही। हमारे प्रान्त ने सब से पहले सन् ३० में जमींदारी मिटाने की आवाज उठाई थी और हमारे ही यहाँ सबसे पहले पूर्णरूप से इस बारे में एक पूर्ण ऐक्ट पास हुआ लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि दूसरे प्रान्तों में वह पहले क्यों नहीं आया और यहीं क्यों आया है। एक बार नहीं कई बार विरोधी दल की ओर से कहा गया है कि काश्मीर में बिना मुआविजा जमींदारी एबालिश की गई है यहाँ भी वही किया जाय। उनके कहने के मुताबिक यह कहा जा सकता है कि काश्मीर ने ही पहले ऐसा कदम क्यों उठाया। दूसरी चीज उन्होंने यह कही कि संशोधन बजाय १८९० के ऐक्ट के सन् ५० वाले ऐक्ट में होना चाहिये था, यह उनका एक तरह का टेक्निकल आब्जेक्शन है लेकिन इससे यह बात जाहिर है कि उनको तरमीम से तो विरोध नहीं है लेकिन वह चाहते हैं कि सन् ५० वाले ऐक्ट में तरमीम हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार इस तरह का कदम उठावेगी तो दान खाते कायम नहीं होंगे। उनकी यह आशंका निर्मूल है। आदमी जब दान देता है, वह कभी यह नहीं चाहता कि उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिनके हाथ में वह इंतजाम सौंपे उसमें आगे चल कर कोई भ्रष्टाचार पैदा हो। मैं समझता हूं कि अगर वाकई मनुष्य यह चाहता है कि उसका धन दान इसलिये हो कि उससे समाज का उत्थान हो और समाज प्रगतिशील बने तो इस विधेयक के पास होने के बाद जब ऐसे मनुष्यों को इस बात का पूर्ण विश्वास हो जायगा कि उनके जीवन के उपरान्त उनके दान खातों के इंतजाम में यदि कोई कमी आई तो गलत आदमियों को सरकार हटा देगी और अच्छे आदमियों के हाथ में उसे सौंप देगी, इससे मेरी राय में दान खाते और ज्यादा बढ़ेंगे।

इस सब बहस के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे प्रान्त में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, विशेषकर स्कूल और कालेज, उनका इंतजाम असंतोषजनक है। इससे कोई भी माननीय सदस्य इनकार नहीं कर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा प्राइवेट कालेज हो जिसके प्रबन्ध की बाबत किसी न किसी किस्म की शिकायत हमारी सरकार के पास न आयी हो। एप्वाइंटमेंट में देखिये तो फेवरिटिज्म और नैपोटिज्म होता है। पार्टीबाजियाँ चलती हैं और कभी-कभी तो सैक्टेरियोनिज्म की बातें भी सुनने में आती हैं। किसी संस्था का नाम लेना तो मैं उचित नहीं समझता लेकिन यह अपनी जगह सत्य है और एक कठोर सत्य है कि लोग बहुत से स्कूलों के इंतजाम से इतने परेशान हैं कि शायद इस तरह की भी सिफारिशें सरकार के पास आयी हैं कि स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और उन्हें गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले। इस तरह की माँग से हम समझते हैं कि बीमारी इस हद तक पहुंच गयी है कि हमको उसका कोई न कोई इलाज जरूर निकालना चाहिये। यह विधेयक कम से कम ऐसी परेशानियों को बहुत हद तक दूर कर सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक पास किया जायगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक मेरी समझ में बहुत होशियारी से भरा हुआ एक षड़यंत्र

है। सारे प्रदेश में छोटी छोटी इकाइयों और घटकों में शिक्षा के क्षेत्र में, जो सत्ता और अधिकार फैले हुए हैं, जो हमारे प्रदेश के सामाजिक जीवन के बहुमूल्य अंग हो गए हैं, उनको शिक्षा मंत्री महोदय इस बिल के द्वारा इकट्ठा करके, उन्हें घसीट करके, थोड़े से आदमियों के हाथों में निहित करना चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा षडयंत्र है। हमारे प्रदेश में शिक्षा संस्थायें चारों तरफ फैली हुई हैं। कितनी प्रबन्ध समितियाँ हैं। उन संस्थाओं का प्रबन्ध चलाने के लिये छोटी और बड़ी समितियां संगठित हैं। हमारे प्रदेश के समाजिक जीवन में उनका एक महत्व है। हमारे प्रदेश की जनता उसके द्वारा अपने जनवादी जीवन की अभिव्यक्ति करती है। उन सबको खत्म करके सारी सत्ता सरकार के हाथ में लेने का यह एक साधन बनाया जा रहा है। अपने भाषण के दौरान में जो बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कही, वही बात माननीय शिवनारायण जी ने भी दूसरे शब्दों में दोहराई कि इस बिल की जरूरत इसलिये दिखायी पड़ती है कि शिक्षा संस्थाओं में पार्टीबाजियाँ हैं और उन्हें दूर करना है मैं समझता हूं कि सारे वर्गीय समाज के जीवन में ही पार्टीबाजियाँ हैं। इसीलिये तो समाज के बुनियादी ढाँचे को ही बदलना जरूरी है अगर पार्टीबाजी को हटाना है। हम सब सदस्य यहाँ, इस सदन में, बैठे हुये हैं यह भी पार्टीबाजी का एक अखाड़ा है। काँग्रेस संस्था के अन्दर भी, बोर्जुआ पार्टी होने के नाते, छोटे-छोटे ग्रुप हैं, उनमें पारस्परिक स्वार्थों का टक्कर है। इसलिये यह सोचना कि छोटी-छोटी पार्टीबाजियों से निकल कर सरकार शिक्षा को और शिक्षा संस्थाओं को बन्धन मुक्त कर देगी, एक व्यर्थ का सपना होगा, केवल रूप में ही फर्क हो जायगा। छोटी-छोटी पार्टीबाजियों में से निकालकर शिक्षा को बड़ी पार्टीबाजी में ला पटका जायगा। लखनऊ में बैठे हुए कर्णधारों में कुछ के हाथ में, गाँवों में, कस्बों में और दूर दूर के टाउन्स में फैली हुई शिक्षा संस्थायें चली जायेंगी और वे थोड़े से कर्णधारों की पार्टीबाजी का अखाड़ा बन जायंगी। इसलिये जरूरत है कि इस विधेयक का विरोध किया जाय और माननीय जगन्नाथमल्ल जी ने जो प्रवर समिति में भेजे जाने के बारे में कहा है उसका समर्थन किया जाय। उसके हाथ में देने का मतलब यह नहीं है कि उसके हाथ में अगर वह विधेयक जायगा तो उसी रूप में मान लिया जायगा। यहाँ अगर किसी संशोधन की जरूरत है तो हाउस के सदस्य वहाँ उसको रख सकते हैं। जहाँ तक जनवादीकरण और सेंट्रलाइजेशन की बात कही गई है मैं उस केन्द्रीयकरण के पक्ष में हूं जो जनतंत्रात्मक हो। वह फासिस्टवादी नहीं होना चाहिये। लेकिन आज का जो विधेयक है वह किसी जनवादी चीज की रक्षा के लिये रखा नहीं गया है। उल्टे जनवादी अधिकारों को छीन कर, इसके द्वारा अधिकारों को थोड़े से हाथों में केंद्रित करने की कोशिश की गयी है। इन शब्दों के साथ, मैं समझता हूं जो विधेयक माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है, उसका विरोध किया जाय और मैं उसका विरोध कर रहा हूं और चाहता हूं कि हम सब एकमत होकर इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करें ताकि प्रवर समिति के सदस्य बैठकर, इस मसले पर विचार करके, छोटी-छोटी इकाइयों के अधिकार-हनन को रोकें। जहाँ तक इन छोटी-छोटी इकाइयों क कुप्रबंध और कुप्रशासन का संबंध है उसके दूर करने लिये तरीके सोचे जा सकते हैं और उपाय निकाले जा सकते हैं। इन तमाम चीजों पर प्रवर समिति विचार कर सकती है। जिन अधिकारों को लेने की जरूरत समझी ही जाय वे लिये जायं लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाय कि जनवादी केन्द्रीयकरण की जो नीति है वह भंग न हो और जो छोटी छोटी इकाइयाँ और घटक हैं वे अपने जनवादी अधिकारों से वंचित न हों। बल्कि उनकी राय और मश्विरे से ही, स्वेच्छित रूप में बड़े हित के दृष्टिकोण से वह अधिकार लिये जायं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि यह बिल सरकार की ओर से एक बड़ा भीषण षडयंत्र है लेकिन षडयंत्र किस प्रकार से हुआ, इस संबंध में कोई प्रकाश नहीं डाला गया। लेकिन अगर विरोधी दल के सदस्य यह समझते हैं कि इस बिल के द्वारा सरकार अपने हाथ

[श्री शिवनाथ काटजू]

में और अधिकार लेना चाहती है या जिन संस्थाओं के द्वारा इन एडाउमेंट्स का इंतजाम हो रहा है उनके हाथ से लेकर अपने हाथ में उनका इंतजाम लेना चाहती है तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह मूल ऐक्ट और इस बिल का तात्पर्य नहीं समझ पाये हैं। मूल ऐक्ट जो सन् १८९० का ऐक्ट है उसमें सरकार को यह अधिकार था कि वह उस संपत्ति को जिसका एंडाउमेंट चैरीटेबिल परपज़ेज के लिये हुआ हो उसको अपने हाथ में ले और उसका इंतजाम एक ट्रेजरर के द्वारा कराये। वह ट्रेजरर सरकारी आफिसर हो सकता था। उसके साथ ही साथ दफा ५ के अन्दर सरकार को यह अधिकार था कि अगर ट्रेजरर उस वक्त तक नियुक्त हुआ हो या नियुक्त होने जा रहा हो तो वह दरख्वास्त पर, कुछ लोगों की दरख्वास्त पर एक स्कीम बनावे और उस स्कीम के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों को मुकर्रर करे जिनके द्वारा उस संपत्ति का इंतजाम हो। अब जब स्कीम बन गयी तो दफा ५ के अन्दर यह भी अख्तियार था कि अगर वह स्कीम चलाने वाले अच्छी तरह स्कीम न चलावें तो उस स्कीम में संशोधन हो और दूसरे आदमी मुकर्रर किये जायं। केवल भेद इतना था कि इस प्रकार की दरख्वास्त स्कीम बनाने के लिये और जब यह स्कीम बन गयी तो उसके संशोधन के लिये कुछ व्यक्ति ही दरख्वास्तें दे सकते थे। ये व्यक्ति वे थे जो उस संपत्ति के ट्रस्टी हैं या जो लोग उस संपत्ति को ट्रस्ट करने जा रहे हैं, वे ही आदमी उसके संशोधन की दरख्वास्त दे सकते थे।

जहाँ तक ट्रेजरर का संबंध है, दफा १२ के अन्दर अगर ट्रेजरर ठीक तरह से काम न करे तो सरकार को अख्तियार था कि ट्रेजरर बदल कर दूसरा ट्रेजरर मुकर्रर कर दे। लेकिन स्कीम को चलाने वाला अगर ठीक तरह से काम नहीं करता है तो उस स्कीम को बदलने का भी सरकार को अख्तियार था। केवल उसमें एक यह नियम था कि उसको बदलने के लिये दरख्वास्त वह व्यक्ति दे जो दफा ६ के अन्दर आता है। आज स्थिति यह हो गयी कि वे लोग जो कायदे के अनुसार दरख्वास्त दे सकते थे, वे गुटबन्दी में पड़ गये और गुटबन्दी में पड़ कर वे दरख्वास्त स्वयं नहीं देना चाहते। वे नहीं चाहते हैं कि जिस तरह का इंतजाम हो रहा है और जिसको सरकार समझती है कि इंतजाम गड़बड़ हो रहा है, उस इंतजाम में परिवर्तन किया जाय। आप देखेंगे कि पहले के ऐक्ट में स्कीम को बदलने का सरकार को अख्तियार सेक्शन ५ के सब-सेक्शन २ में दिया हुआ है।

"On application made as hereinafter mentioned, and with the concurrence of the person or persons making the application, the (appropriate Government) may, if it thinks fit, modify any scheme settled under this section or substitute another scheme in its stead."

यहाँ जो आपके सामने संशोधन बिल है उसमें भी यह सब है। सिर्फ बिल के अन्दर कुछ शब्द बढ़ा दिये गये हैं अर्थात् दफा ६ के अन्दर जो लोग पहले दरख्वास्त दे सकते थे उन लोगों के अलावा सरकार को अख्तियार दिया गया है कि वे अपनी मरजी से भी या किसी दूसरे व्यक्ति की दरख्वास्त पर भी उस स्कीम को या इस स्कीम के अन्तर्गत इंतजाम बदल दें। इसमें यह कहना कि सरकार अपने ऊपर कुछ ज्यादा अख्तियार ले रही है या हस्तक्षेप कर रही है या षड्यंत्र बना रही है, मेरे विचार में इस प्रकार की भावना बिल्कुल निराधार है और उसमें कोई तत्व नहीं है। जो कुछ किया जा रहा है, जितना अख्तियार था वह नया अख्तियार नहीं है, वह पहले भी था। पहले भी सरकार को जैसा मैंने आपको बतलाया सेक्शन ५ के सब सेक्शन २ में अख्तियार था कि स्कीम को बदल कर दूसरी स्कीम को लागू करे। सिर्फ बढ़ाया यह गया है कि लागू करने के लिये वे ही लोग दरख्वास्त दे सकते थे जो दफा ६ में आते थे। आज सरकार ने इस संशोधन की दफा ६-ए के अन्दर उन लोगों के अतिरिक्त दूसरे लोगों को भी दरख्वास्त देने का अख्तियार दिया है। यह देखते हुए कि स्कीम को बदलना

आवश्यक है, इंतजाम ठीक नहीं हो रहा है, लिहाजा यह अख्तियार जैसा कि पहले ऐक्ट के अन्दर भी अख्तियार था, उचित है। मेरे मित्र ने कहा कि इसको एक सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। किसलिये? मैंने जैसा आपसे कहा कि न यह कोई नई योजना है और न कोई नए अख्तियारात अपने हाथ में सरकार ले रही है। सरकार तो इस ऐक्ट की सीमा को विस्तृत कर रही है। कोई नयी बात तो नहीं है। इसके उद्देश्य में भी कहा गया है कि जब तक कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से इस संबंध में सहमति न ले ली जाय या उनके प्रार्थनापत्र प्राप्त न हो जायं उस ट्रस्ट की योजनाओं में कोई संशोधन या परिवर्तन करना या उसके स्थान में कोई दूसरी योजना रखना संभव नहीं है। बस इसी बाधा को दूर करने के लिये नया बिल लाया गया है और यह सेक्शन ६ इसी का सार है। न इसमें कोई षड्यंत्र है और न कोई अख्तियार लेने का उद्देश्य। मेरे मित्रों ने जो आक्षेप किये हैं वह इसलिये हैं कि उन्होंने अच्छी तरह से उसके सार पर ध्यान नहीं दिया है। अगर वे इस पर ध्यान देते तो जो परिवर्तन किये जा रहे हैं उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं पाते। इसके अतिरिक्त यह कहना कि और किसी प्रान्त में ऐसा अमेंडमेंट नहीं हुआ तो यह तो हमारे प्रान्त के लिये गर्व की बात है कि हम दूसरे प्रान्तों के सामने आदर्श रखते हैं और समझते हैं कि १५ दिन के बाद या महीने भर के बाद इसी प्रकार के अमेंडिंग बिल्स दूसरे प्रान्त की विधान सभाओं में भी आवेंगे तो हम तो एक प्रकार से पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। बल्कि यह तो बड़े हर्ष का विषय है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मुझे आश्चर्य है कि विरोधी पक्ष के नेता ने इस बिल के विरोध में भाषण किया है। एक आपत्ति उन्होंने यह उठाई कि उसमें जनतांत्रिक अंकुश नहीं है। दूसरी आपत्ति यह थी कि इसके प्रबन्ध को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जा रहा है। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि इस बिल से उन्हें इस बात की आशंका हो रही है कि पार्टी पालिटिक्स से प्रभावित होकर के कार्यवाहियां की जायेंगी और बजाय लाभ के उन संस्थाओं का नुकसान होगा और इन सब के लिये आपने सुझाव दिया कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज देना चाहिये। माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने अपने भाषण में ऐसी-ऐसी बातें कह डालीं जिनका जवाब माननीय काटजू साहब ने अपने भाषण में अभी दिया है। अन्य सूबों में इस प्रकार के कानून नहीं बनाये गये यह उन्होंने कहा। वह इसकी आवश्यकता तो महसूस करते हैं कि इस किस्म का कानून बने। विरोधी पक्ष के नेता ने भी इसकी आवश्यकता महसूस की। वह यह नहीं कहते कि इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो है लेकिन उनका विरोध दूसरे कारणों से है। इसी तरह से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा आवश्यकता तो है लेकिन उन्होंने यह बताया कि दूसरे सूबों में इस ऐक्ट में कोई तरमीम नहीं हुई इसलिये उनकी राय में इस सूबे में ऐसा विधेयक नहीं आना चाहिये।

हम समझते हैं कि माननीय नारायण दत्त जी भूल जाते हैं कि यह उत्तर प्रदेश का सूबा सारे सूबों का अग्रगण्य है, हर बात में अगुआ रहा है, जमींदारी अबालिशन को ले लीजिये, जितने भी कानून बने हैं हमारा सूबा पथप्रदर्शक रहा है। इतिहास उठा कर देख लीजिये हमारा सूबा सदैव अग्रगामी रहा है। इसलिये अगर हम कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे इस किस्म की जायदाद, जो नष्ट की जा रही है, जिसको ट्रस्टी खराब कर रहे हैं, अगर उसका सुधार करने के लिए कोई विधेयक हम पेश करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि हमारे विरोधी पक्ष के नेता उस का स्वागत करें, वह कहते हैं कि चूंकि और सूबों ने ऐसा नहीं किया है इसलिये हमको भी ऐसा नहीं करना चाहिये, यह कोई तर्क नहीं है।

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

दूसरा तर्क माननीय नारायण दत्त जी ने यह उपस्थित किया कि १९५० वाले ऐक्ट का तो संशोधन होना चाहिये, पुराने ऐक्ट में यह संशोधन नहीं होना चाहिये। यह तर्क जो माननीय नारायण दत्त जी ने उपस्थित किया मैं नहीं समझता कि उससे क्या फर्क होता है। अगर वह महसूस करते हैं कि ओरिजिनल ऐक्ट में कोई कमी रह गयी है तो उसमें सुधार क्यों न किया जाय, बल्कि सन् ५० वाले ऐक्ट में तरमीम किया जावे ? यह भी तर्क अपील नहीं करता। दूसरी बात आपने यह कही कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर हमला नहीं करना चाहिए। मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी और माननीय राजनारायण जी से इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इन बातों पर विचार करें। मुझे आश्चर्य यह होता है कि जब कभी ऐसे विधेयक आते हैं, जब कभी ऐसा प्रश्न आता है तो हमेशा आप लोगों का यह कहना होता है कि प्राइवेट प्रापर्टी को खत्म कीजिये। मकानों की मिलकियत को खत्म कर दिया जाय और टेनेंट्स और सब-टेनेंट्स को अधिकार दे दिया जाय, कारखानों और बड़े-बड़े मिलों को खत्म कर दिया जाय। आप का हमेशा यही कहना रहता है कि आप प्राइवेट प्रापर्टी का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते। मगर जब हम कोई बिल प्रस्तुत करते हैं जिसमें यह कहते हैं कि इंतजाम खराब है, बिल के उद्देश्य और कारणों में साफ-साफ कहा गया है कि बहुत सी संस्थायें ऐसी हैं जिनका इंतजाम खराब है उसको दूर करने के लिए हम थोड़ा सा अधिकार सरकार के हाथ में देना चाहते हैं। यह तो सीधा-सादा सिद्धांत है इस विधेयक का। इतना आप देने को तैयार नहीं हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मकानों की मिल्कियत, प्रोप्राइटरी राइट खत्म कर दिया जाय। इस प्रकार की सारी चीजें खत्म कर दें। लेकिन यह सब खत्म होने के बाद किस का शासन होगा, किस का अधिकार होगा ? गवर्नमेन्ट के अधिकार में ही तो सब जायेंगे।

माननीय झारखंडे राय जी ने कहा इसमें बड़ा भारी षड्यंत्र है। मुझे आश्चर्य है क्योंकि वह बहुत समझदार आदमी हैं, अध्ययनशील आदमी हैं उनके मुंह से यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया। इसको समझने की कोशिश नहीं की। यह विधेयक सरकार को एक सीधा सा अधिकार देता है। आप चाहते हैं ऐसी संस्थाओं को बिलकुल निरंकुश कर दिया जाय। आज इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं, सब का सम्बन्ध कुछ न कुछ किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से होगा, अगर व्यक्तिगत सम्बंध नहीं होगा तो जानते तो होंगे ही, इसमें तो कोई इन्कार कर नहीं सकता है, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, खैर "जितने" कहना तो मुबालगा होगा, लेकिन बहुधा मेजारिटी उन संस्थाओं की है कि जिनका प्रबन्ध खराब है। वहाँ पर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिये उन संस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। मैं स्वयं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, एक संस्था आजमगढ़ में है, जिसके कई हजार रुपये एक व्यक्ति ने जो ट्रस्ट की प्रापर्टी थी, उसको स्वयं अपने प्रयोग में ले लिया, वह ट्रस्टी भी हैं और वह ट्रस्टेड प्रापर्टी है। तो क्या आप चाहते हैं कि प्रान्त के अन्दर इस किस्म की व्यवस्था रहे कि जो चाहे ट्रस्ट की प्रापर्टी को जो एक बहुत बड़ा धन है, जिसकी सुरक्षा करना हमारा आपका सब का कर्त्तव्य है उसको वेस्ट होने दिया जाय? कोई गवर्नमेन्ट उसको बरदाश्त नहीं कर सकती और न कोई सम्मानित सदस्य बरदाश्त कर सकता है। हमारा आपका कर्त्तव्य है कि जितनी इस किस्म की जायदाद हैं उनका प्रबन्ध समुचित रूप से हो और जिस काम के लिये वह ट्रस्ट बनाये गये हैं उसमें उनका उपयोग हो, दुरुपयोग न हो। यह कब होगा और कैसे होगा इसका नियंत्रण होना चाहिये। पहला कानून जो अभी माननीय काटजू साहब ने पढ़ कर सुनाया है उसमें यह है और इस विधेयक में भी दिया हुआ है। उसमें उसके सुधार करने की दरख्वास्त कौन देगा इसकी जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है, जिन पर इन्तजाम का भार है, जो ट्रस्टी हैं। वही खराबी कर रहे हैं

और प्रबन्ध ठीक नहीं कर रहे हैं और कानून में दिया हुआ है कि वही लोग जब आवेदन-पत्र देगें तभी गवर्नमेन्ट कार्यवाही कर सकती है। क्या आप समझते हैं कि जो नुकसान करता है वही तैयार होगा कि अपने आप जाकर मूव करे अपने खिलाफ? ऐसा कहीं नहीं होता है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि कितनी ही जायदाद इस सूबे में बरबाद हो रही है, नष्ट हो रही है। उन्हीं को सुधारने के लिये, उन्हीं पर नियंत्रण रखने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसके उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है कि सरकार का ध्यान हाल में इस ओर आकृष्ट हुआ है कि चैरिटेबिल एंडाउमेन्ट्स ऐक्ट (२),१८९० के अन्तर्गत निश्चित योजना के अनुसार कार्य करने के लिये स्कूल और कालेजों के प्रबन्ध में कुप्रशासन हो रहा है और सम्पति का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। जब तक कि ऐसे व्यक्ति " यह इम्पार्टेंट है और इस पर सब को ध्यान देना चाहिये उन व्यक्ति या व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में सहमति न ले ली जाय या उनका प्रार्थना-पत्र प्राप्त न हो जाय तब तक उस ट्रस्ट की योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन करना या उसके स्थान में कोई दूसरी योजना रखना संभव नहीं है।

क्या मानी हैं? पहला कानून सन् १८९० का बना हुआ है। आप चाहते हैं कि सन् १८९० का जो कानून है वही लागू रहे अब तो परिस्थिति दूसरी हो गयी है। अब तो गवर्नमेन्ट को अधिकार देने में कोई एतराज आपको नहीं होना चाहिये। आप तो स्वयं कहते हैं कि हम स्वयं इधर चले आयेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप कहते हैं कि यहाँ आकर बैठेंगे; यह आपका स्वप्न है लेकिन यही आपका दावा है, आप आशा तो ऐसी ही करते हैं। सम्भव है आप आ जायं १० वर्ष के बाद, २५ वर्ष के बाद, ५० वर्ष के बाद शायद वह स्वप्न सच हो जाय आप इस कुर्सी पर आकर बैठ जायं। ऐसी अवस्था में आप घबराते क्यों हैं? आप ही तो हुकूमत करेंगे। राज नारायण जी शिक्षा मंत्री बनें, मदनमोहन जी शिक्षा मंत्री हो जायं कोई गवर्नमेन्ट फार्म करेगा तो आपके ही हाथ में कानून रहेगा। आप उसको लागू कीजिये या न कीजिये। गवर्नमेन्ट तो आज हमारी गवर्नमेंट है, एलेक्टेड बाई दि पीपिल है। यह जनता की हुकूमत है। जनता की हुकूमत तो आप मानेंगे ही चाहे आप कहें कुछ भी। आज न मानें लेकिन मानना चाहिये कि यह गवर्नमेन्ट अपने से नहीं बन गयी है, चुनकर आई है। और चुन के आयेगी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बराबर चुन करके आयेगी। जब तक कि देश में कॉंस्टीट्यूशन है तब तक इस यू० पी० की हुकूमत चुन करके होगी। तो आज कॉंग्रेस की हुकूमत है, कल दूसरी पार्टी की हुकूमत हो सकती है। एतराज आपको किस बात का होता है कि सरकार को अधिकार न दिया जाय। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री महोदय को पुनः बधाई देता हूं और इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा यह करता हूं कि इसका कोई विरोध नहीं किया जायगा और इसको हम सर्वसम्मति से पास करेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह कहना कि साहब इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है इसमें तो कोई एतराज की बात ही नहीं है जैसा कि श्री काटजू ने दफा ५ और दफा ६ को पढ़ा और कहने लगे की दफा ६ में कुछ लोगों को यह अधिकार है कि वे दरख्वास्त दें तो गवर्नमेन्ट उसके खिलाफ कार्यवाही करे। मैं कहता हूं कि आप अधिकार छीनने के लिये तो यहाँ नहीं बैठे हुये हैं। अगर ऐसा है तो आप फिर कह दीजिये कि विद्या का ताल्लुक जिस चीज से है वह एजुकेशन मिनिस्टर कर लिया करें और जिस चीज का जो मिनिस्टर हो वह वह चीज कर लिया करे। हम लोगों को राय देने का अख्तियार नहीं है क्योंकि मिनिस्टर ही सब कुछ कर लेंगे। यहाँ पार्टी पालिटिक्स की बात कही गयी, मैंने आज तक पार्टी पालिटिक्स का नाम नहीं लिया लेकिन आज विवश हो करके यह कहना पड़ता है कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को अपनी पार्टी के अन्दर ला करके आप खराब करना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं लेकिन बहरहाल अपनी-अपनी पार्टी के मातहत आप उन पर रूल करना

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

चाहते हैं। जिस शख्स ने ट्रस्ट कायम किया और जिन्दगी भर की कमाई उसमें लगाई वह उसी तरह की है जैसे एक शख्स वसीयतनामा लिखता है कि भाई हमारी जायदाद फलाँ को मिले अब अगर कोई दूसरा शख्स दरख्वास्त दे दे कि फलाँ उसकी जायदाद खराब किये डालता है, सत्यानाश किये डालता है और फिर सरकार कहे कि उसकी जायदाद ले लो क्योंकि वह जायदाद तबाह किये डालता है अगर आपको यह भी ख्याल करना चाहिये कि जिस आदमी ने चना चबा चबा कर के गुजर किया है और जिसने अपने जीवन की सारी कमाई को एक काम में लगाया है उसने एक स्कीम भी तैयार की होगी। ज्यादातर आप को ऐसा मिलेगा कि किसी ऐजुकेशनल इंसटीट्यूशन में एक ट्रस्टी नहीं होता पांच-सात और दस तक होंगे। इसके अलावा ट्रस्टीज के बनाने का तरीका भी होगा। अगर किसी मामले में वे मुनासिब समझते हैं तो अदालत में भी जा सकते हैं और गये हैं। ट्रस्ट प्रापर्टी के मुतालिक बहुत से मुकदमात हुये हैं लेकिन यह कहना कि उनको अधिकार नहीं देना चाहिये, हमें सार्वजनिक बेसिस पर कार्य करना चाहिये और आज हमारी गवर्नमेन्ट है कल मुमकिन है कि सोशलिस्ट पार्टी का गवर्नमेन्ट हो जाय तो फिर उनको यह अधिकार मिलेगा इस तरह के बहस मुबाहिसा पर कहां तक गौर किया जा सकता है। जरा आदमी को सोचना चाहिये, कि अगर स्वतंत्रता हुई है तो दूसरे के अधिकार को छीनने के लिये नहीं हुई है जिन को अधिकार मिले हैं उनके पास अधिकार रहने चाहिये। अगर हो सके तो उनके अधिकार में और वृद्धि की जाय न कि कमी की जाय। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चैरिटेबिल एन्डाउमेंट्स बिल, जो हमारे सदन के सामने उपस्थित है उसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हूं। मुझे आश्चर्य हुआ विरोधी दल के नेताओं का भाषण सुन करके। कहा गया कि यह बिल षडयंत्र से भरा हुआ लाया गया है। वास्तव में वे एक सीधी और सादी चीज को सही रूप में नहीं देखते इसलिये यदि वे एक सीधी वस्तु में षडयंत्र देखते हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। और इसके विरोध में बहुत सी ऐसी बातें कही गयीं जिनका उत्तर हमारे पक्ष के सदस्यों ने दिया है लिहाजा उस तरफ ज्यादा कहना सदन का समय व्यर्थ खोना है। इसलिये मैं उन बातों की तरफ न जा कर अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि न मालूम कितने ऐसे दान-पत्र, जो उनको करने वाले कर गये हैं और उनके उत्तराधिकारियों ने उन दान-पत्रों को छिपा रखा है वे आज एक्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि इसके साथ-साथ कोई इस प्रकार की भी व्यवस्था की जाय जिससे वे दान-पत्र जो शिक्षा संस्थाओं के लिये या और दूसरे वांछनीय कार्यों के लिये किये गये हैं, किन्तु जिनको उनके उत्तराधिकारी अपने स्वार्थवश सामने नहीं ला रहे हैं, कार्य रूप में परिणत हो सकें। यदि माननीय मंत्री चाहेंगे तो मैं उनको उदाहरण दूंगा जिनमें लाखों रुपये की संपत्ति जो सार्वजनिक कार्यों के लिये देय है, आज छिपी हुई पड़ी है। दो-एक इस प्रकार के दान-पत्र हैं जो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी या और इस प्रकार की संस्थाओं के लिये किये गये हैं किन्तु उनको कहीं पर कार्य में परिणत नहीं किया जा रहा है। तो इस बिल का समर्थन करते हुये मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि कोई इस प्रकार की भी वे व्यवस्था करें, जिससे जो इस प्रकार के दान-पत्र छिपे पड़े हुये हैं और कार्य-रूप में परिणत नहीं हो रहे हैं वे कार्य रूप में परिणत हों। इन शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री को यह आवश्यक बिल उपस्थित करने के लिये बधाई देता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज इस सदन में भाषण सुनते यह समझ में नहीं आया कि उधर के बैठे हुये माननीय सदस्यों ने हमारे विरोधी दल के माननीय नेता राज नारायण जी के भाषण को सुना भी था उस समय वह कहीं बाहर थे। मैं हर एक माननीय सदस्य के मुंह से यही सुन रहा हूं कि माननीय राजनारायण

जी ने इस बिल का विरोध किया। मैंने भी माननीय विरोधी दल के नेता के भाषण को काफी समझने की कोशिश की। जहां तक उद्देश्यों का सवाल था उस पर उनका कोई विरोध इस बिल का नहीं था। अगर सिद्धान्त पर ही उनका कोई विरोध होता तो हमारी तरफ से सेलेक्ट कमेटी की बात नहीं होती। शायद हमारे उन बहुत से माननीय सदस्यों को यह नहीं मालूम है कि जब हम किसी बिल के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेते हैं उसके बाद ही हम सेलेक्ट कमेटी की बात करते हैं। हमने तो उनके सिद्धान्त को माना। हम तो समझते हैं और हमें मालूम है कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां गड़बड़ी है, जिनका इन्तजाम ठीक होना आवश्यक है। केवल प्राइवेट संस्था ही नहीं बल्कि इस गवर्नमेन्ट की बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जहां खराबी है और जिनमें इम्प्रूवमेंट होना आवश्यक है। उन्हें भी ठीक करने के लिये हम यहां पर आये हुये हैं। लेकिन जब माननीय शिवनाथ काटजू जी ने भी उसी प्रकार कहना शुरू कर दिया तो मुझे बहुत दुःख सा हुआ और उसी की सफाई देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जहां तक सिद्धान्त का सवाल है उससे हमें कोई विरोध नहीं है और हम चाहते हैं कि एक कमेटी के सामने यह जाय और वहां सब बातों पर विचार हो। माननीय देवदत्त मिश्र ने जो नाम-पत्रों की बात कही तो क्या माननीय मंत्री जी के घर जाकर कहने से यह काम हो सकता है। ये सब बातें तो सेलेक्ट कमेटी में हो जाने से हो सकती हैं। जो शिकायतें इंस्टीट्यूशन्स के बारे में हैं उनको दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि। आप सिलेक्ट कमेटी में अपने संशोधन और विचार रखते और उसको मद्देनजर रखते हुये सिलेक्ट कमेटी इस बिल पर जो संशोधन करना चाहती करती। जिस उद्देश्य से यह लाया गया है उस से हमें विरोध नहीं है और हम उनके साथ हैं। इतना जरूर चाहते हैं कि उस पर एक अंकुश हो और यह प्रजातांत्रिक हो, डेमोक्रेटिक हो। मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता ने यही कहा था। अगर वह यह कह देते कि हम आपके साथ हैं, आपने बहुत ही अच्छा किया है, तब आप समझते वर्ना आप लोग यह कहने लगे कि नेता विरोधी दल ने इसका विरोध किया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जबकि मैंने माननीय बृज बिहारी मिश्र से सुना और खास तौर से जबकि श्री शिवनाथ काटजू ने भी यही कहा।

मैं उनका ध्यान सन् ५० वाले ऐक्ट की ओर दिलाना चाहूंगा। सन् ५० में यह सवाल इस सदन के सामने आया था। पुराने ऐक्ट को मैं उनका ध्यान दिलाने के लिये पढ़ना चाहता हूं। इस सिद्धान्त के बारे में जो आज कहा जा रहा है इसको सन् ५० में ही मान लिया गया था। इसका सेक्शन (२) मैं पढ़ता हूं—

"If, upon any representation made or otherwise it appears to the State Government that any property held in trust for the advancement of education is being wasted or mal-administered, it may by notice, require the person or persons acting in the administration thereof to show cause, within a time to be specified, why the same be not vested in the Treasurer of Charitable Endowments and a scheme for its administration be not settled."

इसमें अमेंडमेंट हो सकता था। श्री ब्रजविहारी मिश्र ने कह दिया कि अगर सोशलिस्ट गवर्नमेन्ट आयेगी तो क्या तब्दीली नहीं होगी। मैं श्री सम्पूर्णानन्द जी के उस भाषण की ओर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं जब कि वह शिक्षा मंत्री थे। आज उतने जोरदार शब्दों में बातें नहीं कही गईं जितनी उस समय कही थीं मैं उसके चन्द शब्द आपको सुना देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को लायब्रेरी में जाना न पड़े। उन्होंने कहा था कि यह बिल बहुत सीधा सादा है और मुझे विश्वास है कि सदन को यह मंजूर होगा। इसका आशय थोड़े में यह है कि जो हमारी शिक्षा संस्थायें हैं उनके प्रबंध के सम्बन्ध में, जो कई तरह की शिकायतें समय-समय पर हमारे पास आती रहती हैं

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

उनमें एक खास यह है कि कभी-कभी किसी-किसी शिक्षा संस्था में उसके इंतजाम करने वालों में आपस में इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि वह शिक्षा संस्था बिल्कुल ही चौपट हो जाती है। फौजदारी होती है, मुकद्दमेबाजी होती है। इसका असर अध्यापकों पर पड़ता है। उसकी पार्टीबंदी में लड़कों को शरीक किया जाता है। लड़कों के जरिये से एक पार्टी कभी हेड मास्टर या प्रिंसिपल या दूसरी पार्टी के टीचर को छेड़ने की कोशिश करती है और मैनेजर और सेक्रेटरी तक झगड़ा बढ़ने की नौबत आ जाती है। उस वक्त हम विवश होते हैं और कोई उसका इंतजाम नहीं कर सकते हैं। यह हम जानते हैं कि अक्सर शिक्षा संस्थाओं का खर्चा लड़कों की फीस और गवर्नमेंट की ग्रांट से चलता है। हमारे पास सिवाय इसके और कोई अधिकार नहीं है कि हम उसकी ग्रांट को बन्द कर दें। लेकिन किसी की ग्रांट बन्द करने से भी कोई काम बनता नहीं। वह आपस में लड़ते रहते हैं, अध्यापकों की तनख्वाह बन्द हो जाती है, पढ़ाई रुक जाती है। मजबूर होकर फिर उनको ग्रांट को जारी करना पड़ता है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, मैं एक ऐसी शिक्षा संस्था की मिसाल देता हूं कि जिससे मेरा खुद का ताल्लुक है। उसके कई हजार ट्रस्टियों में से मैं भी एक हूं।

इसके बाद जो इलाहाबाद के बारे में उन्होंने कहा उसको मैं छोड़े देता हूं। आगे उन्होंने कहा कि "मैं आशा करता हूं कि इस चीज से सारे सदन को सहानुभूति होगी। इस पर हाउस की स्टैंडिंग कमेटी ने काफी गौर किया है और इसको दूसरे सदन ने भी मंजूर कर लिया है। इसलिये मुझे आशा है कि यह सदन भी इसे मंजूर करेगा ताकि यह जो गड़बड़ी कहीं कहीं है वह ठीक की जा सके।"

सन् १९५० में ही माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने यह कह दिया है। अगर तब्दीली की जरूरत ही थी तो उसी पर अगर इसको ऐड कर लेते तो कोई बात नहीं थी। हमें भी मालूम हो जाता कि यह सन् ५० के ऐक्ट में आ चुका है। जहां तक संस्थाओं का सवाल है मैंने सफाई कर दी। जहाँ तक इसके सिद्धांत का सवाल है हमारा इससे कोई विरोध नहीं है। हम भी चाहते हैं कि संस्थायें संभल जायं। हमारी भी इच्छा है कि ऐसी जो संस्थायें हैं वे पार्टीबाजी में न पड़ जायं, सरकार की पार्टी विशाल बहुमत वाली है, हमें डर है कि जिन लोगों ने इस इलेक्शन में उनके खिलाफ वोट दे रक्खे हैं उन संस्थाओं को कहीं वह कब्जे में करने के लिये ही इस ऐक्ट को न लाये हों ताकि दूसरे चुनाव के वक्त वह ऐसा न कर सकें। यह हमारा डर है और हरएक को जो विरोधी पक्ष में हो इसका डर हो सकता है। आज हम विरोधी पक्ष में हैं और हो सकता है कल आप हों। उन्होंने कहा कि डेमोक्रैटिक अंकुश होना चाहिये। कोई संस्था है बड़े आदमी आयें, जज आयें, जहां गड़बड़ हो उसे ठीक करें। अपने यहां की मैं ऐसी बहुत सी संस्थाओं की बात जानता हूं। चैरिटेबिल संस्थायें हैं, ५० रुपये देकर अपने को चैरिटेबिल संस्था के नाम से रजिस्टर करा लेते हैं। मैं उन संस्थाओं का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहता। विरोधी दल भी चाहता है कि इन संस्थाओं पर अंकुश होता कि करप्शन दूर हो। मैं तो खुले तौर से कहता हूं कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस में भी आज खराबियां हैं। हमारे मित्रों ने काफी इस पर रोशनी डालने की कोशिश की है। काटजू साहब वकील हैं, उन्होंने भी कुछ कहा था। मुझे दुःख है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात इस संबंध में सदन के सामने रक्खी थी, वह कानून की लम्बी-चौड़ी बात थी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह कानून जानने वाले हैं तो, जो बात रक्खें वह जरा ठीक तौर से रक्खें क्योंकि हम भी कानून के बारे में थोड़ा-बहुत जानते हैं। लेकिन सरकार ने जिस उद्देश्य से इस बिल को रक्खा है उसके लिये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का उसमें पूरा सहयोग है। सदन के समने यह बात कहने का उद्देश्य यह है कि हम जानते हैं कि कानून पास हो कर रहेगा, हमारा एक भी संशोधन माना नहीं जायगा, लेकिन बाद में अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो हम दुनिया के सामने कह सकेंगे कि हम

इसीलिये पहले सफाई चाहते थे। माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कोई भी सफाई पेश नहीं की कि शिक्षा संस्थायें इससे अलग होंगी। ५० रुपये देकर कोई भी संस्था अपने को चैरिटेबिल संस्था के नाम से रजिस्टर करवा सकती है। सैकड़ों संस्थायें इस प्रान्त में इस तरह की हैं जिनके साइनबोर्ड टंगे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इसकी सफाई पेश करेंगे। माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं। श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने जो प्रस्ताव को सिलेक्ट कमेटी में ले जाने के लिये रक्खा वह इसलिये कि वहां पर शायद इस बात की सफाई हो सके। जहां तक उद्देश्यों का सवाल है हम उनसे पूर्णतया सहमत हैं। मैं तो समझता हूं कि श्री सम्पूर्णानन्द जी ने जो ५० में कहा था कि शायद इसमें कुछ चेंज होने से कुछ भलाई हो सके, आज जो मंत्री जी ने कहा उससे भी मैं सहमत हूं और हमारे मित्र नारायण दत्त जी और ज्वाला सिंह जी ने जो कुछ कहा उससे भी मैं सहमत हूं। लोग किस उद्देश्य से चैरिटी देते हैं? लोग बुड्ढे हो जाते हैं तो कुछ धन दान खाते के लिये जमा कर देते हैं ताकि वह धन अच्छे कार्य में खर्च हो। बहुत सी जगह ऐसी संस्थायें खुल गयी हैं जहां कोई प्याज नहीं खायेगा, गोश्त नहीं खायेगा, अंडा नहीं खायेगा क्योंकि दान देने वाले की जो इच्छा रहती है वही उस संस्था में रक्खी जाती है। बहुत सी संस्थायें ऐसी कायम हुई हैं। तो अगर आप इस तरह कोई नियम बनावें जो कि उनकी इच्छा के प्रतिकूल पड़ते हों और दाता की भावना को ठेस पहुंचाते हों तो उसका खयाल आपको जरूर रखना चाहिये। मैं इसी सफाई को देने के लिये आपके सामने बोलने के लिये खड़ा हुआ था। इस तरह का काम नहीं होना चाहिये जिससे कि नीयत बदल जाय। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप लोग विरोधी दल के सदस्यों का भाषण सुनने की कोशिश करें और फिर उसको समझने की भी कोशिश करें। जब किसी बिल का प्रिंसिपुल मंजूर होता है तभी उसको सेलेक्ट कमेटी में जाने के लिये कहा जाता है। यह हो सकता है कि यहां पर कोई संशोधन आ जाय और हम लोग उसको स्वीकार कर लें। लेकिन हम यह चाहते हैं कि अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी में चला जायगा तो वहां पर कुछ सुधार हो सकेगा। आप किसी भी संस्था के इंतजाम को बदल सकते हैं और खुशी से उसको बदल लिये, मगर उसका जो भाव है और जो दाता की इच्छा है उसको बदलने की कोशिश न करें। मुझे यह मालूम नहीं कि जो ऐक्ट सन् १९५० ई० में पास हुआ था उससे कुछ फायदा उठाया था वह अभी तक लागू हुआ है या नहीं। हो सकता है हुआ हो लेकिन मुझे तो यह कहना है कि इस बिल के जो उद्देश्य हैं वह नष्ट नहीं होने चाहिये। मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इसमें छोटी मोटी तरमीम हो जाय जिससे यह सब संस्थायें जो साइनबोर्ड लगाकर आज दिखायी देती हैं और बदनाम हैं वह सब बन्द हो जायं। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सामने जाना चाहिये।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के सदस्यों का भाषण सुनने के बाद कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती थी क्योंकि उनके ही शब्दों में कि उनके भाषण को चाहे विरोध समझ लीजिये या सपोर्ट समझ लीजिए यह उन्होंने कहा था। इसके संबंध में क्या कहा जाय और क्या सुना जाय और इस बात को वह कैसे कह सकते थे। जहां तक मैंने समझा है वह यह है कि शिक्षा प्रणाली या शिक्षा के संबंध में अभी तक उन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की है। लेकिन बोलने की जरूरत इसलिये पड़ी कि हिन्दू महासभा के एकमात्र प्रतिनिधि इस सारे प्रान्त के श्री ज्वाला प्रसाद ने अपने विचारों में कुछ बातें व्यक्त कीं और इससे भी अधिक जरूरत इसलिये पड़ी कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक मात्र प्रतिनिधि श्री झारखंडे राय, जो कि संभवतः समाजवादी पार्टी की होड़ में खड़े हुए थे और आजकल जबकि के० एम० पी० पी० सोशलिस्ट पार्टी में मर्ज हो गई है तो रिवोल्यूशनरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में मर्ज

[श्री रामनरेश शुक्ल]

होने के लिये वह इंतजाम कर रहे हैं। तो जहां तक उनका संबंध है उनको शिक्षा प्रणाली को थोड़ा सा समझने का मौका मिला और उन्होंने थोड़ा सा इशारा भी यहां पर किया लेकिन तकरीर करने के बाद वह एकदम भूल गये कि उन्होंने तकरीर में क्या कहा और अब वह चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा कि वह केन्द्रीयकरण के पक्ष में हैं फिर उसी सांस में वह आगे फरमाते हैं कि छोटी छोटी पाठशालायें और स्कूल सारे प्रान्त में जनतंत्रीय ढंग से फैली हुई हैं उन पर सरकार कब्जा करके अपनी पार्टी के हाथ में देना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा क्या माननीय सदस्य से जान सकता हूं कि जिस देश में उनके प्रकार का शासन है क्या वहां पर शिक्षा संस्थायें लेकर विदेश के लोगों के हाथ में दी जाती हैं या उनके लिये और मशीनरी पैदा की जाती हैं? यह एक इन्नोसेंट तरीके का संशोधन पुराने एक्ट में है और इसके विरोध की बात कुछ समझ में नहीं आती। किसी ने इस बात के कहने की हिम्मत नहीं की और न इस बात से इनकार करने की हिम्मत की कि शिक्षा संस्थाओं के प्रबंध में अंधेर नहीं हो रहा है। जिन उद्देश्यों से दान देकर कमेटियां कायम की गयीं थीं आज उनके द्वारा कितना दुरुपयोग हो रहा है यह बात देखने की है। इस बात को सब मानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं करता। जब यह बात सही है तो फिर यह हमदर्दी किस बात की? अभी चुनाव तो दूर है, एक साहब को चुनाव का हौवा दिखाई पड़ा कि शायद उसकी तैयारी हो रही है और जैसी स्थिति इस प्रान्त में है उसको देखते हुए इस प्रान्त में तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक इस पार्टी का संबंध है लेकिन अगर किसी को जरूरत हो और इधर-उधर एक दो चुनाव के नतीजे के फैसले से हिम्मत कुछ ज्यादा बढ़ गई हो तो वह उन्हें मुबारक हो लेकिन शिक्षा संस्थाओं जैसी चीजों में चुनाव जैसी चीज को लाकर प्रान्त के साथ ज्यादा इंसाफ करना नहीं है। मुझे और सभी को मालूम है कि डोनर्स ने न मालूम कितने पवित्र विचार से कितना पैसा, गांव, जमीनें लगाकर संस्कृत की पाठशालाओं या दूसरी संस्थाओं का निर्माण किया था लेकिन मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि हम जब उनकी प्रगति को देखते हैं कि झूठे-झूठे हिसाब और खर्च दिखलाकर अपने निजी खर्च में वह पैसा लाते हैं और जब कभी कोई किसी का मुआयना वगैरह होता है तो आसपास के कुछ लड़कों को लाकर इस वादे पर बिठा देते हैं कि अगर ठीक से बैठोगे तो ४ पैसे रोज मिलेंगे, इस तरह से मुआयने कराये जाते हैं। मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन से देश और प्रान्त की जनता का लाभ होगा। इस पर बहुत लम्बी तकरीरें हो चुकी हैं। जरूरत तो इस बात की थी कि इसको दस मिनट में पास कर दिया जाता।

एक दूसरी चीज बड़े जोर से कही गयी। मुख्य विरोधी पक्ष जो है उन्होंने कहा कि हम तो इससे सहमत हैं और इसके लिये हम सब उनके आभारी हैं लेकिन उन्हें इस बात की जरूरत महसूस हुई कि यह संशोधन एक सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। सेलेक्ट कमेटी की जरूरत किन अवसरों पर होती है? यह तो अगर ठीक तरह से देखा जाय तो दो ढाई संशोधन हैं और वहां पर क्या जरूरत है कि वहां पर दस आदमी बैठकर इस पर गौर करने लगें। जहां एक बहुत लम्बा-चौड़ा बिल होता है, जहां काफी सेक्शन्स होते हैं, जहां यह संभव नहीं होता कि पूरा सदन उस पर ठीक से विचार कर सके या जहां यह शंका होती है कि वे खूबियां जोकि लाने का मंशा होता है वे आंखों से ओझल हो जायेंगी, तो ऐसी हालतों में सेलेक्ट कमेटी की जरूरत पड़ती है। ऐसे छोटे से संशोधन विधेयकों के लिये सेलेक्ट कमेटी नहीं होनी चाहिये। इस पर तो पूरा सदन विचार कर सकता है। इसमें क्या संशोधन करना है? यही कि थोड़ा सा इसे नरम कर दिया जाय, थोड़ा सा गरम कर दिया जाय। लेकिन अब तो हवा इस प्रान्त की यह हो रही है कि इंटरनेशनल और यू० एन० ओ० तक पहुंच

जावें और जब वहां से फैसला हो जाय तो इस प्रदेश में कानून लागू हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह एक छोटा सा संशोधक विधेयक है और इसकी सख्त जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी की सेवा में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कानून हमेशा पास हुआ करते हैं और आज भी आप पास कर रहे हैं। लेकिन मुझे डर है कि सरकार उनको सख्ती से नहीं बरतती है। अब कोई शिकायतें आवें और शिकायतें आवें या न आवें, सरकार को स्वयं पता लगाना चाहिये कि जहां खराबियां हों वहां इस कानून को सख्ती से बरता जाय। पिछले दिनों में मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह और इसे कहना मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आज शिक्षा संस्थाओं में जितनी धांधली और अंधेर है उतना शायद कभी न हुआ हो। आज वहां साम्प्रदायिकता, जातीयता और कुप्रबंध सबको मिलाकर हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी दूषित हो गयी है कि हमारे प्रान्त का भविष्य बड़ा अंधकारमय है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि यह विधेयक पास तो हो ही जायगा, जैसा कि विरोधी पक्ष के लोगों ने भी कहा है, इसको बड़ी सख्ती से, बल्कि मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि बड़ी बेरहमी से इसका प्रयोग करके बुरी संस्थाओं का सारा प्रबन्ध सरकार जिसके हाथ में चाहे उसके हाथ में दे दे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक पेश है उसके उद्देश्य और कारण तो हमारे कई माननीय सदस्यों ने पढ़े हैं। इस विधेयक की आवश्यकता इसलिये मालूम होती है कि स्कूलों और कालेजों के प्रबन्ध के मुतालिक कुछ ऐसी दिक्कत पड़ी जिसकी वजह से इस विधेयक को लाने की जरूरत समझी गई और खास तरीके पर उस वक्त के लिये जब कोई स्कूल या कमेटी के द्वारा वह चैरिटेबिल एंडाउमेंट या जो प्रापर्टी उस स्कूल या कालेज को मिली हो उसके प्रबन्ध में कोई दिक्कत हुई हो या उसका दुरुपयोग किया गया हो या कुप्रशासन उसका हुआ हो। ऐसी हालत में इस्तेमाल करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। सबसे पहली चीज यह देखनी है कि आया यह विधेयक जरूरी है या नहीं। यदि देखा जाय तो जितने ये चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स हैं ये भी एक तरीके के ट्रस्ट हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने ट्रस्ट की डेफिनीशन किताब से पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

"A trust is an obligation annexed to the ownership of a property and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of another or of another and the owner."

[न्यास संपत्ति के स्वामित्व से संसक्त तथा स्वामी में रखे गये तथा उसके द्वारा स्वीकृत विश्वास से उत्पन्न या उसके द्वारा किसी अन्य के लाभ के लिये अथवा किसी अन्य तथा स्वामी के लाभ के लिये घोषित तथा स्वीकृत दायित्व है।]

इस परीके पर अगर देखा जाय तो कोई भी आदमी अपनी प्रापर्टी को किसी स्कूल या कालेज को देता है किसी खास पर्पज को लेकर। अब उसका पर्पज क्या है ? वह कहते हैं कि "ए ट्रस्ट इज एन आब्लीगेशन एनेक्ज्ड टु दि ओनर-शिप आफ प्रापर्टी" यानी जब कोई व्यक्ति अपनी प्रापर्टी को किसी स्कूल या कालेज को देता है तो ओनरशिप के साथ-साथ वह उन आब्लीगेशन्स को भी जिनके लिये वह उस प्रापर्टी को देता है, अटैच कर देता है। वह आब्लीगेशन उसके साथ-साथ अटैच हो जाते हैं। इसीलिये यह दिया हुआ है कि "ट्रस्ट इज एन आब्लीगेशन एनेक्ज्ड टु दि ओनरशिप आफ ए प्रापर्टी" यानी जैसे वह प्रापर्टी एक की ओनरशिप से दूसरे की

[श्री कमला सिंह]

ओनरशिप में पास करती है तो वे आब्लीगेशन्स भी जिनके लिये वह उस प्रापर्टी को देता है उसके साथ-साथ जाते हैं।

अब सेक्शन ६ में यह दिया हुआ है--

"Subject to the provisions of section 5, a Trust is created when the author of the trust indicates with reasonable certainty by any words or act (*a*) an intention on his part to create thereby a Trust (*b*) the *purpose* of the Trust. . . ."

इस तरह से आप देखते हैं कि ट्रस्टी किसी इंस्ट्रूमेंट आफ ट्रस्ट के जरिये अपने पर्पज को जाहिर करता है इसलिये जिस पर्पज के लिये वह ट्रस्ट रखा गया है उसको खत्म नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि वह पर्पज जिसके लिये वह प्रापर्टी किसी स्कूल या कालेज को दी गयी है किसी तरह खत्म हो जाती है तो वह ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है। उसकी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाती है। यह जो विधेयक इस सदन के सामने लाया गया है उसके ६-ए में ये लफ्ज दिये हुए हैं--

"If the State Government is satisfied upon representation made or otherwise that, in any case, where any property has already vested in the Treasurer of Charitable Endowments under section 4 and a scheme has been settled under section 5 that the person or persons acting in the administration thereof are wasting or mal-administering the same, it may by notice require the person or persons to show cause why the scheme settled for administration be not modified or substituted by another scheme."

जैसा कि माननीय सदस्य झारखंडे राय जी ने कहा है कि यह बिल खतरे से खाली नहीं है अगर आप इसके असली रूप को देखते तो आपको मालूम होगा कि ट्रस्ट का जो आबजेक्ट है, जो परपज है जिसके लिये वह प्रापर्टी किसी स्कूल या कालेज को दी गई है वह यदि खत्म हो, जाता है तो फिर वह ट्रस्ट भी ऐक्जिस्ट नहीं करता यानी वह इंस्ट्रूमेंट आफ ट्रस्ट का ध्येय बिलकुल खत्म हो जाता है। अब एक चीज यह भी देखनी चाहिये कि उस इंस्ट्रूमेन्ट आफ ट्रस्ट के लिये एक खास परपज है जिसके लिये वह चीज ट्रान्सफर की जाती है स्कूल या कालेज को ओनरशिप दी जाती है। अगर उसमें जो परपज दिया हुआ है वह खत्म हो जाता है तो वह ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है। अब जो विधेयक लाया गया है उसमें यह दिया हुआ है--

"उक्त ऐक्ट के उपबंधों के अधीन पहिले से निश्चित प्रबंध की योजना में संशोधन किया जा सके या उसके स्थान में दूसरी योजना रखी जा सके।"

यह पावर इस सदन के जरिये से यह गवर्नमेन्ट लेने जा रही है। यही एक चीज खटक रही है इसलिये इस विधेयक को इस सदन को बार-बार पढ़ना चाहिये और इसको समझना चाहिये और फिर उस चीज को पास करना चाहिये।

इसमें दिया हुआ है कि वह आब्लीगेशन जो उसमें है उनके साथ ही वह स्कूलों और कालेजों की ओनरशिप में दिया जा रहा है। ऐसी हालत में जैसा कि दिया हुआ है "उक्त ऐक्ट के उपबंधों के अधीन पहिले से निश्चित प्रबंध की योजना में संशोधन किया जा सके या उसके स्थान में दूसरी योजना रखी जा सके।"

यानी उस इन्स्ट्रूमेन्ट आफ ट्रस्ट का जो परपज है उसमें भी आप यह चाहते हैं यानी यह गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि उसमें भी उसे अधिकार दे दिया जाय कि वह जैसे चाहे वैसे उसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन कर सके जिससे कोई दूसरा परपज या दूसरी कोई

भी योजना लागू की जा सके । तो ऐसी हालत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह ट्रस्ट जिसका आब्जेक्ट यह था कि वह परपज जिसके लिये वह चीज किसी को दी गयी है वह बिलकुल खत्म हो जाती है । और खासकर अगर आज इस सदन में ऐसा कोई विधेयक लाया गया होता जिसके जरिए वह मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्ट से जो ट्रस्ट प्रापर्टी का दुरुपयोग कर रहे हों उनके अधिकार छीन कर अपने हाथ में उसी परपज के लिये जैसा इन्स्ट्रूमेंन्ट आफ ट्रस्ट में दिया गया है चलाने के लिये लेती जैसा कोर्ट आफ वार्ड्स में होता है तो मैं उसका वेलकम करता लेकिन आज जिस परपज से सरकार काम करना चाहती है उसे इस सदन को कभी बरदाश्त नहीं करना चाहिये । मैं इस सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि समें बहुत खतरा है । हम लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं जैसे भी चाहें इसको मैजारिटी की बिना पर पास कर सकते हैं लेकिन हमको यह भी देखना है कि जिस वक्त यह चीज ला कोर्ट के सामने आयेगी उस वक्त हम लोगों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आयेगी, क्योंकि जब यह ला कोर्ट के सामने जायेगा तो वहीं पर इसका इंटरप्रिटेशन होगा। यह ट्रस्ट का मामला है इसलिये हमको यह भी देखना है कि ला कोर्ट में उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से होगा इसलिये मैं इस सदन का ध्यान इस तरफ भी लाना चाहता हूं कि आखिर ऐसी हालत में जबकि आप उसका परपज ही चेंज कर रहे हैं तो यह एक ऐसी चीज है जो मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी इस बात को नहीं मान सकता कि यह ब्रीच आफ ट्रस्ट नहीं है । ब्रीच आफ ट्रस्ट का जो डैफिनिशन दिया हुआ है वह यह है—

"A breach of any duty imposed on a trustee as such by any law for the time-being in force is called a breach of trust."

[किसी न्यासी पर समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार आरोपित कर्तव्य की अवहेलना न्यास भंग है ।]

तो इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर एक ट्रस्ट है जिसका खास परपज दिया हुआ है अगर उसका किसी तरह से ब्रीच होगा तो वह ब्रीच आफ ट्रस्ट होगा। एक ट्रस्ट है जिसके जरिये से किसी स्कूल या कालेज का इन्तजाम किया जा रहा है । अगर उसका ट्रांसफर किसी दूसरे परपज के लिए कर दिया जाय तो फिर मैं समझता हूं कि इस तरह से आप जो एक दिक्कत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं उससे सैंकड़ों दिक्कतें सामने आयेंगी और उसका नतीजा यह होगा कि मुकदमेबाजी बढ़ेगी । जिस चीज से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं वह और ज्यादा बढ़ेगी और आपकी परेशानी भी बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के माननीय सदस्यों के भाषण सुने । लेकिन जहां तक इस बिल के ऊपर उन्होंने अपने वक्तव्य दिये हैं और दलीलें पेश की हैं उनको मैं दो कैटगरी में रखता हूं । एक तो वे हैं जो कहते हैं कि उसूलन यह जो विधेयक है उसे इस हाउस में पेश नहीं होना चाहिये । कारण उसका यह बतलाते हैं कि जो परपज व आब्जैक्ट के ऊपर अभी तक बहस हुई है उससे जो परपज व आब्जेक्ट डोनेशन का है वह डिफीट हो जायगा। दूसरी तरफ से यह बहस की गयी कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और उसके ऊपर प्रवर समिति में पूरी तरह से विचार हो।

जहां तक पहले किस्म के हमारे सदस्य हैं जिन्होंने इस पर भाषण दिया है मैं यह बतलाना चाहता हूं और वे माननीय सदस्य जो अभी बोले हैं कानून के वसूल की जो बात उन्होंने कही और डैफिनेशन और प्रिंसिपल की बात कही कि यह जो विधेयक है उससे डोनेटर का जो चैरिटेबिल एंन्डाउमेंट्स है उसका जो एम ऐंड आब्जैक्ट्स है वह प्रोसीक्यूट हो जायगा और यह विधेयक जो सदन के सामने पेश किया गया है उसके परपज व

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

आबजेक्ट को डिफीट हो जायगी । मैं समझता हूं कि इस तरह की उनकी जो दलीलें और तकरीरें हैं वे बिलकुल बे बुनियाद हैं और जहां तक कि दूसरे क्लास की दलील और एतराज है उनके लिये मैं साफ कह देना चाहता हूं कि जैसे हमारे माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी ने अपनी तकरीर फरमाई उनका निश्चय दूसरे क्लास के लोगों से मिलता था लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह गर्भपात है उनके विचारों का जो उन्होंने हाउस के सामने रखा । मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा सा विचार वे और करते तो इसी नतीजे पर पहुंचते कि इस विधेयक को पास कर देना चाहिये और एंन्डाउमेंन्ट्स और चैरिटेबिल इन्स्टीट्यूशन्स की जो प्रापर्टीज है उनके एम्स ऐन्ड आब्जेक्टस फेल न हों । उनके एम्स ऐन्ड आब्जेक्टस को हल करना चाहिये । लेकिन हमारे मित्र मदन मोहन जी ने जो प्लीडिंग की है वह स्टिल बार्न चाइल्ड की प्लीडिंग है क्योंकि उनके अन्दर कोई सजीवता नहीं है । माननीय नारायण दत्त जी ने जो तर्क उपस्थित किये हैं वह बहुत छोटे किस्म के तर्क थे । आपने कहा कि यह बताइये कि क्या वजूहात हैं कि इस बिल को इस सदन से पास कर दिया जाय और इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा था कि इसको सन् ५० में पास होना चाहिये था । मैं कहता हूं कि परिस्थितियां पैदा होती हैं, नई-नई परिस्थितियां दिन-दिन पैदा होती हैं उसी के मुताबिक समय की डिमान्ड के मुताबिक टुकोप अप विद दि सिच्यूयेशन काम किये जाते हैं। ऐसी जरूरत अगर कल नहीं थी तो इसके माने यह नहीं होते कि वह जरूरत आज नहीं पैदा होनी चाहिये । यह बिलकुल गलत तर्क है और माननीय सदस्य जिनकी बुद्धि काफी विकसित है और जो यहां हाउस में बैठे हैं उनके दिमागों के अन्दर कोई विश्वास नहीं पैदा कर सकते हैं । आपका ओरिजिनल ऐक्ट है उसकी दफा ६ में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई थी कि अगर कोई भी मिसमैनेजमेंट अगर डोनेटेड प्रापर्टी यानी चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशन में होता है तो उसको सरकार बन्द करा सकती है लेकिन उसके अन्दर जैसा एक साहब ने फरमाया वह बिलकुल सही है और सच है । मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि मिसमैनेजमेंट की बाबत सरकार के पास वही रिपोर्ट कर सकता है जो उस चैरिटेबिल ट्रस्ट का मैनेज करने वाला हो, उसकी रिपोर्ट पर ही सरकार कोई ऐक्शन उस मामले में ले सकती थी लेकिन इस विधेयक के जरिये से सरकार जब कभी भी उसको इत्तिला मिले या सुओ मोटो आफ इट्स आन रेकार्ड या किसी के भी रिप्रेजेन्टेशन पर जो उसका कार्यकर्ता न भी हो या उस प्रापर्टी का ट्रस्टी न भी हो तभी उसकी रिपोर्ट पर सरकार व्यवस्था करेगी । मैं समझता हूं कि इस छोटी सी बात के खिलाफ इतनी गलत ओपीनियन रखना कोई अन्य प्रकार के विचार दिमाग में लाना उसके प्रति अन्याय करना है । इसलिये मैं समझता हूं कि जितने तर्क और दलीलें दी गई हैं वह ठीक नहीं हैं और दरख्वास्त करूंगा कि इस विधेयक को सब लोग सपोर्ट करें और पास करें ।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट किये हैं और मैं अब बहस बन्द करने के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

राजा वीरेन्द्र शाह---मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं इसलिये कि यह बिल आज ही पेश किया गया है और आज ही सरकार चाहती है कि पास हो जाय ।

उपाध्यक्ष---इसीलिये मैं हाउस से पूछ लेना चाहता हूं कि प्रस्तुत वादविवाद को समाप्त किया जाय या नहीं ।

प्रश्न यह है कि क्या इस पर वादविवाद समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, निस्संदेह यह सत्य है कि इस विधेयक को इस भवन के सामने उपस्थित करते समय मैंने यह समझा था कि एक ऐसे

सम्मानित भवन से यह विधेयक अधिक से अधिक २० मिनटों में पास हो जायगा। लेकिन यहां का वादविवाद देखकर, यह देखकर कि माननीय सदस्यों ने बिल को पढ़ने या उसको समझने का प्रयत्न न करके सरकारी नियत पर आक्षेप करना ही शायद यह समझ लिया है कि विपक्ष का यही एक कार्य है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र की विशेषता यही है और इसी में वह और तन्त्रों से प्रशंसनीय समझा जाता है कि उसमें विरोधी पक्ष को भी यह समझना चाहिये कि उसके ऊपर भी शासन का उतना ही उत्तरदायित्व है जितना इस ओर बैठने वाले लोगों पर। उनको कभी भी ऐसी बात न करनी चाहिए कि यदि संयोगवश उनको उस तरफ से इस तरफ बैठना पड़े तो वे अपने ही शब्दों से लज्जित हों। मैंने यह देखा कि किसी ने यह देखने का प्रयत्न नहीं किया कि आखिर यह बिल किस आशय से लाया गया है और इसको कार्यान्वित करने से क्या परिणाम होगा। किसी ने लाइब्रेरी से दौड़ कर ट्रस्ट ऐक्ट ले लिया, कहीं कोई किताब ले ली यह देखा भी नहीं कि यह बिल है क्या। मैं इस सम्बन्ध में शिवनाथ काटजू जी का बहुत अनुगृहीत हूं। उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया कि स्पष्टरूप से यह बताएं कि इसका आशय क्या है। अन्तर केवल इस बिल में और १८९० के ऐक्ट में केवल इतना ही है कि उस समय सरकार किसी योजना में संशोधन कर सकती थी लेकिन उसके लिए यह आवश्यक था कि जो उसके प्रबन्धकर्ता हैं वहीं दरख्वास्त दें। बहुमत से इसका फैसला करें कि यह चीज हमारे चलाये नहीं चलती है इसमें सम्पत्ति नष्ट हो रही है, इसलिये सरकार अपने हाथ में ले ले। तभी सरकार को अधिकार था कि वह उस क्षेत्र में पदार्पण करे और उस स्कीम को अपने हाथ में ले ले। उसमें सरकार को अधिकार उसी समय मिलता था जबकि प्रबन्धक बहुमत से स्वयं सरकार से प्रार्थना करें चाहे कोई भी सम्पत्ति नष्ट होती रहे, लोग उसको खाते रहें, जिस उद्देश्य के लिए वह संस्था थी उसमें एक पैसा भी न लगता हो लेकिन सरकार को उस समय तक जब तक कि उस सम्पत्ति के जो प्रबन्ध करने वाले होते हैं वे लोग बहुमत से यह निर्णय नहीं करते हैं कोई अधिकार हस्तक्षेप करने का नहीं था। यह बिल जो आज भवन के सामने प्रस्तुत है केवल उस चीज को हटा रहा है। इतना ही इसमें अन्तर है। उसमें अगर कोई साहब यह कहें कि यह तो कुल शिक्षा संस्थाओं को अपने हाथ में लेने का षडयंत्र है तो षडयंत्रकारियों को षडयंत्र ही दिखायी देते हैं। झारखंडे राय जी को इस बात का भी दुख हुआ कि जो शिक्षा संस्थाएं अभी तक स्वतंत्र रूप से रही हैं उस पर सरकार नियंत्रण करेगी। मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, और भवन के समक्ष भी कहना चाहता हूं, कि झारखंडे राय जी की आयडियालोजी में यह देश उनका नहीं है। वे शायद अपने इस देश को अपना नहीं समझते, एक दूसरे देश को अपना समझते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि वह अपने उस देश की शिक्षा प्रणाली को देखें और बतावें कि क्या वहां किसी शिक्षा प्रणाली को तनिक भी स्वतन्त्रता प्राप्त है। क्या वहां इतना तक नियंत्रण नहीं है कि कोई किसी बच्चे को कोई दूसरी शिक्षा दे ही नहीं सकती? केवल वही शिक्षा दे सकता है जो वहां के पोलिटिक्स से नियंत्रित हुआ हो। लेकिन वहां के लिये उनका दूसरा आदर्श है यहां के लिये दूसरा आदर्श है। यहां भी वह वही चाहते हैं जो वहां हो रहा है। यहां स्वतंत्रता के नाम में उनको कुछ और ही दिखाई देता है। लेकिन मैं उनको और उनके तरीके पर जो और सदस्य सोच रहे थे उनको फिर बता देना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थाओं से इस बिल से कोई सरोकार नहीं है। यह केवल उन्हीं संस्थाओं पर लागू होगा जिनके पास अर्पित सम्पत्ति है। हर एक शिक्षा संस्था के पास इन्डाउमेन्ट नहीं है तो उनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। लेकिन अगर सचमुच में जो षडयंत्र का आरोप उन्होंने आज यहां सरकारी पक्ष की ओर बैठने वालों पर लगाया वह सत्य है तो मैं उनसे पूछता हूं कि हमारे रास्ते में कौन अड़चनें थीं कि उन स्कूलों को ग्रांट बन्द कर दें, उन इंस्टीट्यूशन की रिकाग्नीशन विड्रा न कर लें। इसमें तो हमारे लिये कोई बाधा नहीं थी। इसलिये उनका समझना क्योंकि वह उस तरफ बैठे हुये हैं कि इधर के बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी कारण से, किसी आदर्श से, किसी उद्देश्य से इधर

[श्री हरगोविन्द सिंह]

बैठा हो, षडयंत्र करता है, यह कम से कम इस भवन में कहने की बात नहीं थी। मैं फिर भी कहता हूं कि इस भवन का स्तर होना चाहिये। एक स्तर होता भी है। आप एक स्वतन्त्र देश के एक भवन के माननीय सदस्य हैं। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। जो लोग आपको चुनकर भेजते हैं, वह आप से आशा करते हैं कि आप ऐसी बात करेंगे जो सुन्दर होगी, स्वच्छ होगी, ऊंची होगी, एक ऊंचे आदर्श की होगी। छोटी बातों पर उतर करके किसी की नियत पर आक्षेप करना ठीक नहीं है। कल हम उधर और आप इधर हो सकते हैं लेकिन हमारा राजनैतिक स्तर ऊंचा रहना चाहिये तब आपको भी काम करने में सहूलियत होगी और वही सहूलियत हम चाहते हैं कि आप हम लोगों को भी दें जो इस इस तरफ बैठे हुए हैं। तो यह कहना कि शिक्षा संस्थाओं पर कोई मैं आघात करना चाहता हूं बिल्कुल गलत है ट्रस्ट डीड से इस विधेयक का उतना ही अन्तर है जितना माननीय सदस्य को कानून से ट्रस्ट डीड से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कम से कम समझता था कि हमारे मित्र नारायण दत्त जी से ऐसी बात तो नहीं आवेगी कि यह एक नई चीज है। इसलिये यह नहीं होना चाहिये। मैं उनसे पूछूंगा कि दुनिया में सोशलिस्ट पार्टीज तो बहुत हैं लेकिन लाल टोपी तो और किसी ने नहीं बदली आपने क्यों बदल दी? यह नई चीज भी नहीं है और प्रान्तों में भी बिल संशोधित हुआ है। अगर वह जानना चाहें तो मैं उनको बता दूं। बर्मा जिस वक्त में हिन्दोस्तान का भाग था वहां यह बिल संशोधित हुआ। संथाल परगना जो बिहार में है वहां भी संथाल परगना ऐक्ट के नाम से संशोधित हुआ। बंगाल में वह खुद ही कह चुके हैं कि यह संशोधित हुआ, लेकिन उस ऐक्ट के जरिये नहीं जो उन्होंने बतलाया। वह दूसरा ऐक्ट था जिसके जरिये संशोधित हुआ और वह था बंगाल वक्फ ऐक्ट आफ, १९०४। उससे यह संशोधित हुआ। तो इसलिये यह कहना कि यह बिल कहीं संशोधित नहीं हुआ यह गलत है। एक प्रश्न उन्होंने उठाया और अच्छा उठाया कि सन् १९५० के ऐक्ट में ही क्यों नहीं कोई अमेंडमेंट कर दिया गया और इस बात की क्या आवश्यकता हुई कि सन् १८९० के ऐक्ट में आप संशोधन करें। उसमें उनका दोष नहीं है। यदि वे थोड़ा गम्भीरता से और विचारपूर्वक सन् १९५० के ऐक्ट को पढ़ते तो शायद उनको अंतर स्पष्ट हो जाता लेकिन अगर उन्होंने नहीं पढ़ा और यह शंका उठाई तो हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे अफसोस है कि अपने प्रारम्भिक भाषण में मैंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया। सन् १९५० के ऐक्ट में संशोधन न करने का कारण यह था कि चैरिटेबिल इंडाउमेन्ट ऐक्ट में दो प्रकार की सम्पत्ति होती है एक तो जो ट्रेजरर में वेस्ट करती है और एक जो ट्रेजरर में वेस्ट नहीं करती। जो ट्रेजरर में वेस्ट किये हुये हैं उनके लिये १९५० का ऐक्ट लागू है। जहां कि प्रापर्टी ट्रेजरर में वेस्ट नहीं करती वहाँ सन् १९५० का ऐक्ट लागू नहीं होने वाला है। अगर सच पूछिये मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता और नाम लेना उपयुक्त भी नहीं है और उचित भी नहीं है, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि बैंक और शिक्षा संस्था अपनी ख्याति पर चला करती हैं। अगर कोई बड़ा अच्छा और मजबूत बैंक हो और उसकी ख्याति बिगड़ जाय तो वह बैंक जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार से यदि कोई शिक्षा संस्था की ख्याति बिगड़ जाय, अगर उसकी बदनामी हो जाय तो आप चाहें या न चाहें आप के बिना चाहे उसको एक धक्का लगता है। इसी-लिये मैंने आरम्भ में ही किसी संस्था का नाम नहीं लिया। अब भी इस भवन के सामने किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना बता देने में कोई हर्ज नहीं है कि जिन संस्थाओं को दृष्टि में रखकर यह बिल आप के सामने प्रस्तुत है वह बिल भी उसी और उसी के समानान्तर अन्य संस्थाओं को दृष्टि में रखकर बनाया गया था, लेकिन जब बिल को कार्यान्वित करने का प्रश्न आया तो उसमें यह देखा गया कि यह कानून तो उन्हीं संस्थाओं के लिये लागू होगा जहां कि अर्पित सम्पत्ति ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में नहीं

पहुंची है, लेकिन जहां कि ऐडमिनिस्ट्रेटर आलरेडी ऐडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, प्रापर्टी को नष्ट कर रहा हो वहां के लिये यह ऐक्ट लागू नहीं होता। तो इसीलिये यह आवश्यकता पड़ी कि यह विधेयक भवन के सामने लाया जाय जिसमें दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के लिये हमारे पास कानून हो जाय, एक तो वह जिसमें कि सम्पत्ति ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है और दूसरी जिसमें सम्पत्ति ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में नहीं है। सन् १९५० वाला ऐक्ट उस स्थिति में लागू होता है जहाँ कि संपत्ति ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में नहीं है। यह विधेयक जब अधिनियम बन जायगा तो उस स्थिति में लागू होगा जहाँ संपत्ति वेस्ट करती है ऐडमिनिस्ट्रेटर में। बस इसी लिये सन् १९५० के ऐक्ट में संशोधन न करके एक दूसरा ऐक्ट लाने की आवश्यकता हुई। अब इसको सिलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? एक तो यह कि यह एक क्लाज का बिल है और इतने दिन से भवन के सामने रहा है और आशा की जाती है कि हर एक माननीय सदस्य ने इस पर विचार किया और अपने संशोधन भी दिये। जिन संशोधनों की नोटिस मिली है उनमें ऐसी आवश्यकता नहीं मालूम होती कि कोई ऐसी चीज छूट गयी है जो उसी समय व्यक्त हो सकती है जब कि यह बिल एक प्रवर समिति में भेज दिया जाय। ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। दूसरे यह कि यह जो विधेयक है इसलिये यह आवश्यक है कि यह सन् ५० के अधिनियम के समानान्तर ही हो क्योंकि एक दफा एक अधिनियम में जब इस भवन में किस प्रकार से उसमें काम किया जाय, यह रास्ता निश्चित कर दिया तो दूसरे ऐक्ट में जिसका अन्तर पुराने ऐक्ट से केवल इतना ही हो कि संपत्ति ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है या नहीं, तो उसमें कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं होना चाहिये वरना इस भवन के ही लोग कहेंगे कि सन् ५० के ऐक्ट में तो वैसा बनाया और सन् ५२ के ऐक्ट में ऐसा बनाया। तो चूंकि जिसमें दोनों एक दूसरे से समानान्तर हों, कोई अलगाव न हो, कोई अनमेल न हो इसलिये भी हम यह समझते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जितनी शंकायें की गयी थीं मैंने उनका उत्तर दे दिया लेकिन वह आपके लिये संतोषजनक है या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि यह सदन गंभीरता से इस बात को विचार करेगा तो देखेगा कि इसमें कोई षडयंत्र नहीं है, केवल एक शुद्ध दृष्टि से, शुद्ध उद्देश्य से ऐसे उद्देश्य से कि जिस बात के लिये किसी ने अपनी कमाई दे कर एक संस्था का निर्माण किया है, उसकी रक्षा हो यही एक मात्र लक्ष्य है। यह मैं बता दूं कि इस बिल द्वारा किसी को यह अधिकार नहीं है कि जिन उद्देश्यों से एक एंडाउमेंट क्रियेट हुआ है उसको कोई बदल दे। उसका प्रबंध कैसे किया जाय केवल इतना ही उसमें परिवर्तन हो सकता है और यह १८९० के अधिनियम में सुरक्षित है। उदाहरण के लिये आप एक स्कूल को ले लीजिए। बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा, को ही ले लीजिए। उसके पास एक एंडाउमेंट है, एक धन उसके पास संचित है जो कि उस कालेज में लगना चाहिये। तो गवर्नमेंट को इस अधिनियम में अख्तियार नहीं होगा कि कल से वह यह कहे कि यह धन कालेज के काम में न लग कर इससे क्रिकेट का खेल होगा। गवर्नमेंट यह नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सिर्फ यह कर सकती है कि अगर वह इस परिणाम पर आती है कि जिन लोगों के हाथ में इस संपत्ति के ऐडमिनिस्ट्रेशन का भार है वे उसको कालेज के काम में न ले आकर दूसरे कामों में लगा रहे हैं जिससे कि जिन उद्देश्यों से इस संस्था का निर्माण हुआ था उनको ठेस पहुंच रही है तभी इसमें केवल इतना उसको अख्तियार है कि वह उस मैनेजमेंट को ले कर के उसको वैसे रूप में कार्यान्वित करे जिसमें उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके जिसके लिये कि उस महानुभाव ने अपनी जायदाद या अपनी कमाई या अपनी संपत्ति उस संस्था को दी थी। मालूम नहीं वे एक वर्ष . या दो वर्ष पढ़े होंगे लेकिन बीसों वर्ष हमने भी इसी ट्रस्ट ऐक्ट की चक्की पीसी है। ट्रस्ट ऐक्ट में भी समझता था। हाँ, अगर उनके ही ऐसा वकील किसी

[श्री हरगोविन्द सिंह]

अदालत में आ गया तो वह वही इंटरप्रेटेशन करेगा। लेकिन इस ऐक्ट में उस इंटर-प्रटेशन के लिये कोई गुंजायश नहीं है। तो अब मैं यह समझता हूं कि जितनी बातें थीं मैंने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया और आपके सामने रख दिया। अगर आपको इसमें विश्वास है कि अच्छे उद्देश्य से यह बिल लाया गया है तो आप इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और अगर आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई षडयंत्र है, ट्रस्ट ऐक्ट कुचला जा रहा है तो आपको अख्तियार है कि आप जो चाहें सो करें। लेकिन मैं तो आशा करता हूं कि चूंकि आप भी उन्हीं उद्देश्यों से प्रभावित हैं जिन उद्देश्यों से प्रभावित होकर सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है। इसलिये आप इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष--अब मुझे सदन का मत लेना है। जो श्री जगन्नाथ मल ने प्रस्ताव इसको प्रवर समिति को भेजने का किया था, मैं उसको आपके सामने रखूंगा।

प्रश्न यह है कि चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२, को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

१८९० के ऐक्ट २ में नई धारा 6-A का बढ़ाया जाना।

चैरीटेबिल इंडाउमेंट्स ऐक्ट, १८९०, की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा ६-ए बढ़ाई जायगी :--

"6-A. (1) If the State Government is satisfied upon representation made or otherwise that in any case, where any property has already vested in the Treasurer of Charitable Endowments under section 4 and a scheme hasbeen settled under section 5 that the person or persons acting in the administration thereof are wasting or mal-administering the same, it may by notice require the person or persons to show cause why the scheme settled for administration be not modified or substituted by anotherscheme.

(2) The notice under sub-section (1) shall be served in such manner as may be specified.

(3) Where the person or persons served with the notice fail to show cause within the time allowed or the Government is satisfied after considering their explanation, if any, and making such enquiry as it may deem necessary that the property it being wasted or mal-administered is may, notwithstanding anything contained in section 5 or 6, modify the scheme or substitute another scheme in its place."

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बतलाना चाहता हूं कि जो मैंने संशोधन आपको दिया है, उसको पेश करना चाहता हूं।

खंड २ के अन्तर्गत चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स ऐक्ट, १८९०, में प्रस्तावित धारा ६-ए के स्थान पर नई धारा ६-ए रख दी जाय।

'6-A (1) The State Government may, upon representation made by *bona fide* and responsible persons where any property has already vested in the Treasurer of Charitable Endowments under section 4 and a scheme has been settled under section 5 that the person or persons acting in the administration thereof are wasting or mal-administering the same, order an enquiry to be made into the allegations made in the representation. Provided that the enquiry shall be made by a committee to be appointed by the State Government and the members thereof shall be the District and Sessions Judge and a respectable citizen of the district, an officer appointed by the Land Reforms Commissioner, U. P. who shall not be below the rank of a Sub-Divisional Officer, first class, and two members of the family of the person who made the Endowment. The District and Session Judge shall be the Chairman of the Committee.

(2) The committee appointed under sub-section (1) shall by notice require the person or persons to appear before it within a time to be fixed by the committee to show cause why the administration of the Endowments or Endowment should not be taken out of his or their hands and entrusted to such person or persons as the committee may recommend to the State Government.

(3) The notice under sub-section (2) shall be served in the manner prescribed in the Code of Civil Procedure.

(4) Where the person or persons served with the notice under sub-section (2) fail to appear before the committee within the time allowed the committee shall proceed with the enquiry *exparte*.

(5) The committee shall, after completion of its enquiry, the procedure of which shall be the concern of the committee itself, submit its findings and recommendations to the Government which shall take appropriate action thereon notwithstanding anything contained in section 5 or 6.

[राजा वीरेन्द्र शाह]

Provided that nothing in this section shall effect the scheme settled under section 5."

श्रीमान जी, मेरा अभिप्राय इस संशोधन को पेश करने का यही है जैसा कि अभी मंत्री जी ने यह कहा और अपने उद्देश्य को बतलाया और जो उधर से भ्रम था कि इंडाउमेंट्स के ऊपर सरकार स्कीम बदल सकेगी या दूसरी रख सकेगी उसके बारे में कुछ सफाई तो मंत्री महोदय ने कर दी है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस ऐक्ट में लिखा हुआ है उससे यह भय होता है कि आगे चल कर जो सरकार का उद्देश्य है कि इंतजाम ठीक तरह से हो, उसको तो हम मानते हैं, लेकिन अगर उसके उद्देश्यों में जरा सी तब्दीली करने की गुन्जायश रहती है तो यह चीज इस ऐक्ट में आ जाने के बाद आगे चल कर हो सकता है कि माननीय मंत्री जी का जो उद्देश्य है असल में वह आने पर उससे भी आगे बढ़ जाय। श्रीमान, जो यह संशोधन मैंने पेश किया है उसमें हम सिर्फ यही चाहते हैं जो मंत्री जी का उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम यह चाहते हैं कि अगर किसी ट्रस्ट की शिकायत आती है कि वहाँ का इंतजाम ठीक नहीं है तो एक कमेटी मुकर्रर हो जो उसकी जाँच करे और अगर वह रिपोर्ट दे दे कि जो रिपोर्ट्स आई हैं वे गलत हैं या यह रिपोर्ट दे दे कि इंतजाम वाकई में खराब हो रहा है तो उस पर कार्यवाही की जाय और पब्लिक को भी उस पर इत्मीनान होगा और जनता को इस बात की कोई शिकायत नहीं रहेगी कि सरकार ने कोई जबरदस्ती की। इसलिये यह संशोधन पेश किया गया है और यह इंडाउमेंट्स के इंट्रेस्ट्स को सेफगार्ड भी करता है। हम सरकार के उद्देश्य को मानते हैं। इस कमेटी के जरिये से हम उसकी पूर्ति करवाना चाहते हैं और यही हमने इसमें स्पष्ट किया है कि कमेटी के द्वारा छानबीन होने के बाद कार्यवाही हो। अगर रिपोर्ट बदइंतजामी की कमेटी दे तो सरकार दूसरा इंतजाम करे। इस संशोधन को मैं भवन के सामने पेश करता हूं और माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें और इसको स्वीकार करें।

श्री शिवनाथ काटजू--श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय सदस्य ने इस संशोधन में दो बातें रक्खी हैं--एक तो धारा ६(१) में दो शब्द उन्होंने रक्खे हैं एक तो "बोनाफाइडी" और दूसरा "रिस्पॉसिबिल पर्सन"। इनके द्वारा रिप्रेजेन्टेशन होगा। मैं माननीय मित्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन दोनों शब्दों में कानूनी दृष्टिकोण से कुछ ज्यादा तत्व नहीं है। सिविल प्रोसीजर कोड की धारा ९२ में भी जहाँ पर ट्रस्ट के संबंध में दरख्वास्त दी जाती है कि अमुक ट्रस्ट का कार्य ठीक से नहीं हो रहा है तो इस दरख्वास्त को विशेष व्यक्ति ही दे सकते हैं और वे विशेष व्यक्ति वे होते हैं जिनका उस ट्रस्ट के लाभ से कुछ संबंध होता है। और ये जो शब्द "बोनाफाइडी" और "रिस्पॉसिबिल पर्सन" रक्खे हैं इनका अर्थ इतना विस्तृत है कि कानूनी दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं है। तो वह शब्द ज्यादा महत्व के नहीं हैं।

दूसरे जो उन्होंने बात रक्खी है वह इंक्वायरी के बारे में है। जहाँ पर सरकार यह निर्णय करे कि इसमें कुछ रद्दोबदल की आवश्यकता है उसके लिये वहाँ यह इंक्वायरी करे और इंक्वायरी में अमुक-अमुक व्यक्ति रखे जायं। मैं माननीय मित्र का ध्यान मूल ऐक्ट की धारा ५ की ओर दिलाता हूं जिसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी स्कीम में या तो परिवर्तन करे या कोई दूसरी स्कीम लागू करे। उसके शब्द यह हैं:--

"On application made as hereinafter mentioned, and with the concurrence of the person or persons making the application, the (appropriate Government), if it thinks fit, may settle a scheme for the administra-

tion of any property which has been or is to be vested in the Treasurer of Charitable Endowments, and may in such scheme appoint, by name or office, a person or persons not being or including such Treasurer, to administer the property."

अब यही शब्द जो हमारे सामने सरकार की ओर से बिल आया है उसमें दिये हुए हैं--

"It may by notice require the person or persons to show cause why the scheme settled for administration be not modified or substituted by another scheme."

जहां तक मूल ऐक्ट का संबंध है उसमें सरकार को पूरा अख्तियार है कि वह पहली स्कीम को परिवर्तित करे या दूसरी स्कीम लागू करे और दूसरी स्कीम में नए व्यक्ति रखे जा सकते हैं। सरकार के ऊपर यह बन्धन नहीं है कि इसकी जाँच अमुक व्यक्ति द्वारा ही हो सकती है। वहाँ पर इंक्वायरी का कोई शब्द नहीं है। वहाँ सरकार को पूरा अख्तियार है कि वह अगर संतुष्ट न हो तो वह दूसरी स्कीम लागू कर दे। अगर आपका संशोधन स्वीकार होता है तो यह मूल ऐक्ट में बड़ा भारी परिवर्तन है क्योंकि इससे सरकार के हाथ बन्ध जाते हैं कि इसी रास्ते से कार्य किया जाय। मूल ऐक्ट में इस प्रकार का बन्धन किसी पर नहीं है। इसके साथ साथ यह सदन भी देखे कि यह जो स्कीम बनती है या मूल ऐक्ट के अनुसार किसी समय बनती है तो वह उस वक्त बनेगी जब सरकार यह निर्णय कर ले कि ट्रेजरर नियुक्त होगा या वह ट्रेजरार नियुक्त करने जा रही है और उसी अवसर पर दफा ६ के मुताबिक जो ट्रस्टी है या फाउन्डर हैं वे दरख्वास्त दें कि स्कीम बने, बनाइये। यदि उस स्कीम के लिये अगर दरख्वास्त नहीं आती और सरकार ट्रेजरर को नियुक्त कर रही थी या करने जा रही थी तो ऐसी सूरत में यह कोई प्रश्न नहीं उठता है कि क्यों सरकार अपने हाथ में इस ट्रस्ट को ले रही है। सरकार को दफा १२ के अन्दर पूरा अख्तियार है कि उस ट्रेजरर को बदलकर दूसरा ट्रेजरार नियुक्त करे। तो ऐसी स्थिति में जब कि मूल ऐक्ट में कहीं पर इंक्वायरी का जिकर नहीं है और सरकार को पूरा अख्तियार है कि वह उचित जाँच करे और अपने निर्णय पर पहुंचे, संशोधन का जो आशय है कि इंक्वायरी हो और उसमें डिस्ट्रिक्ट जज हों, दो आदमी हों तब यह कार्य हो सकता है। गड़बड़ी तो वही कर रहे हैं और उनके लिये ही सरकार कदम उठायेगी। तो ऐसी स्थिति म, श्रीमान जी, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सरकार के हाथ इस विषय में किसी प्रकार न बाँधे जाँय। सरकार जाँच करेगी और उचित जाँच करेगी और उचित जाँच करना उसका कर्त्तव्य हो जाता है। जिस प्रकार से ऐक्ट का कार्य होता है उसी प्रकार से यह होगा। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजा साहब ने जो संशोधन इस सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि जिन सिद्धांतों से यह अमेंडमेंट यहां पर लाया गया है मैं उस पर बोलना जरूरी समझता हूं जिस वक्त मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना मुझे प्रसन्नता हुई और कुछ चीजों पर प्रकाश डालने के लिये जो कागजों की जरूरत थी वह उन्होंने दिये। अगर यह कागजात वह हमको प्रारम्भ में ही दे देते तो इस बिल पर इतनी लम्बी बहस न होती। लेकिन जब उनको बताया जाता है तब वह कहते हैं कि इसमें यह चीज है और उसमें यह है और हम लोगों ने उनको पढ़ा नहीं है। बहुत देर से सोच रहा था कि शायद मंत्री जी मेरे इस सदन के सामने बहुत दिन हुए पहिले सफेद टोपी का विवरण देने के बाद लाल टोपी की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यह जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि माननीय मंत्री जी ने फिर इसकी चर्चा करना शुरू कर दी। मैं आशा करता हूं कि जो भाषण मंत्री जी ने दिया और जो झारखंडे राय जी के विषय में उन्होंने रूस की मिसाल दी क्या वही चीज माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आज की स्पीच इसी तरह की थी। उन्होंने कुछ हद तक

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

और बातों की सफाई भी कर दी है। हम साफ साफ कहने वाले हैं और गोल मोल बात जरा कम समझते हैं। मैं समझता हूं कि जो भाषण मंत्री जी ने दिया और जो सफाई दी वह ठीक थी उस सिद्धांत को हम भी मानते हैं। हम इसको मानते हैं कि इंक्वायरी हो। जब हमारे प्रान्त की जनता का विश्वास यहाँ की जुडीशियरी पर है और अगर यहाँ की जुडीशियरी एसर्टिव न होती और उस पर जनता का भरोसा न होता तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह हुकूमत बहुमत के चक्कर में नमालूम क्या क्या कर डालती। डिस्ट्रिक्ट जज का नाम लेना यहाँ की जुडीशियरी में विश्वास जाहिर करता है। यह इसलिये अच्छा है कि कहीं गड़बड़ न हो चाहे वह इधर वालों के असर से हो या उधर वालों के असर से हो। कहीं हमारे असर से भी गड़बड़ हो सकती है। उसी को रोकने के लिये हमारे राजा साहब का संशोधन है हालाँकि वह बहुत लम्बा चौड़ा जरूर है, शब्द कुछ कम हो जायं तो ठीक है मुझे कोई एतराज नहीं है। काटजू साहब ने कहा कि बोनाफाइडी और रेस्पाँसबिल शब्दों में यह दोष है तो अगर इन दो शब्दों से उनको शिकायत है तो उनको हटा दिया जाय और दूसरे मुनासिब शब्द रख लिये जायं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप इस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो सारा मकसद ही खत्म हो जायगा। सरकार के पास काम भी बहुत है। आप एक कमेटी बना कर उस पर छोड़ दीजिए वह इंक्वायरी करे और जब मामला डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जायगा तो पक्की बात मालूम हो जायगी। राजा साहब चाहते हैं कि एक परमानेंट चीज हो जाय उसी तरह से जिस तरह से कि आपकी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी है। यह भी उसी तरह का बड़ा काम है। चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशंस में जितनी गड़बड़ी होती है फौरन उस सब को कमेटी के सामने भेज दिया जाय, इस उद्देश्य से सब सहमत हैं। मैं जानता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करने वाली नहीं है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि कोई परमानेंट इंतजाम इस सिलसिले में किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री हर गोविन्द सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, काटजू साहब के स्पष्टीकरण के बाद कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं इसलिये कि अव्वल तो यह प्रथम श्रेणी का प्रतिक्रियावादी है और राजा साहब की तरफ से इसका आना तो ठीक ही है यह तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसका उपाध्याय जी की तरफ से समर्थन हो यह मेरी समझ में जरा कम आता है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि "Adversity makes strange bad fellows" (विपत्ति में अपरिचित सहयोगी बन जाते हैं) वह दोनों एक ही नाव में हैं और इसी वजह से वह इसका समर्थन कर सकते हैं। प्रतिक्रियावादी मैंने इसलिये कहा कि १८९० में तो इस बात की जरूरत नहीं समझी गई कि उस समय की सरकार के ऊपर लोगों का इतना विश्वास था कि किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं समझी गयी, लेकिन सन् १९५२ में, स्वतंत्र होने के बाद, प्रजातंत्र की सरकार पर यह अविश्वास किया जाय और उन लोगों की तरफ से जो कि प्रजातंत्रवाद के बड़े भारी समर्थक हों, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। वह चाहते हैं कि कमेटी हो किसकी, एक तो डिस्ट्रिक्ट जज हो, एक और कोई आफीशल हो, २ आदमी इंडाउमेंट क्रियेट करने वालों के हों और एक और कोई पब्लिकमैन हो। वह कमेटी सिविल प्रोसीजोर कोड की तरह से नोटिस जारी करे और बयान हों और प्रोसीडिंग्स चलें। यह इतना लम्बा ड्रानआउट प्रोसीजर है कि इसमें बहुत समय लग जायगा। इस प्रकार यह संशोधन तो इस विधेयक की जान ही ले लेता है। अगर आप यह चाहते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर यह बिल लाया गया है उसकी पूर्ति हो तो यह आवश्यक है कि कार्यवाही फौरी हो जिसमें कि प्राप्टी नष्ट न होने पावे। जब तक आप के नोटिस

वगैरह निकलेंगे और बयानात होगें तब तक तो सारी प्रापर्टी ही नष्ट हो जायगी तो मैं इस वजह से भी इसका विरोध करता हूं ।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे संशोधन को ध्यान से पढ़ने का कष्ट नहीं किया। उन्होंने शायद यह समझा कि वह पढ़ने के लायक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि काटजू साहेब ने जवाब दे दिया है लिहाजा उसके बारे में उन्हें कुछ अधिक कहना नहीं है। जहाँ तक हमारे काटजू साहेब का सवाल है, इसमें शक नहीं है कि वह योग्य हैं, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस किताब को पढ़कर सुनाया, उसे यदि वे नीचे तक ध्यान से पढ़ेंगे तो जहाँ वे इस बात को कहते हैं कि वह और रैस्टिक्शन्स ला रहे हैं तो मैं देखता हूं कि पहले इससे ज्यादा रैस्टिक्शन्स थे और मैंने जो संशोधन पेश किया है उसमें न्याय को रखते हुये हमने एक कमेटी तजवीज की है। माननीय मंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह पहले नम्बर के प्रतिक्रियावादी हैं। मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि जब पहले जमींदारों को ऐसा समझा जाता था.....

श्री हरगोविन्द सिंह--मैंने संशोधन के लिये कहा कि पहली श्रेणी का प्रतिक्रियावादी है, आपको नहीं।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमान्, उसके माने होते हैं कि जो संशोधन पेश करता है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से वह चुनाव में जीतकर आये हैं, वैसे ही मैं भी कांग्रेस को हराकर आया हूं और काफी बड़ी तादाद में हराकर आया हूं, हमको प्रतिक्रियावादी कहना समझ का फेर है। हम समझते हैं कि सरकार प्रतिक्रियावादी है। जिस चीज को लेकर आपने जमींदारी खत्म की, वह चीज नहीं आप कर पाये। खैर, यह तो जनता देखेगी और आपको बतायेगी। इस संशोधन के बारे में मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ना चाहता हूं--

"On application being made as hereafter mentioned and the concurrence of the person or persons acting in the administration of the property."

उनकी राय लिये बगैर सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। लेकिन अब तो हम कोई राय भी नहीं लेना चाहते हैं, बस सरकार एक कमेटी मुकर्रर कर दे। आप हमको प्रतिक्रियावादी कहते हैं, जबकि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमको एक जज पर पूरा विश्वास है। आप उससे क्यों चिढ़ते हैं? अगर एक जज उसी के लिये मुकर्रर हो जाय, तो क्या बात है? जहाँ तक जायदाद का सवाल है, आप उसको स्टे कर सकते हैं। यह बात तो समझ में नहीं आती कि हमारी तरफ से कोई सुझाव पेश किया जाय और आप उसको न मानें और मंत्री जी यह भी देखने का कष्ट न करें कि उसमें क्या है और कौन-कौन मेम्बर उसमें रखे हुए हैं। आप क्यों नहीं कह देते कि आप लोगों की तरफ से जो भी संशोधन आते हैं, वह इसीलिये आते हैं कि वे एजेंडे में लिख लिए जायं और रद्दी की टोकरी में फेंक दिये जायं हम तो अपना कर्त्तव्य करेंगे ही। एक न एक समय तो ऐसा आयेगा जब कि सरकार को ध्यान देना ही होगा। चाहे आज आप गलती करते जायं और आज सरकार अपने कर्त्तव्य को न समझे लेकिन हम अपना कर्त्तव्य नहीं भूल सकते। हम कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की तरह से अपने प्रस्ताव को वापिस भी लेने को तैयार नहीं हैं चाहे आप उन्हें रिजेक्ट ही क्यों न कर दें। जब हम लोगों का समय आयेगा, तब यह पास हो जायगा।

उपाध्यक्ष--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के अंतर्गत चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स ऐक्ट, १८९० में प्रस्तावित धारा ६-ए के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा ६-ए रख दी जाय—

6—A. (1) The State Government may, upon representation made by *bona fied* and responsible persons, where any property has already vested in the Treasurer of Charitable Endowments under section 4 and a scheme has been settled under section 5 that the person or persons acting in the administration thereof are wasting or mal-administering the same, order an enquiry to be made into the allegations made in the representation. Provided that the enquiry shall be made by a committee to be appointed by the State Government and the members thereof shall be the District and Sessions Judge and a respectable citizen of the district, an officer appointed by the Land Reforms Commissioner, U. P., who shall not be below the rank of a Sub-Divisional Officer, first class, and two members of the family of the person who made the Endowment. The District and Sessions Judge shall be the Chairman of the Committee.

(2) The committee appointed under sub-section (1) shall by notice require the person or persons to appear before it within a time to be fixed by the committee to show cause why the administration of the Endowments or Endowment should not be taken out of his or their hands and entrusted to such person or persons as the committee may recommend to the State Government.

(3) The notice unber sub-section (2) shall be served in the manner prescribed in the Code of Civil Procedure.

(4) Where the person or persons served with the notice under sub-section (2) fail to appear before the committee within the time allowed the committee shall proceed with the enquiry *ex parte*.

(5) The committee shall, after completion of its enquiry, the procedure of which shall be the concern of the committee itself, submit its findings and recommendations to the Government which shall take appropriate action thereon notwithstanding anything contained in section 5 or 6.

Provided that nothing in this scheme shall effect the scheme settled under section 5.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न-लिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं--

"खंड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ६ (ए) की तीसरी पंक्ति में शब्द "already" के स्थान पर शब्द "been or is to be" रख दिये जायं।"

अगर ध्यानपूर्वक इस नई धारा ६ (ए) को देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि इसमें उसी प्रापर्टी के लिये और उसी इंडाउमेंट के लिये स्थान है जो ट्रेजरर आफ चैरिटेबिल इन्डाउमेंट में वेस्ट हो गया हो। लेकिन जैसा कि मुख्य ऐक्ट की धारा ५ की उपधारा (१) में लिखा हुआ है .....

"On application made as hereinafter mentioned, and with the concurrence of the person or persons making the application, the Local Government, if it thinks fit may settle a scheme for the administration of any property which has been or is to be vested in the Treasurer of Charitable Endowments, and may in such scheme appoint, by name or office, a person or persons not being or including such Treasurer, to administer the property."

तो धारा ४ और ५ में इसका जिक्र है। संशोधन विधेयक में केवल ऐसे ही चैरिटेबिल इन्डाउमेंट्स का जिक्र नहीं है जो वैस्ट हो चुके, बल्कि ऐसे चैरिटेबिल इन्डाउमेंट्स का जिक्र है जो वैस्ट होने वाले हैं। तो इसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं है। माननीय सदस्यों को जैसा कि मैंने धारा ५ की उपधारा (१) को पढ़कर सुनाया, उससे मालूम हो जायगा कि जो धारा ४ और ५ का आशय है वह इससे पूरा हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविंद सिंह--मैं निवेदन करूं कि आपका संशोधन स्पष्ट नहीं है। आप उसको फिर पढ़ दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मेरा संशोधन यह है कि "खंड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ६ (ए) की तीसरी पंक्ति में शब्द "already" के स्थान पर शब्द "been or is to be" रख दिये जायं।

इसके रिफरेंस में मैंने पुराने ऐक्ट की धारा ५ की उपधारा (१) को पढ़ा, जिसमें यह शब्द इस्तेमाल किया गया है।

श्री हरगोविंद सिंह--उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिये मैं उसको अपोज करता हूं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि "खंड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ६ (ए) की तीसरी पंक्ति में शब्द "already" के स्थान पर शब्द "been or is to be" रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड २ की नई धारा ६ (ए) की पंक्ति ६ में शब्द "settled" के बाद शब्द "modified substituted" बढ़ा दिये जायं तथा अंक "5" व शब्द "that" के बीच एक कामा लगा दिया जाय, यह प्रस्ताव करता हूं।

अगर हम ध्यानपूर्वक केवल धारा ६ को पढ़ें, तो हम यह देखते हैं कि इसमें केवल ऐसी स्कीम के मोडीफाइड और सेटिल्ड होने की गुंजाइश है, जो धारा ५ के अनुसार सेटिल्ड हो चुका है, लेकिन जैसा कि श्री शिवनाथ काटजू और माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि धारा ५ में केवल सेटिल्ड होने की व्यवस्था है। लेकिन धारा ५ की उपधारा (२) के अनुसार मोडीफाईड और सेटिल्ड होने का भी प्रबन्ध है। तो मान लिया जाय कि कोई

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इंस्टीट्यूशन है, जहां चैरिटेबिल इन्डाउमेंट्स हैं वहां पर कोई स्कीम मोडीफाईड हुई है और उसके सब्स्टीट्यूट में कोई नया ऐडमिनिस्ट्रेशन इस धारा ५ की उपधारा (२) के अनुसार काम कर रहा है और यदि ऐसे प्रबन्ध में गड़बड़ कर रहा है, यदि ट्रस्ट का ठीक उपयोग नहीं कर रहा है तो उसके लिये कौन सा प्रबन्ध होगा, यह स्पष्ट नहीं है। तो इसलिये धारा ५ में इसका जिक्र किया गया है जो इस संशोधन में है--

"A scheme settled, modified or substituted under this section shall, subject to the other provisions of this section, come into operation on a day to be appointed by the Local Government in this behalf, and shall remain in force so long as the property to which it relates continues to be vested in the Treasurer of Charitable Endowments or until it has been modified or another such scheme has been substituted in its stead."

क्योंकि यह कहना कि एक बार सेटिल्ड होने पर या नये ट्रस्टीज होने पर, बन जाने पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी, यह विश्वास कर लेना गलत है। इसके लिये दफा ५ को पूरा करना चाहिए और इसलिये उपधारा (१) और (३) को यहां पर पूर्ण करना चाहिए और सेटिल्ड अन्डर सेक्शन "५" के बाद कामा नहीं लगाते तो उसका अर्थ से अनर्थ हो जायगा। इसका मतलब साफ करने के लिये जरूरी था और इसी लिये मैंने यह कामा इन्सर्ट कर दिया है। यह माननीय मन्त्री जी का उद्देश्य जो है, उसको पूरा करने के लिये है और जो संशोधन है, उसके उद्देश्य को पूरा करता है। लिहाजा मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसको स्वीकार करें।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे अफसोस है कि मुझे फिर इसका विरोध करना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यह जैसा बना हुआ है, उससे इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो जायगा, लेकिन अगर यह रख दिया जायगा जो हमारे मित्र चाहते हैं, तो उससे उसका उद्देश्य नष्ट हो जायेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित नई धारा ६-ए की पंक्ति ६ में शब्द "settled" के बाद शब्द "modified substituted" बढ़ा दिये जायं और अंक 5 और शब्द "that" के बीच 'कामा' बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--अब पांच बजे हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि १५ मिनट के लिये इस सदन की कार्यवाही बढ़ा दी जाय।

उपाध्यक्ष--१५ मिनट के अन्दर इस विधेयक की कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकेगी इसलिये अब कल ही इस पर विचार करना उचित होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,

२२ सितम्बर, १९५२।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये २२-९-५२ के तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

सूची देवरिया जिले के उन २९ गांवों की जिनमें जाकर कृषि रक्षा सेवा के कर्मचारियों ने मुडली कीड़े के आक्रमण के सम्बन्ध में फसलों की जांच की ।

तहसील पडरौना	तहसील कसिया	तहसील सदर
१--दुधी	१--पिपरा वद्यल	१--जगदीशपुर
२--दुबौली	२--बसआ	
३--शाहपुर	३--पिपरा	
४--चम्पापुर	४--सपाहा	
५--रामपुर	५--लक्ष्मीपुर	
६--चक	६--मदनपुर	
७--बिजयपुर	७--दीनापथ	
८--मद्याखा	८--नागापथ	
९--नौगांव	९--कुकरपथ	
१०--तरया सुजान	१०--गोरथ	
११--सलीमगढ़		
१२--बहादुरपुर		
१३--माधोपुर		
१४--भुलावां		
१५--अगरावन		
१६--बाकलाहा		
१७--विशनपुर		
१८--चौरसिया जंगल		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये २२-९-५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

ग्राहकवर्ग		मात्रा	
		मन	सेर
१—सरकारी कर्मचारी	..	१६	२३
२—जनता (१, ३ और ४ के अतिरिक्त)	..	१७	२
३—अस्पताल	..	२	१५
४—विश्वविद्यालय के होस्टल	..	०	८
योग	..	३६	८

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये २२-९-५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर)

महीना			माल की अपील
जून, १९५१	..	..	९
जुलाई, १९५१	..	..	६
अगस्त, १९५१	..	..	२
सितम्बर, १९५१	..	..	७
अक्तूबर, १९५१	..	..	१४
नवम्बर, १९५१	..	..	३०
दिसम्बर, १९५१	..	..	१३
जनवरी, १९५२	..	..	८
फरवरी, १९५२	..	.	४
मार्च, १९५२	..	..	१६
अप्रैल, १९५२	..	..	७
मई, १९५२	..	..	८
जून, १९५२	..	..	३
योग	..	..	१२७

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये २२-९-५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

१—छूट

साल				मालगुजारी			लगान		
				रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१९४८—४९	..	..	..	८५,७९७	१३	०	२,३४,३५९	३	०
१९४९—५०	..	..	..	११,०६०	९	०	२९,६४५	८	०
१९५०—५१	..	..	..	३३,५५६	१५	६	१,०८,९३६	८	८
१९५१—५२	..	..	..	३३,५६४	०	०	१,१४,५०१	२	०
		योग	..	१,६३,९७९	५	६	४,८७,४४२	५	८

२—स्थगित वसूली

साल		तकावी									सहकारी अवशेष			कृषि अवशेष			पंचायत-कर अवशेष		
		ऐक्ट १२			ऐक्ट १९														
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०			रु०			रु०	आ०	पा०
१९४८—४९	..		..			..			..			..			..			..		
१९४९—५०	..	१२,०९६	९	०		..			..			..			..			..	
१९५०—५१	..	३,४४२	१२	८		..			..			..			..		२,००,७११	०	०
१९५१—५२	..	२५,५२९	१०	८	९,६०२	४	०	७०,६७०	११	०	२४,३५०							..	
योग	..	४१,०६९	०	४	९,६०२	४	०	७०,६७०	११	०	२४,३५०						२,००,७११	०	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३—तक़ावी वितरण

साल	ऐक्ट १२			ऐक्ट १९			चैप्टर ८ (ऐक्ट १२)		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१९४८–४९	१,५३,४३५	०	०	७,८००	०	०	..		
१९४९–५०	१,६६,८१०	०	०	४१,३६०	०	०	..		
१९५०–५१	८१,६२०	०	०	३,१६,४५५	०	०	..		
१९५१–५२	१,५३,५०७	०	०	३,६७,६५१	०	०	८,७०६	०	०
	८७,०००	०	०	..			..		
योग ..	६,४२,३७२	०	०	७,३३,२६६	०	०	८,७०६	०	०

४—दान वितरण

साल	रु०	आ०	पा०
१९४९ ..	..		
१९५० ..	..		
१९५१ ..	२,०००	०	०
१९५२ ..	१,९४६	१०	५
योग ..	३,९४६	१०	५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५—ए० पी० स्कीम

साल			ए० पी० कार्डों की संख्या जो दिये गये	कुल यूनिट जो रजिस्टर्ड हैं	कुल जन संख्या जो स्कीम के अंतर्गत है	योजना के अंतर्गत जो गल्ला वितरित हुआ
						मन
१९४९	..	..	२३,५२६	१,१७,६३२	२,७३,१६६	१७,३८०
१९५०	..	..	१७,७५६	८८,७८२	१,७७,५६४	११,०००
१९५१	..	..	४५,३३९	२,२६,७९५	५,१२,१६७	१,८१,३८०
१९५२	..	..	७७,९४६	३,९५,५५२	८,३७,६२२	१,८५,९९१
					योग ..	३,९५,८४१

६—टैस्ट वर्क

पी० डब्ल्यू० डी० की ओर से गाजीपुर और मुहम्मदाबाद तहसील में निम्नांकित सड़कों पर टेस्ट वर्क हो रहा है:—

गाजीपुर तहसील—

१—गहमर, गहमर—रेवतीपुर सड़क पर।

मुहम्मदाबाद तहसील—

१—कासमाबाद, कासमाबाद—बहादुरगंज सड़क पर।

२—बीरपुर—फकनपुर—बीरपुर सड़क पर।

जिला बोर्ड की ओर से मुहम्मदाबाद तहसील में मरदह—कासमाबाद सड़क पर टेस्ट हो रहा है तथा मरदह—गाजीपुर कचरी सड़क पर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये २२-९-५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

सूची

पद का नाम			कलेक्टरी	दीवानी कचेहरी
१--चपरासी	..	..	१५२	६४
२--अहलमद	..	..	१६	५४
३--प्रतिलिपि लेखक	..	..	१५	१२

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये २२ सितम्बर, १९५२ ई० के अतारांकित प्रश्न संख्या १--२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर)

क्रम-संख्या	परमिट की संख्या		मोटर मालिकों के नाम और उनके पते	गाड़ी संख्या	परमिट देने की तारीख		क्षेत्र	
	अस्थायी	स्थायी			अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी
१	३१४	११	(१) श्री दुर्गा प्रसाद लहाई .. (२) श्री नरायन दास .. (३) श्री नूर मुहम्मद .. (४) श्री घनश्याम दास (५) श्री कन्हैया लाल अग्रवाल श्री दुर्गा प्रसाद लोहिया इस ग्रूप के लीडर हैं, जिनका पता--स्थान मोठ, जिला झांसी है, शेष चारों का पता भी उन्हीं के मार्फत है।	यू० एस० जी० १००५	५--४--५०	१२--१०--५०	झांसी केन्द्र	झांसी केन्द्र
२	३०५	१२	(१) श्री तुलसी दास गुप्ता .. (२) श्री देवी सिंह (३) श्री भूपत राव .. (४) श्री गयाप्रसाद दीक्षित .. (५) श्री रामदयाल .. श्री तुलसी दास गुप्ता इस ग्रूप के लीडर हैं, जिनका पता--मुक़ाम समथर, जिला झांसी है। शेष चारों का पता भी उन्हीं के मार्फत है।	यू० पी० आर० ५७८६ यू० पी० आर० २९४७ (बाद में)	२८--२--५०	१२--१०--५०	कानपुर केन्द्र	कानपुर केन्द्र

अमर उजाला विधान सभा

३	३१९	१५	(१) श्री बहादुर सिंह (२) श्री सिद्ध गोपाल तिवारी (३) श्री नाथू राम (४) श्री प्रभूदयाल (५) श्री इमराओ सिंह श्री बहादुर सिंह इस ग्रूप के लीडर हैं, जिनका पता द्वारा श्री तुलसी दास गुप्ता, मोटर स्टैंड झांसी है। शेष चारों का पता भी यही है।	..	यू० एस० जी० ७८१	६-४-५०	१२-१०-५०	झांसी केन्द्र	झांसी केन्द्र
४	३८१	२१	(१) श्री रामकृष्ण गुप्ता (२) श्री नाथ राम (३) श्री गनेश प्रसाद गुप्ता (४) श्री खैराती (५) श्री मुन्ना लाल श्री रामकृष्ण गुप्ता इस ग्रूप के लीडर हैं, इनका पता मोठ, जिला झांसी है। शेष चारों का पता भी यही है।	..	यू० पी० आर० ५९५२	३१-५-५०	१२-१०-५०	,,	,,
५	३१८	५१	(१) श्री राम दयाल, ग्राम बरोधा, झांसी (२) श्री राम लाल, ग्राम वानपुर, झांसी (३) श्री मदन सिंह, ग्राम वानपुर, झांसी (४) श्री मंगल सिंह, ग्राम वानपुर, झांसी (५) श्री भगवान दास, ग्राम कैलगवाँ झांसी		यू० एस० जी० १००७	६-४-५०	१३-१०-५०	,,	,,
६	३१७	५४	(१) श्री मुरली धर अग्रवाल (२) श्री प्रेमचन्द (३) श्री सीताराम	..	यू० एस० जी० १००६	६-४-५०	१३-१०-५०	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	परमिट की संख्या		मोटर मालिकों के नाम और उनके पते	गाड़ी संख्या	परमिट देने की तारीख		क्षेत्र	
	अस्थायी	स्थायी			अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी
			(४) श्री रामगोपाल (५) श्री राम सरन दास श्री मुरली धर इस ग्रूप के लीडर हैं । पता—खजान्ची बिल्डिंग, झांसी । शेष चारों का पता भी यही है ।					
७	३०१	९१	(१) श्री भगवान दास गुप्ता (२) श्री सुन्दरलाल (३) श्री नरायन सिंह (४) श्री मंगलीप्रसाद (५) श्री प्रेमनारायण तिवारी श्री भगवान दास इस ग्रूप के लीडर हैं । पता—समथर, झांसी । शेष चारों का पता भी यही है ।	.. यू०पी०आर० ३९२७	२८-२-५०	१३-१०-५०	झांसी केन्द्र	झांसी केन्द्र
८	३६५	१६३	(१) श्री मथुरादास लटोरिया (२) श्री काशीप्रसाद (३) श्री बैजनाथ तिवारी (४) श्री ठाकुरदास (५) श्री विद्याधर श्री मथुरादास लटोरिया इस ग्रूप के लीडर हैं । पता—सब लोगों का द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी, झांसी है ।	.. यू०पी०आर० ५९३५	३१-५-५०	१३-१०-५०	,,	,,

अविधान सभा

९	२७७	२३४	(१) श्री स्वराज्यनन्द (२) श्री भगवती स्वरूप (३) श्री मन्नीराम (४) श्री नन्दकिशोर (५) श्री भगवान दास श्री स्वराज्य नन्द लीडर हैं । पता:—गुरसराय, झांसी । शेष लोगों का पता भी यही है ।	..	यू० पी० आर० ५७६६ यू० एस० जे० ८३६४ (बाद में)	२२-२-५०	२८-१०-५०	,,	,,
१०	३३५	४००	(१) श्री जयदेव गुप्ता (२) श्री पन्नालाल (३) श्री ब्रह्मानन्द (४) श्री रामगोपाल (५) श्री प्रहलाद श्री जयदेव गुप्ता लीडर हैं । पता—कोंच, जालौन । शेष चारों का पता इन्हीं के द्वारा है ।	..	यू० एस० ई० १८४	६-५-५०	१३-११-५०	,,	,,
११	३१६	२८७	(१) श्री हरदास शर्मा (२) श्री खूबचन्द (३) श्री प्यारेलाल (४) श्री सुखलाल (५) श्री घनश्यामदास श्री हरदास शर्मा लीडर हैं । पता—पिपरी, झांसी । शेष चारों का पता भी इनके द्वारा है ।	..	यू० एस० जी० ७३४	६-४-५०	१-११-५०	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	परमिट की संख्या		मोटर मालिकों के नाम और उनके पते	गाड़ी संख्या	परमिट देने की तारीख		क्षेत्र	
	अस्थायी	स्थायी			अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी
१२	३४६	४१७	(१) श्री कामता प्रसाद सिंह (२) श्रीमती पूर्णिमा देवी (३) श्री सूरज देव सिंह (४) श्री हरप्रसाद गुप्ता (५) श्री रामशंकर गुप्ता श्री कामता प्रसाद लीडर हैं। पता—१९/१ सिविल लाइन्स, झांसी। शेष चारों का पता इन्हीं के द्वारा हैं।	यू० पी० आर० २४२२	२९-५-५०	३०-११-५०	झांसी केन्द्र	झांसी केन्द्र
१३	३२८	४३४	(१) श्री रामसुमिरन लाल (२) श्री लाल सिंह (३) श्री गयाप्रसाद (४) श्री कुन्दनलाल (५) श्री राजेन्द्र सिंह श्री रामसुमिरन लाल लीडर हैं। पता—मोटर स्टैंड, झांसी। शेष चारों का पता इन्हीं के द्वारा हैं।	यू० एस० जी० १००९ यू० एस० जी १०३५ (बाद में)	१८-४-५०	११-१२-५०	"	"
१४	३०७	४३६	(१) श्री भगवानदास (२) श्री प्रभुदयाल (३) श्री रघुवीरशरण (४) श्री एम० एम० कादिर (५) श्री नारायण दास श्री भगवान दास लीडर हैं। पता—जिला	यू० पी० आर० ५७८७	२८-२-५९	१३-१२-५०	"	"

			कांग्रेस कमेटी, झांसी । शेष चारों का पता इन्हीं के द्वारा है ।					
१५	३२२	४६४	(१) श्री लक्ष्मीचन्द जैन (२) श्री बाबूलाल (३) श्री किशनचन्द (४) श्री मथुराप्रसाद (५) श्री हरिदास वर्मा श्री लक्ष्मीचन्द जैन लीडर हैं । पता--सदर बाजार, झांसी । शेष चारों का पता इन्हीं के द्वारा है ।	.. यू० पी० आर० ५७५०	१३-४-५०	३१-१-५१	,,	,,
१६	२८५	४८६	(१) श्री कृष्णचन्द्र पगोरिया (२) श्री सीताराम भगवत (३) श्री रामरतन गोस्वामी (४) श्री मुन्नालाल (५) श्री अयोध्या प्रसाद श्री कृष्ण चन्द्र इस ग्रूप के लीडर हैं । पता-कुन्दन गेट, झांसी । शेष चारों का पता इनके द्वारा है ।	.. यू० पी० आर० ५७६३	२७-२-५०	२-६-५१	,,	,,
१७	३१०	४९४	(१) श्री कुन्दन लाल (२) श्री गोरेलाल (३) श्री प्यारेलाल (४) श्री मंगल सिंह (५) श्री भैरों प्रसाद श्री कुन्दन लाल लीडर हैं । पता--द्वारा तुलसी दास गुप्ता, मोटर स्टैंड, झांसी । शेष चारों का पता भी यही है ।	.. यू० पी० आर० ४७७८	५-४-५०	६-६-५१	कानपुर केन्द्र	कानपुर केन्द्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	परमिट की संख्या		मोटर मालिकों के नाम और उनके पते	गाड़ी संख्या	परमिट देने की तारीख		क्षेत्र	
	अस्थायी	स्थायी			अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी
१८	२७६	५०५	(१) श्री शिवराज सिंह (२) श्री प्यारेलाल (३) श्री कुन्दनलाल (४) श्री जंगी सिंह (५) श्री तेज सिंह श्री शिवराज सिंह लीडर हैं। पता--सैदपुर, झांसी। शेष चारों का पता भी इन्हीं के द्वारा है। ..	यू० पी० आर० ५७६७	२२-२-५०	१४-६-५१	झांसी केन्द्र	झांसी केन्द्र
१९	३६६	५१४	(१) श्री बी० डी० धुलिकर (२) श्री कुन्डीलाल नाई (३) श्री चिन्तामनि (४) श्री हीरालाल (५) श्री तीरथराज श्री बी० डी० धुलिकर लीडर हैं। सबका पता--जिला कांग्रेस आफिस, झांसी है। ..	यू० पी० आर० ५८८३	३१-५-५०	१४-६-५१	"	"
२०	२८६	५१८	(१) श्री ब्रजनन्दन शर्मा (२) श्री शम्भूदयाल (३) श्री मदनलाल (४) श्री ग्यासीलाल ..	यू० एस० जी० ७७०	२७-२-५०	१५-६-५१	"	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			(५) श्री मर्दानलाल श्री ब्रज नन्दन शर्मा लीडर हैं। पता--ललितपुर, झांसी। शेष चारों का पता भी इन्हीं के द्वारा है।						
२१	३६७	५३२	(१) श्री रामसहाय शर्मा (२) श्री माधोप्रसाद पिछोरिया (३) श्री ढंढेराम (४) श्री देयाराम (५) श्री गोपीलाल श्री राम सहाय लीडर हैं। पता--सिटी कांग्रेस कमेटी, झांसी। शेष चारों का पता भी इन्हीं के द्वारा है।	यू० एस० जी० ८२३ यू० एस० जी० १२८१ (बाद में)	३१-५-५०	२२-६-५१	"	"	
२२	३०३	५३३	(१) श्री ब्रजनन्दन, किलेदार (२) श्री नन्दकिशोर (३) श्री सुदामाप्रसाद (४) श्री रामजीलाल (५) श्री सन्तोष सिंह श्री ब्रजनन्दन लीडर हैं। पता--ललितपुर, झांसी है। शेष चारों का पता भी इन्हीं के द्वारा है।	.. यू० एस० जी० ८७६	२८-२-५०	२२-६-५१	"	"	
२३	३६४	५३४	(१) श्री मंगल सिंह (२) श्री अमर सिंह (३) श्री देवी सिंह (४) श्री कृपादयाल (५) श्री रणधीर सिंह	.. यू० एस० जे० ७१७४	३१-५-५०	२२-६-५१	"	"	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	परमिट की संख्या		मोटर मालिकों के नाम और उनके पते	गाड़ी संख्या	परमिट देने की तारीख		क्षेत्र	
	अस्थायी	स्थायी			अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी
			श्री मंगल सिंह लीडर हैं। पता--जिला कांग्रेस कमेटी, झांसी। शेष चारों का पता भी इन्हीं के द्वारा है।					
२४	२७८	५५९	(१) श्री चुन्नी चौरसिया (२) श्री खानचन्द (३) श्री भन्टलाल (४) श्री गोरेलाल (५) श्री हरप्रसाद श्री चुन्नीलाल चौरसिया लीडर हैं। पता--पाली, झांसी है। शेष चारों का पता भी इन्हीं के द्वारा है।	.. यू० पी० सी० १९३६	२२-७-५०	१-७-५१	झांसी केन्द्र	झांसी केन्द्र
२५	३०२	५६०	(१) श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा (२) श्री प्यारेलाल (३) श्री कामताप्रसाद (४) श्री चूणामनप्रसाद (५) श्री लालाराम बाजपेयी श्री रामेश्वरप्रसाद लीडर हैं। पता--द्वारा प्रेसीडेन्ट, कांग्रेस कमेटी, झांसी है। शेष चारों का पता भी इन्हीं के द्वारा है।	.. सी० पी० एस० २०८ .. यू० एस० जे० ५०८६ (बाद में)	२८-२-५०	१०-७-५१	"	"

अनुवाद विधान सभा

२६	२९८	५६४	(१) श्री भैरोप्रसाद (२) श्री मथुराप्रसाद (३) श्री कामताप्रसाद (४) श्री प्यारेलाल (५) श्री परमानन्द श्री भैरो प्रसाद लीडर हैं। पता—मऊरानीपुर, झांसी। चारों का पता भी इन्हीं के द्वारा है।	..	यू० एस० आर० ४९७	२८-२-५०	१७-७-५१	कालपी केन्द्र	कालपी केन्द्र
२७	३२९	३८८	(१) श्री सरनाम सिंह (२) श्री देवराज वर्मा (३) श्री गोविन्ददास (४) श्री नत्थूराम (५) श्री माधोप्रसाद श्री सरनाम सिंह लीडर हैं। पता—मोटर स्टैंड, झांसी है। चारों का पता भी इन्हीं के द्वारा है।	..	यू० पी० आर० ५८८३	१८-४-५०	७-११-५०	कानपुर केन्द्र	कानपुर केन्द्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३२ पर)

उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२ के उपबन्धों की जांच तथा उस सम्बन्ध में रिपोर्ट के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक प्रवर समिति स्थापित की गई थी :

(१) डाक्टर सम्पूर्णानन्द, गृह मन्त्री (सभापति)
(२) श्री दीनदयालु शास्त्री
(३) श्री राजदेव उपाध्याय
(४) श्री महबूब अली खां
(५) श्री खूब सिंह
(६) श्री कमाल अहमद रिजवी
(७) श्री रमेश वर्मा
(८) श्री गंगाप्रसाद सिंह
(९) श्री सत्यानन्द
(१०) श्री रामनाथ खेरा
(११) श्री गणेशप्रसाद पान्डेय
(१२) श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी
(१३) श्री गंगाप्रसाद
(१४) श्री शिवनारायण
(१५) श्री रघुनाथप्रसाद
(१६) श्री हरदयाल सिंह पिपल
(१७) श्री रामनारायण त्रिपाठी
(१८) श्री गजेन्द्र सिंह
(१९) श्री नारायण दत्त तिवारी
(२०) राजा वीरेन्द्र शाह
(२१) श्री सत्य सिंह राणा

२—गृह मन्त्री के सभापतित्व में समिति की बैठक ८,९ और १० सितम्बर को हुई। समिति ने विधेयक की खंडशः परीक्षा की। समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

खण्ड २ (१) इस धारा के खण्ड (ग) के नीचे का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

खण्ड ४ (२) में (१) शब्द "केवल निम्नलिखित··पर नहीं" के स्थान पर "निम्नलिखित में से किसी आधार पर" रख दिया जाय।

(२) उप भाग (२) में से शब्द "अथवा" निकाल दिया जाय।

(३) भाग (१), (२) और (३) के स्थान पर क्रमशः (क), (ख) और (ग) रखा जाय।

खंड ५—पहली पंक्ति में शब्द "अभ्यस्त अपराधी" के स्थान पर शब्द "व्यक्ति" रक्खा जाय।

खंड ६ (१) की तीसरी पंक्ति से शब्द "अधिक उम्र का नहीं था" के स्थान पर शब्द "कम उम्र का हो" रक्खा जाय।

खंड ७ (१)--खंड (१) के बाद निम्नलिखित खंड रक्खा जाय :

"(२) अभ्यस्त अपराधी का काम या पेशा"।

(२) वर्तमान खंड (२) को खंड (३) परिगणित किया जाय।

(३) वर्तमान खंड (३) की जगह निम्नलिखित खंड रख दिया जाय :--

"(४) ऐसी रीति, परिस्थितियां तथा शर्तें जिनके अनुसार राज्य सरकार, ऐसे अभ्यस्त अपराधी के, जिसके विरुद्ध धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गई हो, रोजगार की व्यवस्था करेगी।"

खंड ८ (१) इस उपधारा के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय :

"जिला मैजिस्ट्रेट अपने द्वारा दी गई प्रतिबन्ध आज्ञा में समय-समय पर परिवर्तन या संशोधन कर सकता है और अभ्यस्त अपराधी का प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर, किसी अन्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से उसको ऐसे अन्य जिले में अपना निवास-स्थान परिवर्तित कर लेने की अनुज्ञा दे सकता है।"

खंड १० में (१) दूसरी पंक्ति में शब्द "का" और "पुनर्विलोकन" के बीच शब्द "दो असेसरों की सहायता से" बढ़ा दिये जायं।

(२) खंड १० के अन्त में वराम के स्थान पर सेमिकोलन रक्खा जाय और उसके बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पहला पुनर्विलोकन प्रतिबन्ध आज्ञा के दिनांक से तीन मास के भीतर ही होगा।"

खंड १२ में (१) इस खंड को खंड १२(१) परिगणित किया जाय।

(२) निम्नलिखित नये उपखंड के रूप में रक्खा जाय :

"(२) उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही दो असेसरों की सहायता से होगी।"

निम्नलिखित नयी धाराएं बढ़ायी जायेंगी :--

असेसरों की राय।

१२-क--(१) जिला मैजिस्ट्रेट धारा १० के अधीन प्रतिबन्ध को हटाने या उसमें अन्य प्रकार संशोधन करने या उसे जारी रखने की अथवा धारा १२ के अधीन अवधि बढ़ाने की आज्ञा देने से पूर्व प्रत्येक असेसर से अपनी राय मौखिक रूप से प्रकट करने के लिये कहेगा और इस प्रयोजन से उनसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो उनकी राय मालूम करने के लिये आवश्यक हों। ऐसे सब प्रश्न और उनके उत्तर अभिलिखित किये जायेंगे।

(२) इसके बाद जिला मैजिस्ट्रेट अपनी आज्ञा देगा किन्तु ऐसा करने में वह असेसरों की राय मानने के लिये बाध्य नहीं होगा।

असेसरों की योग्यता और नियुक्ति।

१२-ख--असेसर ऐसी योग्यता के होंगे और ऐसी रीति से चुने और नियुक्त किये जायेंगे जो नियत की जाय।

खंड १३ में (१) उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय :-

"यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गई हो और ऐसी आज्ञा सम्प्रभाव हो, ऐसी आज्ञा या नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो धारा १४ के अधीन उसके विरुद्ध की जाने वाली अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त उसे बस्ती में बारह मास के लिये या ऐसे समय के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो, और जिसे मैजिस्ट्रेट निश्चित करे, आसेध (Confinement) का दण्ड दिया जा सकता है।

(२) उपधारा (२) में शब्द "बस्ती में" और "आसेध" के बीच में शब्द "तीन वर्ष तक के" बढ़ा दिये जायं और अन्त में शब्द "जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की न होगी" निकाल दिये जायं।

खंड १५ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय :—

"१५—राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जिला मैजिस्ट्रेट किसी अभ्यस्त अपराधी को एक बस्ती से हटा कर दूसरी बस्ती में भेज सकता है।"

खंड १६ और १७ निकाल दिये जायं और खंड १८, १९, २० तथा २१ को क्रमशः १६, १७, १८ तथा १९ परिगणित किया जाय।

खंड १९ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय :

"निम्नलिखित के अधीन किसी कार्यवाही में दी गई आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी—

(क) धारा ६ या

(ख) धारा ८ की उपधारा (१) या (२), या

(ग) धारा ९, १० और १२ या

(घ) अभ्यस्त अपराधी को उस क्षेत्र में जिसके भीतर उसकी गतिविधि सीमित की गयी हो या उस बस्ती में, जहां उसे रखे जाने की आज्ञा दी गयी हो, पहुंचाने के सम्बन्ध में धारा १४ के अधीन ;

"और ऐसी आज्ञा अन्तिम होगी और उसके सम्बन्ध में किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।"

खंड २० के उपखन्ड (२) में—

(१) भाग (३) के आरम्भ में शब्द "छुट्टी की शर्तें और" बढ़ा दिये जायं।

(२) भाग (९) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (९—क) बढ़ा दिया जाय :—

"९—क—असेसरों को बुलाना और उनको यात्रिक तथा दैनिक भत्ता देना"

यह विधेयक दिनांक १९ अगस्त, १९५२ के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था। प्रवर समिति के निश्चयानुसार इसको गजट में पुनः प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची

धारा २ (ग) देखिए

इंडियन पीनल कोड के अन्तर्गत अपराध

धाराएं

२३१ जाली सिक्के बनाना (counterfeiting coins)।

२३२ जाली भारतीय सिक्के बनाना (counterfeiting Indian coins)।

२३३ जाली सिक्के बनाने के लिये उपकरण (instruments) का निर्माण, क्रय या विक्रय ।

२३४ जाली भारतीय सिक्के बनाने के लिये उपकरण (instruments) का निर्माण, क्रय या विक्रय ।

२३५ जाली सिक्के बनाने के काम में लाने के लिये उपकरण या सामग्री को अपने कब्जे में रखना।।

२३९ ऐसे सिक्के का अर्पण (delivery) जो इस जानकारी के साथ कब्जे में हो कि वह जाली है।

२४० ऐसे भारतीय सिक्के का अर्पण जो इस जानकारी के साथ कब्जे में हो कि वह जाली है।

२४२ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी जाली सिक्के का कब्जे में रखा जाना जिसे सिक्का प्राप्त होने पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है।

२४३ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्का अपने कब्जे में रक्खा जाना जिसे सिक्का प्राप्त होने पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है।

३०२ हत्या (murder) ।

३०४ दण्डनीय नर हत्या (culpable homicide) जो नर हत्या न समझी जाय ।

३०७ हत्या करने का प्रयत्न (attempt to murder)।

३०८ दण्डनीय नर हत्या (culpable homicide) करने के लिये प्रयत्न ।

३११ ठग होना (being a thug)।

३२६ भयावह अस्त्रों या साधनों (dangerous weapons or means) द्वारा स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievous hurt) पहुंचाना।

३२७ सम्पत्ति के निकर्षण (extortion) के लिये या अवैध कार्य के लिये विवश करने के प्रयोजन से स्वेच्छा से आघात पहुंचाना

३२८ कोई अपराध करने के अभिप्राय से विष इत्यादि द्वारा आघात पहुंचाना ।

३२९ सम्पत्ति के निकर्षण (extortion) के लिये या अवैध कार्य (illegal acts) के हेतु विवश करने के लिये स्वेच्छा से दुस्सह आघात पहुंचाना ।

३३३ राज्य कर्मचारी को डरा धमका कर अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिये स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievous hurt) पहुंचाना।

३६३ अपहरण (kidnapping) ।

३६४ जान से मारने के लिये अपहरण करना या बहकाना।

३६५ रहस्यपूर्ण तथा अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति को बन्द करन के विचार से अपहरण करना या बहकाना।

३६९ दस वर्ष से कम वयस वाले शिशु (child) के शरीर से कोई वस्तु चुराने के अभिप्राय से उसका अपहरण (kidnapping) ।

३७६ बलात्कार (rape)।

३७७ अप्राकृतिक अपराध (unnatural offence)

३८० निवास-स्थान में चोरी ।

धाराएं

३८२ चोरी के प्रयोजन से मृत्यु करने, आघात पहुंचाने या निरोध (Restraint) में रखने के लिये तैयारी करने के पश्चात् चोरी ।

३८४ निकर्षण (extortion)।

३८५ निकर्षण (extortion) के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष को चोट (injury) का भय दिखाना ।

३८६ निकर्षण (extortion) के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष की मृत्यु या दुस्सह आघात (grievous hurt) का भय दिखा कर निकर्षण (extortion) ।

३९२ लूटमार (robbery)।

३९३ लूटमार करने का प्रयत्न करना ।

३९४ लूटमार में स्वेच्छा से आघात पहुंचाना ।

३९५ डकैती (dacoity)।

३९६ हत्या के साथ डकैती ।

३९७ लूटमार या डकैती, जिसमें मृत्यु या दुस्सह आघात करने का प्रयत्न किया जाय ।

३९८ घातक अस्त्र से सशस्त्र होकर लूट मार करने या डकैती का प्रयत्न ।

३९९ डकैती की तैयारी करना (preparation for committing dacoity)।

४०० डाकुओं के गिरोह में होना ।

४०२ डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना ।

४११ चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से ग्रहण करना ।

४१२ डकैती में चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से ग्रहण करना ।

४३६ गृह आदि को नष्ट करने के अभिप्राय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा अपकृत (mischief)।

४५७ किसी ऐसे अपराध को करने के प्रयोजन से जिसके लिये कारावास का दण्ड दिया जा सकता हो रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-tres- pass) या सेंध लगाना (house-breaking) ।

४५८ चोट पहुंचाने, प्रहार करने या अनधिकार रोक लगाने (wrongful restraint) के लिये तयारी करने के पश्चात् रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण या सेंध लगाना ।

४५९ चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house tres-pass) या सेंध लगाने (house-breaking) के समय किया गया दुस्सह आघात ।

४६० रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाने के कार्य में संयुक्त रूप से सम्बद्ध सभी व्यक्ति दण्डनीय हों यदि उनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी की मृत्यु की गई हो या दुस्सह चोट पहुंचाई गयी हो ।

४८९-ए जाली करेन्सी नोट या बैन्क नोट बनाना ।

३ पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ (१८६७ का ऐक्ट ३):

सम्पूर्णानन्द ।
सत्य सिंह राणा ।
राजदेव उपाध्याय ।
कमाल अहमद रिजवी ।
वीरेन्द्र शाह ।
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी ।
सत्यानन्द ।
रमेश वर्मा ।
गंगा प्रसाद सिंह ।
हरदयाल सिंह पिप्पल ।
गंगा प्रसाद ।
शिव नारायण ।
खूब सिंह ।
गजेन्द्र सिंह ।
राम नारायण त्रिपाठी ।

उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२

(यह विधेयक उस विधेयक के स्थान पर है जो २२ सितम्बर, १९५२ को उपस्थित किये गये प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ छपा था)

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया है। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों " [ ] " में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

उत्तर प्रदेश में अभ्यस्त अपराधियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में अभ्यस्त अपराधियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायं ;

इसलिये निम्न लिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्ष नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह सारे उत्तर प्रदेश में प्रचलित होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें।

२--(१) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :

(क) "कोड" का तात्पर्य कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ से है। १८९८ ऐक्ट, संख्या ५।

(ख) "जिला मैजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इस अधिनियम के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यों का सम्पादन करने के लिये अधिकृत किया गया प्रथम श्रेणी का कोई अन्य मैजिस्ट्रेट भी है।

(ग) "अभ्यस्त अपराधी" (habitual offender) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व या पश्चात् अनुसूची में उल्लिखित (set forth) किसी अपराध के लिये कम से कम तीन पृथक्-पृथक् अवसरों पर मौलिक अवधि के कारावास (substantive term of imprisonment) का दण्ड दिया गया हो, और ऐसा कारावास का दण्ड अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) में निरस्त (set aside) न कर दिया गया हो।

[स्पष्टीकरण:--कोड की धारा ११० के अधीन किसी व्यक्ति को सदाचार (good behaviour) से रहने के लिये जमानत (security) देने की आज्ञा के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह एक ऐसी आज्ञा है जिसके अधीन ऐसे व्यक्ति को मौलिक अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया है।)

(घ) "प्रतिबन्ध आज्ञा" (order of restriction) का तात्पर्य धारा ३ में उल्लिखित प्रकार की आज्ञा से है।

(ङ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

(च) "बस्ती" (settlement) का तात्पर्य धारा ११ के अधीन स्थापित अथवा प्रमाणित (established or certified) बस्ती से है।

(छ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ज) इस अधिनियम में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, वही अर्थ होंगे जो कि कोड में उनके किये गये हैं।

(२) यदि कोई व्यक्ति साधारणतः किसी स्थान पर रहता हो या वहाँ पर रहने के लिये अपने अधिकार में कोई मकान रखता हो तो वह साधारणतः उस स्थान का निवासी समझा जायेगा।

प्रतिबन्ध आज्ञा

३--(१) प्रतिबन्ध आज्ञा लिखित रूप में होगी और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य करने के लिये कहा जा सकता है, अर्थात्

(क) किसी जिले में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ही अपनी गतिविधि (movements) को सीमित रखना,

(ख) ऐसे प्राधिकारी (authority) को और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अपने निवास स्थान और उसमें किये गये तथा किये जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन की या वहाँ से प्रत्येक अनुपस्थिति या अभिप्रेत (intended) अनुपस्थिति की सूचना देना,

(ग) आज्ञा में निर्दिष्ट समय तथा स्थान पर और रीति से अपने आपको उपस्थित (to report himself) करना।

(२) आज्ञा में अन्य ऐसे विवरण भी होंगे जो नियत किये जायं।

(३) कोई भी प्रतिबन्ध आज्ञा उसके जारी होने के दिनाँक से तीन वर्ष के पश्चात् सप्रभाव न रहेगी।

निरोध आज्ञा प्राप्त करने की सूचना

४--(१) यदि सूचना मिलने पर जिला मैजिस्ट्रेट को संतोष हो जाय कि कोई व्यक्ति, जो उस जिले में साधारणतः रहता हो अभ्यस्त अपराधी है और उसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दी जानी चाहिए तो वह नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय और स्थान पर, जो कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, उपस्थित होकर आज्ञा प्राप्त करने का आदेश दे सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में इससे पूर्व लिखी हुई किसी भी बात से जिला मैजिस्ट्रेट के लिये यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों को नोटिस में निर्दिष्ट कर दे।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया हो [वह केवल निम्नलिखित आधारों पर ही और किसी अन्य आधार पर नहीं] निम्नलिखित में से किसी आधार पर, नोटिस का प्रतिवाद (contest) कर सकता है, अर्थात्:--

(क) [१] कि वह नोटिस के दिनाँक पर १८ वर्ष से कम उम्र का था,

(ख) [२] कि उसे दिये गये कारावास के अन्तिम दण्ड की अवधि की समाप्ति के दिनाँक और नोटिस के दिनाँक के बीच तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, अथवा

(ग) [३] कि वह अभ्यस्त अपराधी (habitual offender) नहीं है।

उपस्थिति के लिये बाध्य करने की प्रक्रिया।

५—उस स्थिति में जब किसी ऐसे [अभ्यस्त अपराधी] व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन नोटिस जारी किया जा चुका हो, पता न चल रहा हो अथवा वह नोटिस न लेता हो अथवा नोटिस उचित रीति से तामील हो जाने के पश्चात् वह संबद्ध जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित न होता हो तो जिला मैजिस्ट्रेट कोड के अध्याय ६ (Chapter VI) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा मानो उक्त नोटिस उक्त कोड के अधीन जारी किया गया वारंट था।

सूचना (नोटिस) की सुनवाई और आज्ञा की तामील।

६—(१) यदि संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर यदि कोई हों, और ऐसी जाँच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे जिला मैजिस्ट्रेट को यह ज्ञात हो कि वह नोटिस के दिनाँक पर १८ वर्ष से [अधिक उम्र का नहीं था] कम उम्र का हो अथवा जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है तीन वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है अथवा वह अभ्यस्त अपराधी (habitual offender) नहीं है तो वह उक्त नोटिस को उत्सर्जित (discharge) कर देगा, और यदि ऐसा व्यक्ति धारा ५ के अधीन की गई किसी भी कार्यवाही के अनुसार अभिरक्षा (custody) में हो तो उसे तुरन्त मुक्त कर देने का निदेश करेगा।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन नोटिस निरस्त न किया जाय तो जिला मैजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दे देगा।

निरोध आज्ञा देते समय विचारणीय तथ्य।

७—प्रतिबन्ध आज्ञा देते समय जिला मैजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा—

(१) उन अपराधों का प्रकार जिनके लिये अभ्यस्त अपराधी अभिशस्त (convict) हुआ था और वे परिस्थितियाँ जिनमें वे अपराध किये गये हों,

(२) अभ्यस्त अपराधी का वर्तमान काम या पेशा,

(३) उस क्षेत्र की उपयुक्तता जिसमें उसकी गतिविधि सीमित की जाने वाली हो, और

[(३) वह रीति जिसके अनुसार अभ्यस्त अपराधी (habitual offender) के लिये उस क्षेत्र में अपनी जीविका चलाने की सम्भावना हो और उसके लिये प्रबन्ध की पर्याप्तता।]

(४) ऐसी रीति, परिस्थितियाँ तथा शर्तें जिनके अनुसार राज्य सरकार, ऐसे अभ्यस्त अपराधी के, जिसके विरुद्ध धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गई हो, रोजगार की व्यवस्था करेगी।]

निरोध आज्ञा का संशोधन।

[८—(१) जिला मैजिस्ट्रेट समय-समय पर दी गई अपनी प्रतिबन्ध आज्ञा को परिवर्तित कर सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है और स्वेच्छा से या इसके लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, किसी अन्य जिले के जिला मैजिस्ट्रेट की सहमति से ऐसे अभ्यस्त अपराधी को जिसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दी गयी हो, ऐसे अन्य जिले में अपना निवास-स्थान परिवर्तित कर लेने की अनुज्ञा दे सकता है।]

८—(१) जिला मैजिस्ट्रेट अपने द्वारा दी गई प्रतिबन्ध आज्ञा में समय-समय पर परिवर्तन या संशोधन कर सकता है और अभ्यस्त अपराधी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, किसी अन्य जिले के जिला मैजिस्ट्रेट की सहमति से उसको ऐसे अन्य जिले में अपना निवास-स्थान परिवर्तित कर लेने की अनुज्ञा दे सकता है।

(२) उस स्थिति में जब किसी अभ्यस्त अपराधी को उपधारा (१) के अधीन किसी अन्य जिले में अपना निवास-स्थान परिवर्तित करने की अनुज्ञा दी गयी हो तो, ऐसे अन्य जिले का जिला मैजिस्ट्रेट प्रतिबन्ध आज्ञा को परिवर्तित या संशोधित, जैसा भी वह आवश्यक समझे, कर सकता है, किन्तु ऐसे सभी परिवर्तन या संशोधन निवास-स्थान में परिवर्तन किये जाने के समय से ही सप्रभाव होंगे न कि उससे पूर्व ।

अभ्यस्त अपराधी का प्रव्रजन (migration) ।

९—यदि कोई अभ्यस्त अपराधी, जिसके विरुद्ध धारा ६ के अधीन प्रतिबन्ध आज्ञा दी गयी हो, धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा के अनुसार अपना निवास-स्थान किसी अन्य जिले में परिवर्तित करे तो ऐसे अभ्यस्त अपराधी के सम्बन्ध में अन्य जिले के जिला मैजिस्ट्रेट को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उस जिला मैजिस्ट्रेट को थे जिसने आरम्भिक आज्ञा दी थी ।

पुनर्विलोकन (review) ।

१०—जिला मैजिस्ट्रेट नियत रीति से और नियत विरामों (intervals) पर ऐसे सभी अभ्यस्त अपराधियों के मामलों का दो असेसरों की सहायता से पुनर्विलोकन (review) कर सकता है जिन पर धारा ६ के अधीन प्रतिबन्ध आज्ञा तामील की गयी हो, इस बात के निश्चय करने के लिये कि उन पर लगाये गये प्रतिबन्धों का हटाया जाना वान्छनीय है या नहीं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पहला पुनर्विलोकन प्रतिबन्ध आज्ञा के दिनांक से तीन मास के भीतर ही होगा ।

सुधारक बस्तियों (reformatory settlements) आदि की स्थापना ।

११—(१) राज्य सरकार अभ्यस्त अपराधियों (habitual offenders) को सुधारने के लिए औद्योगिक, कृषिक या अन्य बस्तियाँ (industria agricultural or other settlements) स्थापित कर सकती है और उन्हें बनाये रख सकती है ।

(२) राज्य सरकार किसी भी ऐसी बस्ती को जिसका प्रबन्ध निजी व्यक्तियों के हाथ में हो, अभ्यस्त अपराधियों की भर्ती के लिए उपयुक्त (fit) प्रमाणित कर सकती है ।

निरोध आज्ञा आदि या बस्ती में ठहरने की अवधि का बढ़ाया जाना ।

१२—(१) यदि ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसके लिए धारा ६ के अधीन प्रतिबन्ध आज्ञा दी गयी हो, किसी भी समय जिला मजिस्ट्रेट का यह मत हो कि उक्त अवधि का बढ़ाया जाना आवश्यक है, तो वह सम्बद्ध व्यक्ति को इसके विरुद्ध कारण बताने का अवसर देने के बाद, उसे समय-समय पर इतना बढ़ा सकता है कि कुल अवधि का योग तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(२) उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही दो असेसरों की सहायता से होगी ।

असेसरों की राय ।

१२-क—(१) जिला मैजिस्ट्रेट धारा १० के अधीन प्रतिबन्ध को हटाने या उसमें अन्य प्रकार संशोधन करने या उसे जारी रखने की अथवा धारा १२ के अधीन अवधि बढ़ाने की आज्ञा देने से पूर्व प्रत्येक असेसर से अपनी राय मौखिक रूप से प्रकट करने के लिए कहेगा और इस प्रयोजन से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो उनकी राय मालूम करने के लिए आवश्यक हों । ऐसे सब प्रश्न और उनके उत्तर अभिलिखित किये जायंगे ।

(२) इसके बाद जिला मैजिस्ट्रेट अपनी आज्ञा देगा किन्तु ऐसा करने में वह असेसरों की राय मानने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

असेसरों की योग्यता और नियुक्ति ।

१२-ख—असेसर ऐसी योग्यता के होंगे और ऐसी रीति से चुने और नियुक्त किये जायंगे जो नियत की जाय ।

निरोधाज्ञा या नियमों के भंग किये जाने पर दण्ड ।

[१३--(१) यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गयी हो, और ऐसी आज्ञा सप्रभाव हो, ऐसी आज्ञा या नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो धारा १४ के अन्तर्गत उसके विरुद्ध की जाने वाली अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त उसे निम्नलिखित दण्ड मिल सकता है :--

(क) पहली बार अभिशस्त (convict) होने पर कारावास दण्ड जो ६ मास तक हो सकता है, और

(ख) दूसरी बार अथवा बाद को अभिशस्त होने पर बस्ती में १२ महीने के लिए या इससे अधिक अवधि के लिए जो तीन वर्ष से अधिक की न होगी और जिसे मैजिस्ट्रेट निश्चित करे आसेध (continement) ।]

१३--(१) "यदि कोई व्यक्ति जिस के विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गयी हो और ऐसी आज्ञा सप्रभाव हो, ऐसी आज्ञा या नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो धारा १४ के अधीन इसके विरुद्ध की जाने वाली अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त उसे बस्ती में बारह मास के लिए या ऐसे समय के लिए जो तीन वर्ष से अधिक न हो, और जिसे मैजिस्ट्रेट निश्चित करे आसेध (Confinement) का दण्ड दिया जा सकता है ।"

(२) कोड में किसी भी बात के होते हुए, कोई भी प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट उपधारा (१) के अधीन बस्ती में तीन वर्ष तक के आसेध का दंड दे सकता है [जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की न होगी] ।

उन अभ्यासी अपराधियों का गिरफ्तार किया जाना जो नियत सीमाओं या बस्तियों के बाहर पाये जायं ।

१४----यदि कोई व्यक्ति, जिस के विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा या धारा १३ के अधीन किसी बस्ती में आसेध की आज्ञा दी गयी हो,

(क) बिना आज्ञा या प्रवेश पत्र (पास) के, जिसे नियत किया गया हो, ऐसी बस्ती या ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के, जिसके भीतर उसकी प्रतिविधि सीमित की गयी हो, बाहर या ऐसे स्थान में या ऐसे समय पर, जिसके लिए उसके प्रवेशपत्र (पास) की शर्तों के अनुसार अनुमति न हो, पाया जाय, या

(ख) किसी बस्ती से निकल भागे या छोड़ दे तो वह बिना किसी वारन्ट के किसी पुलिस अधिकारी या बस्ती के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा, जो राज्य सरकार की किसी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस बात के लिए अधिकृत किया गया हो गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के उद्देश्य से उसे ऐसे क्षेत्र या बस्ती में, जैसी भी स्थिति हो, हटाये जाने की आज्ञा देगा ।

अभ्यस्त अपराधी का स्थानान्तरण ।

[१५--कोई जिला मैजिस्ट्रेट अपने जिले में स्थित किसी बस्ती से किसी अभ्यस्त अपराधी को हटाकर किसी दूसरी बस्ती में भेज सकता है, किन्तु धारा ८ की उपधारा (१) में दी हुई किसी बात के अधीन उस जिले के जिला मैजिस्ट्रेट की सहमति अपेक्षित न होगी, जिसमें वह दूसरी बस्ती स्थित हो ।]

१५--राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जिला मैजिस्ट्रेट किसी अभ्यस्त अपराधी को एक बस्ती से हटा कर दूसरी बस्ती में भेज सकता है ।

अनुसूची में निर्दिष्ट अपराधों के लिए दण्ड।

[१६--(१) यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गयी हो, अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए अपराधी ठहराया जाय, तो अभिशस्त (convict) होने पर उसे आजीवन निर्वासन (transportation for life) या दस वर्ष तक का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

(२) इस धारा में दी हुई किसी भी बात का किसी अतिरिक्त या अन्य दण्ड पर, जो ऐसे व्यक्ति को समय विशेष पर प्रचलित विधि के अधीन दिया जा सकता हो, कोई प्रभाव न पड़ेगा।]

[अंगुल छाप (finger impression)]।

[१७--जिला मैजिस्ट्रेट या इस निमित्त उस के द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दी गई हो अंगुलियों की छाप लेने की आज्ञा दे सकता है और तब ऐसे व्यक्ति को अपनी अंगुलियों की छाप देनी होगी।]

प्रक्रिया।

१६ [१८]--कोड के अध्याय २० के उपबन्ध, जहां तक हो सके इस अधिनियम की धारा ४,६ और १२ के अधीन व्यवहारों (Proceedings) पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे किसी सम्मन के व्यवहारों (summons case) की स्थिति में लागू होते हैं।

न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्रों का बाधित किया जाना।

[१९--उस स्थिति को छोड़ कर जबकि इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन कोई अन्य व्यवस्था की गई हो ;]

१७--निम्नलिखित के अधीन किसी कार्यवाही में दी गई आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी :-

(क) धारा ६, या

(ख) धारा ८ की उपधारा (१) या (२), या

(ग) धारा ९, १० और १२, या

(घ) अभ्यस्त अपराधी को उस क्षेत्र में जिसके, भीतर उसकी गति विधि सीमित की गई हो या उस बस्ती में, जहां [कि] उसे रखे जाने की आज्ञा दी गई हो, पहुंचाने के सम्बन्ध में धारा १४ के अधीन; [किसी व्यवहार (proceeding) में दी गई आज्ञा अन्तिम और निश्चायक (final and conclusive) होगी और उसके संबन्ध में किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।]

और ऐसी आज्ञा अन्तिम होगी और उसके संबन्ध में किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

नियम।

१८ [२०]--(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषकर और पूर्वगत अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए, ऐसे नियमों में निम्नांकित के लिये व्यवस्था की जा सकती है :--

(१) धारा ४ के अधीन नोटिस का आकार (फार्म),

(२) ऐसे क्षेत्र, जिनमें किसी अभ्यस्त अपराधी की गतिविधि सीमित की जाय और उन प्रतिबन्धों का प्रकार जिनका पालन करना ऐसे व्यक्तियों के लिये आवश्यक होगा ;

(३) छुट्टी की शर्तें और प्रवेशपत्रों (passes) का रूप और शर्तें, जिनके अधीन अभ्यस्त अपराधियों को ऐसे क्षेत्र, जिनके भीतर उनकी गति विधि सीमित कर दी गई हो या ऐसी बस्ती, जिसमें वे रक्खे गये हों, छोड़ने की अनुमति दी जा सकती हो,

(४) ऐसे अभ्यस्त अपराधियों को, जिनके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दी गई हो, शिनाख्त का प्रमाणपत्र (certificate of identity) देना, और परिस्थितियां, जिनमें उन्हें इस प्रकार के प्रमाणपत्रों को जांच करने के लिये प्रस्तुत करना पड़ेगा ;

(५) बस्तियों का कार्य संचालन, प्रबन्ध, नियन्त्रण तथा उनकी देख-रेख,

(६) ऐसी बस्तियों के प्रमाणित करने की रीति और शर्तें जिनका प्रबन्ध निजी रूप से किया जाता हो ;

(७) अभ्यस्त अपराधियों को बस्ती में भरती करना, वहां से उन्हें मुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(८) शर्तें और परिस्थितियां जिनके अधीन अभ्यस्त अपराधी के कुटुम्ब के सदस्यों को बस्ती में उसके साथ ठहरने की अनुज्ञा दी जाय ;

(९) अनुशासन (discipline) सम्बन्धी कार्यवाही, जो किसी बस्ती से निकल भागने का प्रयत्न करने वाले अथवा किसी अन्य प्रकार से समय विशेष पर प्रचलित नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगी ;

(९क) असेसरों को बुलाना और उनको यात्रिक तथा दैनिक भत्ता देना ;

(१०) प्रतिबन्ध आज्ञाओं का अभिलेख रखने के लिये रजिस्टर ;

(११) अंगुली छाप लेने की रीति ; और

(१२)—ऐसे विषय जो नियत किये जाय या नियत किये जाने वाले हों।

अपवाद

१९ [२१] समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन प्रतिबन्ध (restriction) या अवरोध (detention) की आज्ञा देने के संबन्ध में किसी समर्थ प्राधिकारी के अधिकारों पर इस अधिनियम में दी हुई किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रतिबन्ध आज्ञा या बस्ती में रखने की कोई आज्ञा, जहां तक कि वह ऐसी अन्य विधि के अधीन समर्थ प्राधिकारी द्वारा दी गई किसी आज्ञा से असंगत हो तब तक अप्रवृत्त (inoperative) समझी जायेगी जब तक कि ऐसी दूसरी विधि के अधीन दी गई आज्ञा सप्रभाव रहे।

[अनुसूची]

धारा २ (ग) देखिए

इन्डियन पीनल कोड के अन्तर्गत अपराध

अध्याय १२

धाराएं—

२३१ जाली सिक्के बनाना (counterfeiting coins)।

२३२ जाली भारतीय सिक्के बनाना (counterfeiting In liab Coins)।

२३३ जाली सिक्के बनाने के लिये उपकरण का निर्माण या विक्रय।

२३४ जाली भारतीय सिक्के बनाने के लिये उपकरण (instruments) का निर्माण या विक्रय।

२३५ जाली सिक्के बनाने के काम में लाने के लिये उपकरण या सामग्री को अपने कब्जे में रखना।

२३९ ऐसे सिक्के का अर्पण (delivery) जो इस जानकारी के साथ कब्जे में हो कि वह जाली है।

२४० ऐसे भारतीय सिक्के का अर्पण जो इस जानकारी के साथ कब्जे में हो कि वह जाली है।

२४२ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी जाली सिक्के का कब्जे में रखा जाना जिसे सिक्का प्राप्त होने पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है।

२४३ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्का अपने कब्जे में रखा जाना जिसे सिक्का प्राप्त कर लेने पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है।

अध्याय १६

२९९ दण्डनीय नर हत्या (culpable homicide)।

३०७ हत्या करने का प्रयत्न (attempt to murder)।

३०८ दण्डनीय नर हत्या (culpable homicide) करने के लिये प्रयत्न।

३१० ठग बनना (being a thug)।

३२२ स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievous hurt) पहुंचाना।

३२६ भयावह शस्त्रों या साधनों (dangersous weapons means) द्वारा स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievous hurt) पहुंचाना।

३२७ सम्पत्ति के निकर्षण (extortion) के लिये या अवैध कार्य के लिये विवश करने के प्रयोजन से स्वेच्छा से आघात पहुंचाना।

३२८ कोई अपराध करने के अभिप्राय से विष इत्यादि द्वारा आघात पहुंचाना।

३२९ सम्पत्ति के निकर्षण (extortion) के लिये या अवैध काय (illegal acts) के हेतु विवश करने के लिये स्वेच्छा से दुस्सह आघात पहुंचाना।

३३२ राज्य कर्मचारी को डरा-धमका कर अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिये स्वेच्छा से आघात पहुंचाना।

३३३ राज्य कर्मचारी को डरा धमका कर अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिये स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievous hurt) पहुंचाना।

३६९ दस वर्ष से कम वयस वाले शिशु (child) के शरीर से कोई वस्तु चुराने के अभिप्राय से उसका अपहरण (kindnap ing)।

३७६ बलात्कार (rape)।

३७७ अप्राकृतिक अपराध (unnatural offence)।

अध्याय १७

३८२ चोरी के प्रयोजन से, मृत्यु करने, आघात पहुंचाने या निरोध (restraint) में रखने के लिये तैयारी करने के पश्चात् चोरी।

३८३ निकर्षण (extortion)।

३८५ निकर्षण (extortion) के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष को चोट (injury) का भय दिखाना।

३८६ निकर्षण (extortion) के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष की मृत्यु या दुस्सह आघात (grievous hurt) का भय दिखाकर निकर्षण (extortion)।

३९० लूटमार (Robbery)।

३९१ डकैती (Dacoity)।

३९३ लूटमार करने का प्रयत्न करना।

३९४ लूटमार में स्वेच्छा से आघात पहुंचाना।

३९७ लूटमार या डकैती, जिसमें मृत्यु या दुस्सह आघात करने का प्रयत्न किया जाय।

३९८ घातक अस्त्र से सशस्त्र होकर लूट मार करने या डकैती का प्रयत्न।

३९९ डकैती की तैयारी करना (preparation for committing dacoity)।

४०२ डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना।

४११ चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से ग्रहण करना।

४३६ गृह आदि को नष्ट करने के अभिप्राय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा अपकृत्य (mischief)।

४५७ किसी ऐसे अपराध को करने के प्रयोजन से जिसके लिये कारावास का दण्ड दिया जा सकता हो रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाना (house breaking)।

४५८ चोट पहुंचाने, प्रहार करने या अधिकार रोक लगाने (wrongful restraint) के लिये तैयारी करने के पश्चात् रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण या सेंध लगाना।

४५९ चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाते (house breaking) समय किया गया दुस्सह आघात।

४६० रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurkinghouse trespass) या सेंध लगाने के कार्य के संयुक्त रूप से सम्बद्ध सभी व्यक्ति दण्डनीय हैं, यदि उनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी की मृत्यु हो गयी हो या दुस्सह चोट पहुंचाई गई हो।

४८९-ए जाली करेन्सी नोट या बैन्क नोट बनाना।

अनुसूची

(धारा २—ग देखिये)

इन्डियन पीनल कोड के अन्तर्गत अपराध

धारायें

२३१ जाली सिक्के बनाना (counterfeiting coins)।

२३२ जाली भारतीय सिक्के बनाना (counterfeiting indian coins)।

२३३ जाली सिक्के बनाने के लिए उपकरण (instruments) का निर्माण, क्रय या विक्रय।

२३४ जाली भारतीय सिक्के बनाने के लिए उपकरण (instruments) का निर्माण, क्रय या विक्रय।

२३५ जाली सिक्के बनाने के काम में लाने के लिए उपकरण या सामग्री को अपने क़ब्ज़े में रखना।

२३९ ऐसे सिक्के का अर्पण (delivery) जो इस जानकारी के साथ क़ब्ज़े में हो कि वह जाली है।

२४० ऐसे भारतीय सिक्के का अर्पण जो इस जानकारी के साथ क़ब्ज़े में हो कि वह जाली है।

२४२ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी जाली सिक्के में रखा जाना जिसे सिक्का प्राप्त होने पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है।

२४३ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्का अपने क़ब्ज़े में रखा जाना जिसे सिक्का प्राप्त होने पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है।

३०२ हत्या (murder)।

३०४ दण्डनीय नर हत्या (culpable homicide) जो नर हत्या न समझी जाय।

३०७ हत्या करने का प्रयत्न (attempt to murder)।

३०८ दण्डनीय नर हत्या (culpable homicide) करने के लिए प्रयत्न।

३११ ठग होना (being a thug)।

३२६ भयावह अस्त्रों या साधनों (dangerous weapons or means) द्वारा स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievous hurt) पहुंचाना।

३२७ सम्पत्ति के निकर्षण (extortion) के लिए या अवैध कार्य के लिए विवश करने के प्रयोजन से स्वेच्छा से आघात पहुंचाना।

३२८ कोई अपराध करने के अभिप्राय से विष इत्यादि द्वारा आघात पहुंचाना।

३२९ सम्पत्ति के निकर्षण (extortion) के लिए या अवैध कार्य (illegal acts) के हेतु विवश करने के लिए स्वेच्छा से दुस्सह आघात पहुंचाना।

३३३ राज्य कर्मचारी को डरा धमका कर अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievious hurt) पहुंचाना।

३६३ अपहरण (kidnapping)।

३६४ जान से मारने के लिए अपहरण करना या बहकाना।

३६५ रहस्यपूर्ण तथा अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति को बन्द करने के विचार से अपहरण करना या बहकाना।

३६९ दस वर्ष से कम वयस वाले शिशु (child) के शरीर से कोई वस्तु चुराने के अभिप्राय से उसका अपहरण (kidnapping)।

३७६ बलात्कार (rape)।

३७७ अप्राकृतिक अपराध (unnatural offence)।

३८० निवास स्थान में चोरी।

३८२ चोरी के प्रयोजन से मृत्यु करने, आघात पहुंचाने या निरोध (restraint) में रखने के लिए तैयारी करने के पश्चात् चोरी।

३९४ निकर्षण (extortion)।

३८५ निकर्षण (extortion) के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष को चोट (injury) का भय दिखाना।

३८६ निकर्षण (extortion) के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष की मृत्यु या दुस्सह आघात (grievious hurt) का भय दिखाकर निकर्षण (extortion)।

३९२ लूटमार (Robbery)।

३९३ लूटमार करने का प्रयत्न करना।

३९४ लूटमार में स्वेच्छा से आघात पहुंचाना।

३९५ डकैती (Dacoity)।

३९६ हत्या के साथ डकैती।

३९७ लूटमार या डकैती, जिसमें मृत्यु या दुस्सह आघात करने का प्रयत्न किया जाय।

३९८ घातक अस्त्र से सशस्त्र होकर लूटमार करने या डकैती का प्रयत्न।

३९९ डकैती की तैयारी करना (preparation for committing dacoity)।

४०० डाकुओं के गिरोह में होना।

४०२ डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना।

४११ चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से ग्रहण करना।

४१२ डकैती में चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से ग्रहण करना।

४३६ गृह आदि को नष्ट करने के अभिप्राय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा अपकृत्य (mischief)।

४५७ किसी ऐसे अपराध को करने के प्रयोजन से जिसके लिए कारावास का दण्ड दिया जा सकता हो रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाना (house breaking)।

४५८ चोट पहुंचाने, प्रहार करने या अनधिकार रोक लगाने (wrongful restraint) के लिए तैयारी करने के पश्चात् रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण या सेंध लगाना।

४५९ चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाते (house breaking) समय किया गया दुस्सह आघात।

४६० रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाने के कार्य में संयुक्त रूप से सम्बद्ध सभी व्यक्ति दण्डनीय हों, यदि उनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी की मृत्यु हो गयी हो या दुस्सह चोट पहुंचायी गयी हो।

४८९-ए जाली करेन्सी नोट या बैंक नोट बनाना।

३ पब्लिक गैंबलिंग ऐक्ट, १८६७ (१८६७ का ऐक्ट ३)।

उद्देश्य तथा कारण

सार्वजनिक हित की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया है कि सभी अभ्यस्त अपराधियों की गति-विधि का विनियमन किया जाय और उन्हें नये अपराध करने से रोका जाय। वर्तमान विधेयक में उनकी गतिविधि पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई है। "अभ्यस्त अपराधी" की परिभाषा इस प्रकार की गयी है कि अभ्यस्त अपराधी वह व्यक्ति है, जिसे इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित एक या एक से अधिक अपराधों के लिये कम से कम तीन पृथक्-पृथक् अवसरों पर मौलिक (सबस्टेंटिव) अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो और उक्त कारावास का दण्ड अपील अथवा पुनरीक्षण (रिवीजन) में मंसूख न कर दिया गया हो। इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रतिबन्धाज्ञा के अनुसार अभ्यस्त अपराधी अपनी गति-विधि की सूचना अधिकारियों को देते रहेंगे। अभ्यस्त अपराधी के विरुद्ध दिए गये अन्तिम दण्ड की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर उक्त आज्ञा दी जा सकती है। किन्तु उक्त अपराधी की आयु १८ वर्ष से अधिक की होनी आवश्यक है।

अभ्यस्त अपराधियों को सुधारने और उन्हें उपयुक्त काम के लिए अवसर देने की दृष्टि से राज्य सरकार का यह प्रस्ताव है कि उन्हें जीविका के निमित्त प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बस्तियाँ स्थापित की जायं। इस अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन दी गई किसी प्रतिबन्धाज्ञा का यदि कोई अभ्यस्त अपराधी बार-बार उल्लंघन करे तो न्यायालय उसे कारावास का दण्ड देने के स्थान पर किसी बस्ती में आसेध (कनफाइनमेंट) की आज्ञा देगा, जिससे उसका अन्त में सुधार हो सके।

सम्पूर्णानन्द,
गृह मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—३८ एल० ए०—१९५२—८१०